

Sixteenth Lok Sabha
VI Session (26/11/2015 to 23/12/2015)

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 26 नवम्बर, 2015/5 अग्रहायण, 1937 (शक)

संख्या 108

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

2. सदस्य द्वारा शपथ

तेलंगाना के वारंगल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य श्री दयाकर पसुनूरी ने तेलुगू में शपथ ली, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किया और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

3. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने दसवीं लोक सभा के सदस्य श्री रोशनलाल; ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य श्री के० परसुरमण; चौदहवीं लोक सभा के सदस्य श्री राधे श्याम कोरी; दसवीं, बारहवीं, तेरहवीं और चौदहवीं लोक सभा के सदस्य श्री ए० वेंकटेश नायक, तेरहवीं और चौदहवीं लोक सभा के सदस्य श्री रघुवीर सिंह कौशल; दसवीं लोक सभा के सदस्य श्री विश्वनाथ दास शास्त्री, नौवीं, बारहवीं और चौदहवीं लोक सभा के सदस्य श्री मित्रसेन यादव; दूसरी, तीसरी और

सातवीं लोक सभा के सदस्य श्री बालकृष्ण वास्निक; पहली और दूसरी लोक सभा के सदस्य श्री सधन गुप्ता; पांचवीं लोक सभा के सदस्य श्री रुद्र प्रताप सिंह; सातवीं लोक सभा के सदस्य श्री बी०डी० सिंह; सातवीं से बारहवीं लोक सभा के सदस्य श्री परसराम भारद्वाज और दसवीं लोक सभा के सदस्य डॉ० परशुराम गंगवार के निधन के बारे में उल्लेख किया।

उन्होंने 26 नवम्बर, 2008 को मुम्बई में हुए हिंसक आतंकी हमले, जिसमें निर्दोष लोग मारे गए अथवा घायल हो गए, की सातवीं बरसी के बारे में भी उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.16 बजे

4. अध्यक्ष द्वारा संबोधन

अध्यक्ष ने नियम 360 के अधीन सभा को संबोधित किया।

पूर्वाह्न 11.38 बजे

5. डॉ० भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयन्ती समारोह के भाग के रूप में भारत के संविधान के प्रति वचनबद्धता पर चर्चा

उपलब्ध समय : 11 घंटे 30 मिनट

लिया गया समय : 6 घंटे 57 मिनट

शेष : 4 घंटे 33 मिनट

श्री राजनाथ सिंह ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्रीमती सोनिया गांधी
2. डॉ० पी० वेणुगोपाल

(लोक सभा अपराह्न 1.04 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.13 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 2.13 बजे

3. श्री सुदीप बंदोपाध्याय
4. श्री तथागत सत्पथी
5. श्री आनंदराव अडसुल
6. श्री के० राम मोहन नायडू
7. श्री ए० पी० जितेन्द्र रेड्डी

8. श्री जितेन्द्र चौधरी
9. श्री रामविलास पासवान
10. श्री मेकापति राज मोहन रेड्डी
11. श्री तारिक अनवर
12. श्री जय प्रकाश नारायण यादव
13. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे
14. श्री थावर चंद गहलोत

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 7.22 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 27 नवम्बर, 2015 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 27 नवम्बर, 2015/6 अग्रहायण, 1937 (शक)

संख्या 109

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. सदस्य द्वारा शपथ

मध्य प्रदेश के रतलाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य श्री कांतिलाल भूरिया ने हिन्दी में शपथ ली, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किया और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया।

पूर्वाह्न 11.17 बजे

2. डॉ० भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयन्ती समारोह के भाग के रूप में भारत के संविधान के प्रति प्रतिबद्धता पर चर्चा

लिया गया समय : 13 घंटे 53 मिनट

डॉ० भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयन्ती समारोह के भाग के रूप में भारत के संविधान के प्रति प्रतिबद्धता पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया :—

- (1) श्री एम० वेंकैया नायडू
- (2) श्री मुलायम सिंह यादव

- * (3) श्री थोटा नरसिम्हम
- * (4) श्रीमती गीता कोथापल्ली
- * (5) श्री दहन मिश्रा
- * (6) श्री चन्द्र प्रकाश जोशी
- * (7) श्री रंगास्वामी ध्रुवनारायण
- * (8) श्री सी०आर० चौधरी
- * (9) डॉ० यशवंत सिंह
- (10) श्री ज्योतिरादित्य एम० सिंधिया
- * (11) श्री नानाभाऊ फाल्गुनराव पटोले
- * (12) श्री एस०पी० मुद्दाहनुमे गौड़ा
- * (13) श्री देवजी एम० पटेल
- * (14) श्री पी०के० बिजु
- * (15) श्री कौशलेन्द्र कुमार
- * (16) डॉ० किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
- (17) श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा
- * (18) श्री धर्मेन्द्र यादव
- * (19) श्री टी०जी० वेंकटेश बाबू
- * (20) डॉ० (श्रीमती) रत्ना डे (नाग)
- * (21) श्री शरद त्रिपाठी
- * (22) श्री गौरव गोगोई
- * (23) श्रीमती रीती पाठक
- * (24) श्री डी०के० सुरेश
- * (25) डॉ० (प्रो०) प्रसन्न कुमार पाटसाणी
- * (26) डॉ० कुलमणि सामल

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- *(27) श्री विद्युत वरण महतो
- *(28) श्री गजानन चंद्रकांत कीर्तिकर
- *(29) कुमारी शोभा कारांदलाजे
- *(30) श्री सुरेश कोडीकुन्नील
- (31) डॉ० के० गोपाल
- *(32) डॉ० सुनील बलीराम गायकवाड़
- *(33) श्रीमती प्रतिमा मण्डल
- *(34) श्री श्रीराम मलयाद्रि
- *(35) श्री धनंजय भीमराव महाडीक
- (36) श्री कल्याण बनर्जी
- *(37) श्री सदाशिव लोखंडे
- *(38) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
- *(39) श्री राकेश सिंह
- *(40) डॉ० किरीट सोमैया
- (41) डॉ० भर्तृहरि महताब
- *(42) डॉ० तपस मंडल
- *(43) श्री शंकर प्रसाद दत्ता
- *(44) श्री नित्यानंद राय
- *(45) डॉ० भगीरथ प्रसाद
- *(46) प्रो० सीताराम अजमीरा नायक
- *(47) श्री ए०टी० नाना पाटील
- *(48) प्रो० रिचर्ड हे
- (49) सुश्री महबूबा मुफ्ती
- *(50) श्री रामदास सी० तडस

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- (51) श्री अरविंद गणपत सावंत
 *(52) श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत
 *(53) डॉ० वीरेन्द्र कुमार
 *(54) श्री सुनील कुमार सिंह
 *(55) श्री सुरेश सी० अंगड़ी
 *(56) श्री महेश गिरी
 *(57) श्री बी० एन० चन्द्रप्पा
 *(58) श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
 *(59) श्री रत्न लाल कटारिया
 *(60) श्री रामचन्द्रन मुल्लापल्ली
 (61) श्री हरिन्दर सिंह खालसा
 *(62) श्री गणेश सिंह
 *(63) श्रीमती अपरूपा पोदार
 *(64) श्रीमती ममता ठाकुर
 *(65) श्रीमती रमा देवी
 *(66) श्री निशिकांत दुबे
 (67) श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी
 *(68) श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी
 *(69) श्री आर० राधाकृष्णन
 *(70) श्री सुधीर गुप्ता
 (71) डॉ० अरूण कुमार
 *(72) श्री भैरों प्रसाद मिश्र
 *(73) श्री वीरेन्द्र कश्यप
 *(74) श्री फगन सिंह कुलस्ते

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- *(75) श्री हुकुम सिंह
- *(76) श्री अर्जुन राम मेघवाल
- *(77) श्री ओम बिरला
- *(78) श्री राजीव सातव
- (79) श्री पूरनो अगितोक संगमा
- *(80) श्री बंडारू दत्तात्रेय
- *(81) श्री आलोक संजर
- *(82) श्री रवीन्द्र कुशवाहा
- *(83) डॉ० प्रीतम गोपीनाथ मुंडे
- *(84) श्री बी० एस० येदियुरप्पा
- *(85) कुमारी सुष्मिता देव
- *(86) श्री असरारूल हक मोहम्मद
- (87) श्री विनोद कुमार बोइनापल्ली
- *(88) डॉ० रमेश पोखरियाल निशंक
- *(89) कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल
- *(90) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल
- *(91) डॉ० थोकचोम मेन्या
- (92) डॉ० वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली
- *(93) श्री हरिओम सिंह राठौर
- *(94) श्री प्रहलाद सिंह पटेल
- *(95) श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा
- *(96) श्री बलभद्र माझी
- (97) श्री राधेश्याम बिश्वास
- (98) श्री असादुद्दीन ओवैसी

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- *(99) सुश्री साध्वी सावित्री बाई फूले
- *(100) श्री अजय टम्टा
- *(101) श्री बलका सुमन
- *(102) श्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी
- *(103) श्रीमती के० मरगथम
- *(104) श्री पी०पी० चौधरी
- (105) श्री प्रेम दास राय
- (106) श्री एन० के० प्रेमचन्द्रन
- *(107) डॉ० मनोज राजोरिया
- *(108) श्री केशव प्रसाद मौर्य
- (109) श्री सी० एन० जयदेवन
- *(110) श्री राजेन्द्र अग्रवाल
- *(111) श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी
- *(112) श्री बी० श्रीरामूलु
- *(113) श्रीमती मीनाक्षी लेखी
- (114) श्रीमती अनुप्रिया पटेल
- *(115) श्री रामचरण बोहरा
- *(116) डॉ० रवीन्द्र बाबू पंडूला
- *(117) श्री फैजल पी०पी० मोहम्मद
- (118) श्री दुष्यंत चौटला
- *(119) श्रीमती अंजू बाला
- *(120) श्री मोहम्मद बदरुद्दोजा खान
- *(121) श्री श्रीनिवास केसीनेनी
- *(122) श्री पी० करुणाकरन

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- *(123) श्री पप्पू यादव
- *(124) श्री राहुल शैवाले
- *(125) श्री अनुराग सिंह ठाकुर
- *(126) श्रीमती रक्षाताई खाडसे
- *(127) श्री झीना हीकाका
- *(128) श्री जगदम्बिका पाल
- *(129) श्री विष्णु दयाल राम
- *(130) श्री के०सी० वेणुगोपाल
- *(131) श्री ई० अहमद
- *(132) श्री नरेन्द्र मोदी

सायं 6.08 बजे

3. विदाई संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने विशेषज्ञ बैठकों के समापन पर विदाई संबंधी उल्लेख किया।

4. संकल्प—स्वीकृत

अध्यक्ष ने निम्नलिखित संकल्प सभा के समक्ष प्रस्तुत किया:—

“हम, लोक सभा के सदस्य, डॉ० भीम राव अम्बेडकर की एक सौ पच्चीसवीं जयंती समारोह के भाग के रूप में ‘संविधान दिवस’ मनाने के लिए 26 और 27 नवम्बर, 2015 को आयोजित लोक सभा की विशेष बैठकों में:—

- राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की वचनबद्धता; पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, सरदार वल्लभभाई पटेल, मौलाना आजाद और हमारे अन्य संविधान निर्माताओं द्वारा निभाई गई अग्रणी और महत्वपूर्ण भूमिका को तथा 26 नवम्बर, 1949 को संविधान को हमें प्रदान करने में; और 26 जनवरी, 1950 को उसे अधिनियमित करने में हमें समर्थ बनाने में उनके योगदान को साभार याद करते हुए; और
- संविधान सभा की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉ० भीम राव अम्बेडकर तथा भारत के संविधान के निर्माण में इसके सभी सदस्यों द्वारा अर्पित की गई अमूल्य सेवाओं का सम्मान के साथ स्मरण करते हुए;

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

एतद्द्वारा संविधान के सिद्धांतों और आदर्शों के प्रति अपनी और प्रतिबद्धता की अभिपुष्टि करते हैं और संकल्प करते हैं कि हम—

- (क) संविधान की शुचिता और सर्वोच्चता को कायम रखेंगे और उसे सुरक्षित करेंगे;
- (ख) संवैधानिक संस्थाओं, उनकी स्वतंत्रता और प्राधिकार का सम्मान करेंगे;
- (ग) हमारे देश की संप्रभुता, एकता और अखण्डता तथा इसके लोकतांत्रिक, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष स्वरूप की रक्षा करेंगे;
- (घ) सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा और जवाबदेही को अनुरक्षित करेंगे; और
- (ङ) स्वयं को समानता और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पित करेंगे तथा एक मजबूत गणतंत्र के निर्माण के कार्य में योगदान देंगे।”

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

सायं 6.13 बजे

(लोक सभा सोमवार, 30 नवम्बर, 2015 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 30 नवम्बर, 2015/9 अग्रहायण, 1937 (शक)

संख्या 110

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. सदस्य द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने निम्नलिखित के बारे में उल्लेख किया:—

- (एक) 12 सितम्बर, 2015 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के पेटलावाड नगर में एक भवन में रखे खनन विस्फोटकों में विस्फोट हो जाने के कारण 89 व्यक्तियों की कथित मृत्यु और कई अन्य लोगों के घायल हो जाने के बारे में।
- (दो) तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और देश के दक्षिणी भाग के अन्य निकटस्थ क्षेत्रों में हाल में हुई वर्षा के कारण 204 व्यक्तियों की कथित मृत्यु और संपत्ति, फसल और मवेशियों के भारी विनाश होने के बारे में।
- (तीन) 13 नवम्बर, 2015 को पेरिस में हुए आतंकी हमले के कारण 120 से अधिक लोगों की मृत्यु के बारे में।
- (चार) मक्का के हरम शरीफ में 11 सितम्बर, 2015 को हुई क्रेन दुर्घटना में कई तीर्थयात्रियों के मारे जाने और सऊदी अरब के मीना में 24 सितम्बर, 2015 को हुई भगदड़ में कई अन्य व्यक्तियों के मारे जाने के बारे में।
- (पांच) 26 अक्टूबर, 2015 को अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आए भूकंप के कारण अनेक लोगों के मारे जाने के बारे में।

(छह) 31 अक्टूबर, 2015 को मिस्र के आसमान पर रूसी संघ के एक विमान के क्रैश हो जाने के कारण 224 व्यक्तियों के मारे जाने के बारे में।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.09 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 1—3 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 4—20 के मौखिक उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1-230 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

4. अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने सभा की ओर से प्रथम मल्टी वेवलेंथ अंतरिक्ष वेधशाला 'एस्ट्रोसेट' का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किए जाने पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को बधाई दी।

अपराह्न 12.01 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) परक्राम्य लिखत (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2015 (2015 का संख्यांक 7) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (3) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), भुवनेश्वर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), भुवनेश्वर के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो डेनिश टूल रूम), जमशेदपुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो डेनिश टूल रूम), जमशेदपुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), गुवाहाटी के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), गुवाहाटी के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), औरंगाबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), औरंगाबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), इंदौर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), इंदौर के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), अहमदाबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), अहमदाबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम), लुधियाना के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम), लुधियाना के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हैण्ड टूल्स), जालंधर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हैण्ड टूल्स), जालंधर के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिजाइन), हैदराबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिजाइन), हैदराबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेज़रिंग इंस्ट्रुमेंट्स), मुम्बई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेज़रिंग इंस्ट्रुमेंट्स), मुम्बई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (इलेक्ट्रॉनिक सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर), नैनीताल के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (इलेक्ट्रॉनिक सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर), नैनीताल के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), आगरा के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), आगरा के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (फ्रैग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर), कन्नौज के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (फ्रैग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर), कन्नौज के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्री), फिरोजाबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्री), फिरोजाबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (17) संविधान के अनुच्छेद 123(2)(क) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (एक) राष्ट्रपति द्वारा 22 सितम्बर, 2015 को प्रख्यापित परक्राम्य लिखत (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2015 (2015 का संख्यांक 7)।
- (दो) राष्ट्रपति द्वारा 23 अक्टूबर, 2015 को प्रख्यापित उच्च न्यायालयों के वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग अध्यादेश, 2015 (2015 का संख्यांक 8)।
- (तीन) राष्ट्रपति द्वारा 23 अक्टूबर, 2015 को प्रख्यापित माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का संख्यांक 9)।
- (18) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000, जो 31 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2097(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) चाय अधिनियम, 1953 की धारा 30 के अंतर्गत चाय (विपणन) नियंत्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, 2015, जो 1 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2688(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति।
- (20) (एक) इंडियन रबर मेन्यूफैक्चर्स रिसर्च एसोसिएशन, थाणे के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन रबर मेन्यूफैक्चर्स रिसर्च एसोसिएशन, थाणे के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. विधेयकों पर अनुमति

महासचिव ने 22 जुलाई, 2015 को सभा को प्रस्तुत की गई सूचना के पश्चात् 16वीं लोक सभा के 5वें सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित तीन विधेयक सभा पटल पर रखे:—

1. दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2015

2. विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 2015; और

3. विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2015

7. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

“मुझे सभा को सूचित करना है कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015 संबंधी संयुक्त समिति के सभापति ने मुझे सूचित किया है कि सभा द्वारा बढ़ाई गई समय सीमा अर्थात् 27 नवम्बर, 2015 तक समिति अपने प्रतिवेदन को अंतिम रूप नहीं दे पाई। अतः संयुक्त समिति ने समय बढ़ाने की मांग करने का निर्णय लिया है। संयुक्त समिति के सभापति इस संबंध में 27 नवम्बर, 2015 को प्रस्ताव पेश नहीं कर सके क्योंकि उस दिन सभा की बैठक अनन्य रूप से संविधान के प्रति प्रतिबद्धता पर चर्चा के लिए समर्पित थी। सभा की ओर से मैंने विधेयक पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय शीतकालीन सत्र, 2015 के अंतिम दिन तक बढ़ाने की अनुमति दी है।”

8. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री राजीव प्रताप रूडी ने कार्य मंत्रणा समिति का 22वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

9. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

डॉ० रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

- (1) वित्त मंत्रालय (वित्त सेवा विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 18वां प्रतिवेदन।
- (2) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 19वां प्रतिवेदन।
- (3) आश्वासनों (स्वीकार किए गए) को छोड़ने के लिए अनुरोधों के बारे में 20वां प्रतिवेदन।
- (4) आश्वासनों (स्वीकार नहीं किए गए) को छोड़ने के लिए अनुरोधों के बारे में 21वां प्रतिवेदन।

10. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ० शशि थरूर ने विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति (2015-16) के निम्नलिखित प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

- (1) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2014-15 की अनुदानों की मांगों के बारे में तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 7वां प्रतिवेदन।
- (2) विदेश मंत्रालय की वर्ष 2014-15 की अनुदानों की मांगों के बारे में चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 8वां प्रतिवेदन।
- (3) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2015-16 की अनुदानों की मांगों के बारे में 5वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 9वां प्रतिवेदन।

अपराहन 12.13 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

- (1) श्री कीर्ति आजाद द्वारा बिहार में शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री सी०आर० चौधरी द्वारा राजस्थान के नागौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जनवरी, 2015 तक स्थापित नलकूपों को नियमित करने तथा डार्क जोन श्रेणी के क्षेत्रों की समीक्षा करने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्रीमती संतोष अहलावत द्वारा राजस्थान में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स को पुनर्जीवित करने के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री अनिल शिरोले द्वारा देश में अरहर दाल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जाने की आवश्यकता के बारे में।

*ये तीनों प्रतिवेदन अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 71क के अंतर्गत 18.11.2015 को माननीय अध्यक्ष को पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

- (5) डॉ० किरीट सोमैया द्वारा घाटकोपार-मुम्बई मेट्रो सेवा के किराये में प्रस्तावित बढ़ोतरी की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह द्वारा उत्तराखंड के घनसाली और टिहरी गढ़वाल जिले के जिला मुख्यालय में एल पी जी एजेंसी स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री अर्जुन लाल मीणा द्वारा राजस्थान के उदयपुर में पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) डॉ० सुभाष रामराव भामरे द्वारा देश में बड़े पैमाने पर दूध में हो रही मिलावट को रोकने के लिये एक सरकारी निकाय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) डॉ० वीरेन्द्र कुमार द्वारा देश में बच्चों को सभी प्रकार के शोषण से बचाने के लिये एक व्यापक कार्यक्रम बनाये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री ओम बिरला द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की पहचान हेतु सक्सेना समिति द्वारा सिफारिश किये गए नए मानदंडों की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री ए०टी० नाना पाटील द्वारा महाराष्ट्र के जलगांव जिले में पदलसरे लोअर ताप्ती परियोजना को शीघ्र मंजूरी दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा बिहार के सिवान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज सह-अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री देवजी एम० पटेल द्वारा राजस्थान के जालौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के भवताड़ा में एक पेट्रोलियम रिफाइनरी खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री राजेश वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) डॉ० शशि थरूर द्वारा देश में बढ़ रही असहिष्णुता के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों/संगठनों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री एस०आर० विजय कुमार द्वारा तमिलनाडु के चेन्नई में सेना की भूमि पर रह रहे गरीब लोगों के उचित पुनर्वास हेतु उस भूमि को अंतरित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (17) श्री पी० आर० सेनथिलनाथन द्वारा तमिलनाडु की लंबित नदी जल परियोजनाओं को समुचित धन आवंटन के साथ मंजूर किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (18) प्रो० सौगत राय द्वारा जूट उत्पादन में गिरावट से उत्पन्न स्थिति से निपटने की आवश्यकता के बारे में।
- (19) डॉ० कुलमणि सामल द्वारा ओडिशा में इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड सहित पारादीप की पोली-पूरोपीलिन यूनिट में भूमि से हटाये गए परिवारों के शिक्षित युवकों को तथा विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (20) श्री राहुल शेवाले द्वारा महाराष्ट्र के मुम्बई में भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर, टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और टाटा मेमोरियल सेंटर के कर्मियों के स्टाफ क्वार्टरों में आधारभूत सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (21) श्री किंजरापु राम मोहन नायडू द्वारा आंध्र प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों हेतु अतिरिक्त धनराशि जारी किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (22) श्री वाई०वी० सुब्बा रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश के सूखा प्रवण प्रकाशम जिले में तंबाकू किसानों को वैकल्पिक फसलें उगाने हेतु सहायता देने तथा उन्हें समुचित क्षतिपूर्ति दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (23) श्री एम०बी० राजेश द्वारा केरल में वाडाक्कांचेरी से मन्नूथी तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-47 के 6 लेन निर्माण में तेजी लाने की आवश्यकता के बारे में।
- (24) श्री मोहम्मद फैजल द्वारा लक्ष्यद्वीप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत कर्मियों की सेवाओं को नियमित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (25) श्री राजेश रंजन द्वारा बिहार के दियारा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले गांवों को आर्थिक एवं भौगोलिक स्थिति के अध्ययन तथा रिपोर्ट दिये जाने हेतु और इन क्षेत्रों के विकास हेतु समुचित कार्रवाई किये जाने हेतु एक केन्द्रीय दल भेजे जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (26) श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा हरियाणा के हिसार में एक नया रेलवे मंडल स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(27) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा बिहार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत धनराशि जारी किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 12.25 बजे

12. नियम 193 के अधीन चर्चा

अनुमेय समय : 2 घंटे

लिया गया समय : 3 घंटे 9 मिनट

अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि श्री पी० करूणाकरन, जिन्हें देश में असहिष्णुता की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा प्रारंभ करनी थी, ने उनसे अनुरोध किया था कि उनकी ओर से श्री मोहम्मद सलीम को चर्चा प्रारंभ करने की अनुमति दी जाए, तथा उन्होंने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया।

तदनुसार, श्री मोहम्मद सलीम ने चर्चा उठाई।

(लोक सभा अपराहन 1.06 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.06 बजे पुनः समवेत हुई।)

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराहन 2.10 बजे स्थगित हुई और
अपराहन 2.30 बजे पुनः समवेत हुई।)

(निरन्तर व्यवधान के कारण लोक सभा अपराहन 2.43 बजे स्थगित हुई और
अपराहन 3.15 बजे पुनः समवेत हुई।)

(निरन्तर व्यवधान के कारण लोक सभा अपराहन 3.18 बजे स्थगित हुई और
अपराहन 4.01 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराहन 4.01 बजे

अध्यक्ष ने निम्नलिखित विनिर्णय दिया:—

“माननीय सदस्यगण, देश में असहिष्णुता की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के बारे में नियम 193 के अधीन चर्चा के दौरान श्री मोहम्मद सलीम ने माननीय गृह मंत्री के विरुद्ध कतिपय आरोप लगाए।

मैंने इस संबंध में श्री भर्तृहरि महताब और अन्य सदस्यों द्वारा किए गए निवेदनों को सुना। लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 353 के उपबंधों के अंतर्गत किसी सदस्य द्वारा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि इस संबंध में पर्याप्त अग्रिम

सूचना न दी जाए। विधिवत् विचार करने के पश्चात् मैंने पाया कि श्री मोहम्मद सलीम द्वारा अग्रिम सूचना दिए बिना वक्तव्य दिया गया है।

अतः श्री मोहम्मद सलीम की टिप्पणियां कार्यवाही का अंश नहीं रहेंगी।”

श्री मोहम्मद सलीम ने अपना भाषण पुनः आरंभ किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री के०सी० वेणुगोपाल
2. श्रीमती मीनाक्षी लेखी।
3. श्री दिनेश त्रिवेदी
4. श्री भर्तृहरि महताब

चर्चा पूरी नहीं हुई।

*सायं 7.03 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 1 दिसम्बर, 2015 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

*सायं 6.08 बजे से सायं 7.03 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 1 दिसम्बर, 2015/10 अग्रहायण, 1937 (शक)

संख्या 111

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 21—23 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 24—40 के मौखिक उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 231—460 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(i) विनिर्दिष्ट खाद्य सामग्रियों पर (अनुज्ञापितकरण अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध) निराकरण (दूसरा संशोधन) आदेश, 2015, जो 28 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2642(अ) में प्रकाशित हुआ था।

- (ii) विनिर्दिष्ट खाद्य सामग्रियों पर (अनुज्ञापितकरण अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध) निराकरण (संशोधन) आदेश, 2015, जो 18 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2857(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (2) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) ऑफिस ऑफ दि चीफ कमीशनर फॉर पर्सन्स विद् डिस्पैबिलिटीज़, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 से 2012-2013 तक के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) ऑफिस ऑफ दि चीफ कमीशनर फॉर पर्सन्स विद् डिस्पैबिलिटीज़, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 से 2012-2013 तक के वार्षिक प्रतिवेदन पर व्याख्यात्मक ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (एक) (क) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ख) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (दो) (क) राष्ट्रीय अनुसूचित जातियां वित्त और विकास निगम लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जातियां वित्त और विकास निगम लिमिटेड, दिल्ली

का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

4. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री आनंदराव अडसुल ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

- (1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) की अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में छठे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 13वां प्रतिवेदन।
- (2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और प्रेट्रोसरायन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में सातवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 14वां प्रतिवेदन।
- (3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) के 'जन औषधि योजना' विषय पर चौथे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 15वां प्रतिवेदन।
- (4) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में पांचवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 16वां प्रतिवेदन।

5. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

कुमारी अर्पिता घोष ने वाणिज्यिक पोत-परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2015 के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का 224वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

6. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

कुमारी अर्पिता घोष ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में समिति के 218वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 225वां प्रतिवेदन।

- (2) संस्कृति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में समिति के 219वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 226वां प्रतिवेदन।

*अपराहन 12.03 बजे

7. प्रस्ताव

श्री राजीव प्रताप रूडी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा 30 नवम्बर, 2015 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 22वें प्रतिवेदन से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराहन 12.40 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

- (1) श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा ताज एक्सप्रेस ट्रेन (आगरा-झांसी) का नाम लक्ष्मीबाई एक्सप्रेस किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा बरवाडीह-चिरीमिरी रेललाइन परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्रीमती रक्षाताई खाडसे द्वारा सरकारी, अर्द्ध-सरकारी तथा सरकारी उपक्रमों में चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों में भर्ती किए जाने संबंधी नए दिशानिर्देश बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री छेदी पासवान द्वारा बिहार के कैमूर जिले में भभुआ रोड़ रेलवे स्टेशन पर उर्वरकों के परिवहन के लिए रेक प्वाइंट बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री भैरों प्रसाद मिश्रा द्वारा उत्तर प्रदेश के बांदा और चित्रकूट जिलों के किसानों को राहत धनराशि का पूरा भुगतान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

*अपराहन 12.04 बजे से अपराहन 12.40 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

- (6) श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा राजस्थान के जयपुर और अजमेर में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत शहरी अवसंरचना और शासन के विकास हेतु बकाया निधियों को जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री शरद त्रिपाठी द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश विशेषतया राज्य के संत कबीर नगर संसदीय निर्वाचन में किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं तथा बीज उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्रीमती रीती पाठक द्वारा ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री विष्णु दयाल राम द्वारा सूखा प्रभावित राज्यों विशेषतया झारखंड में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने तथा उनके द्वारा लिए गए ऋण की वसूली पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा गुडगांव, हरियाणा में खेड़की दौला से मानेसर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर सर्विस रोड के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने तथा भारी वाहनों के लिए दिल्ली और जयपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर एक अलग सड़क बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री नाना पटोले द्वारा स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू किए जाने तथा कृषकों की कृषि संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए कृषि आयोग गठित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री राहुल कस्वां द्वारा राजस्थान से एक सदस्य भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड में नियुक्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री निशिकान्त दुबे द्वारा एकीकृत कार्य योजना के अंतर्गत झारखंड के नक्सल प्रभावित दुमका, गोड्डा, देवघर, जमतारा, पाकुर और साहिबगंज जिलों को सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा झारखंड के बोकारो जिले में नक्सलवाद की समस्या पर काबू पाने के लिए पर्याप्त अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री डी०के० सुरेश द्वारा न्यूनतम मजदूरी विनियमों के अनुसार मिड-डे मील वर्कर्स के मानदेय तथा वेतन में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (16) श्री एंटो एन्तेनी द्वारा रबड़ बोर्ड का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किए जाने तथा देश में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन द्वारा कालीकट अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की हवाई पट्टी की मरम्मत/रिकारपेंटिंग के कार्य में तेजी लाए जाने तथा एयर इंडिया की कालीकट-दिल्ली विमान सेवा को पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (18) श्री पी०आर० सुन्दरम द्वारा तमिलनाडु के सलेम में टैपियोका बोर्ड बनाए जाने तथा वहीं इसका मुख्यालय बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (19) डॉ० के० कामराज द्वारा तमिलनाडु में हुई भारी वर्षा से प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (20) डॉ० रत्ना (नाग) डे द्वारा देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर शौचालय तथा पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (21) श्री रवीन्द्र कुमार जेना द्वारा ओडिशा में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत मेगा पेयजल परियोजनाएं बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (22) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा महाराष्ट्र के लोनावाला में केन्द्रीय रेल संस्थान के भवन को हैरिटेज बिल्डिंग का दर्जा दिए जाने तथा इस भवन के परिसर में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे म्यूजियम स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (23) श्री केसिनेनी श्रीनिवास द्वारा आंध्र प्रदेश के सूखा प्रभावित जिलों के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (24) श्री राधेश्याम बिश्वास द्वारा असम के पंचग्राम में हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कचार पेपर मिल इकाई का पुनरुद्धार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (25) कुंवर हरिवंश सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए जाने हेतु एक पेयजल परियोजना विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.41 बजे

9. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 7 घंटे 56 मिनट

देश में असहिष्णुता की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के बारे में 30 नवम्बर, 2015 को श्री मोहम्मद सलीम द्वारा उठाई गई चर्चा पर आगे बहस जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री पी० कुमार
2. श्री गजानन चन्द्रकांत कीर्तिकर
3. श्री जयदेव गल्ला
- (लोक सभा अपराहन 1.10 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.13 बजे पुनः समवेत हुई)
4. श्री ए०पी० जितेन्द्र रेड्डी
5. श्री वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली
- *6. डॉ० सुभाष रामराव भामरे
- *7. श्री पी०सी० मोहन
- *8. श्री हुकुम सिंह
- *9. श्री राजीव शंकरराव सातव
- *10. श्री वाई०वी० सुब्बा रेड्डी
- *11. श्री सी०आर० चौधरी
- *12. श्री रामचन्द्रन मुल्लापल्ली
- *13. श्री पी०पी० चौधरी
- *14. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा
- *15. श्री मुकेश राजपूत
16. श्रीमती सुप्रिया सुले
- *17. श्रीमती रेणुका बुत्ता
- *18. श्री देवजी एम० पटेल
19. श्री धर्मेन्द्र यादव
- *20. कुमारी शोभा कारान्दलाजे
- *21. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
22. श्री प्रेमसिंह चंदूमाजरा

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- *23. कुमारी सुष्मिता देव
- 24. श्री जयप्रकाश नारायण यादव
- *25. श्री पी० करूणाकरन
- *26. श्री पी० के० बिजु
- *27. श्री मोहम्मद बदरुद्दोजा खान
- 28. डॉ० धर्म वीर गांधी
- 29. श्रीमती किरण खेर
- *30. श्री सुमेघानंद सरस्वती
- *31. श्री शरद त्रिपाठी
- 32. डॉ० एस० रत्ना डे (नाग)
- *33. डॉ० किरटि सोमैया
- *34. श्री डी० के० सुरेश
- *35. श्री बी० एस० येदियुरप्पा
- *36. श्री (एडवोकेट) जॉएस जॉर्ज
- *37. श्रीमती गीता कोथापल्ली
- 38. डॉ० शशि थरूर
- *39. श्री भैरों प्रसाद मिश्र
- *40. श्री चन्द्र प्रकाश जोशी
- *41. डॉ० वीरेन्द्र कुमार
- *42. श्री सुधीर गुप्ता
- *43. श्री आलोक संजर
- 44. प्रो०(डॉ०) सुगत बोस
- *45. श्री केशव प्रसाद मौर्य
- *46. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

47. श्री राधेश्याम बिश्वास
- *48. डॉ० बूरा नरसैय्या गौड
- *49. श्री रोडमल नागर
50. श्री दुष्यंत सिंह चौटाला
- *51. श्री अजय मिश्रा (टेनी)
- *52. श्री ए० टी० (नाना) पाटील
- *53. श्री सुभाष पटेल
- *54. डॉ० यशवंत सिंह
55. श्री ई०टी० मोहम्मद बशीर
56. श्रीमती अनुप्रिया पटेल
57. श्री किरेन रिजीजू
- *58. श्रीमती रमा देवी
59. श्री असादुद्दीन ओवैसी
60. श्री राहुल गांधी
- *61. कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल
- *62. डॉ० कुलमणि सामल
- *63. श्री एस० पी० मुद्दाहनुमे गौड़ा
- *64. श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी
65. श्री प्रह्लाद वेंकटेश जोशी
- *66. श्री आर० धुवनारायण
67. श्री कौशलेन्द्र कुमार
68. श्री सी० एन० जयदेवन
69. श्री एन० के० प्रेमचन्द्रन

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

श्री राजनाथ सिंह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

सायं 6.31 बजे

(लोक सभा बुधवार, 2 दिसम्बर, 2015 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 2 दिसम्बर, 2015/11 अग्रहायण, 1937 (शक)

संख्या 112

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 41 और 42 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 43 और 47 एक साथ लिए गए और उनके मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 44, 45, 46 और 48—60 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 461—690 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर, उमियम के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर, उमियम के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) एंट्रिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एंट्रिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (4) संविधान के अनुच्छेद 320(5) के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2015, जो 25 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांख्यिकी 655(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

4. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

डॉ० एम० तंबिदुरै ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 15वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति, लोक सभा (2015-16) के प्रतिवेदन

डॉ० एम० तंबिदुरै ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) पशु एम्बुलेंस के क्रय तथा एक ही गांव/स्थानीय क्षेत्रों में एक से अधिक सामुदायिक केन्द्र के निर्माण हेतु एमपीलैड मार्गनिर्देशों में आशोधन के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से प्राप्त प्रस्तावों के बारे में पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति, लोक सभा का तीसरा प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (2) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत सृजित आस्तियों के नाम सुविख्यात हस्तियों/राष्ट्रीय नायकों/स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखे जाने और संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की निधियों का उपयोग शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के सन्निधियों के अनुरूप विद्यालयों में असैन्य निर्माण कार्य के लिए किए जाने हेतु एमपीलैड्स के दिशा-निर्देशों में आशोधनों के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति, लोक सभा का चौथा प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

6. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री फैजल पी०पी० मोहम्मद ने पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा:—

- (1) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में समिति के 220वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 227वां प्रतिवेदन।

- (2) पोत-परिवहन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में समिति के 221वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 228वां प्रतिवेदन।
- (3) पर्यटन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में समिति के 222वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 229वां प्रतिवेदन।

***7. नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे :—

- (1) डॉ० महेन्द्र नाथ पाण्डेय द्वारा देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थित पुरातात्विक महत्व के स्थलों के रखरखाव और जीर्णोद्धार के लिए समुचित उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) डॉ० किरिट पी० सोलंकी द्वारा गुजरात सफाई कामदार विकास निगम के कर्मचारियों को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 बी) से छूट दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री सुमेधानन्द सरस्वती द्वारा सीकर और दिल्ली के बीच दैनिक रेलगाड़ी चलाने और सीकर-लोहारू-रेवाड़ी मार्ग पर रेलगाड़ियों की सेवा में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) डॉ० उदित राज द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों में लिप्त लोगों को कठोरतम दंड दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्रीमती जयश्रीबेन पटेल द्वारा मानवों की सुरक्षा और मुआवजे के भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु चिकित्सीय परीक्षण (क्लिनिकल ट्रायल) की निगरानी हेतु तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री रत्न लाल कटारिया द्वारा देश में मिट्टी के तेल में व्यापक मिलावट को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।

*अपराह्न 12.09 बजे।

- (7) श्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा किसानों को दिये गए कृषि ऋण पर ब्याज राजसहायता से संबंधित निधियों के संवितरण की पद्धति को बदले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री पी०पी० चौधरी द्वारा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच नदी जल वितरण की उचित निगरानी सुनिश्चित करने हेतु सभी ऑटोमेटिक गेज रिकॉर्डर्स को चालू किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री बोध सिंह भगत द्वारा मध्य प्रदेश के सीवनी और बालाघाट जिलों में कम वर्षा और कीटों के हमले के कारण फसल को हुई क्षति से परेशान किसानों को पर्याप्त मुआवजा दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री प्रहलाद जोशी द्वारा विद्युत समस्या से जूझ रहे कर्नाटक को केंद्रीय पूल से कम से कम एक हजार मेगावाट विद्युत प्रदान किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री चन्द्र प्रकाश जोशी द्वारा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित सांवलिया जी राजकीय सामान्य चिकित्सालय के ब्लड बैंक में एक कंपोनेंट यूनिट स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) कर्नल सोनाराम चौधरी द्वारा राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये विशेष पैकेज दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री देवेन्द्र सिंह भोले द्वारा उत्तर प्रदेश के अकबरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में यमुना नदी से लगे क्षेत्रों में बुंदेलखंड क्षेत्र जैसी सुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा भारत और श्रीलंका के बीच पवित्र रामसेतु की सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री आर० धुवनारायण द्वारा देश में स्कूलों में शौचालयों के निर्माण को सुविधाजनक बनाने हेतु स्वच्छ भारत मिशन के तहत मानदंडों में छूट दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा केरल में समस्या से जूझ रहे काजू उद्योग हेतु पुनरुद्धार पैकेज घोषित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) श्री ए० अनवर राजा द्वारा तमिलनाडु में मदुरै और धनुषकोडी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 49 को चार लेन का बनाये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (18) श्री टी०जी० वेंकटेश बाबू द्वारा श्रीलंका से कच्छाथीवू द्वीप वापस लिये जाने हेतु आवश्यक उपाय किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (19) श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा वर्ष 2015-16 हेतु पैकेजिंग मानदंडों में खाद्यान्नों और चीनी के लिये पटसन के बोरो का शत-प्रतिशत उपयोग अनिवार्य किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (20) डॉ॰ प्रभास कुमार सिंह द्वारा छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी के प्रस्तावित सुपर थर्मल विद्युत परियोजना का उचित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (21) श्री कृपाल बालाजी तुमाने द्वारा देश में निजी कोचिंग/ट्यूशन केंद्रों को विनियमित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (22) श्री जैदेव गल्ला द्वारा आईआईटी और एनआईटी में अध्ययन के बीच में ही पढ़ाई छोड़ने की समस्या पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (23) श्रीमती पी॰के॰ श्रीमथि टीचर द्वारा केरल के कन्नूर में अरालाम फार्म के अनुसूचित जनजाति समुदाय के कल्याण हेतु ट्रायबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स (टीआरआई) स्थापित किये जाने और मूलभूत सुविधाएं प्रदान किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (24) श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन द्वारा देश के काजू क्षेत्र के विकास हेतु उपाय किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 12.04 बजे

8. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

“माननीय सदस्यगण भारी वर्षा के कारण तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बाढ़ की स्थिति के साथ-साथ देश के कुछ भागों में सूखे पर विचार करते हुए माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने आज एक चर्चा आरंभ किए जाने का अनुरोध किया है।

यदि आप सभी सहमत हों तो हम इस विषय पर नियम 193 के अधीन तुरंत चर्चा आरंभ कर सकते हैं।

मुझे इस विषय पर कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल ने सबसे पहले सूचना दी है।

अब मैं डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल को चर्चा आरंभ करने के लिए आमंत्रित करती हूं।

अपराहन 12.10 बजे

9. नियम 193 के अधीन चर्चा

अनुमेय समय : 2 घंटे

लिया गया समय : 3 घंटे 19 मिनट

अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि डॉ० पी० वेणुगोपाल जो देश के कुछ भागों में बाढ़ की स्थिति के बारे में नियम 193 के अधीन चर्चा आरंभ करना चाहते थे, उन्होंने अनुरोध किया है कि श्री टी० जी० वेंकटेश बाबू को उनकी ओर से चर्चा आरंभ करने की अनुमति दी जाए और माननीय अध्यक्ष ने उनके अनुरोध को स्वीकार किया है।

तदनुसार, श्री टी० जी० वेंकटेश बाबू ने चर्चा आरंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

- (1) श्री पी०सी० मोहन
- (2) श्री सुदीप बंदोपाध्याय
- (3) श्री अधीर रंजन चौधरी
- (4) श्री भर्तृहरि महताब

अपराहन 2.13 बजे

(लोक सभा अपराहन 1.09 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.13 बजे पुनः समवेत हुई।)

- (5) श्री एम० वेंकैया नायडू
- (6) श्री थोटा नरसिम्हम
- (7) श्रीमती पी० के० श्रीमथि टीचर
- (8) श्री मेकापति राजमोहन रेड्डी
- (9) श्री ए० अरूणमणिदेवन
- (10) कुमारी सुष्मिता देव
- (11) श्री हरि बाबू कंभमपति
- (12) श्री धर्मेन्द्र यादव
- (13) श्री आर० राधाकृष्णन
- (14) श्री भगवंत मान

- (15) मौलाना बदरुद्दीन अज़मल
- (16) श्री विजय कुमार एस०आर०
- (17) डॉ० जयकुमार जयवर्धन
- (18) डॉ० प्रभास कुमार सिंह
- (19) श्री राजेश रंजन (पप्पू यादव)
- (20) डॉ० वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली
- (21) श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव (अवन्ति)
- (22) श्री फैजल पी०पी० मोहम्मद
- (23) श्री रामेश्वर तेली
- (24) श्री कौशलेन्द्र कुमार
- (25) श्री नीनोंग ईरींग
- *(26) श्री भैरों प्रसाद मिश्र
- *(27) श्री रवीन्द्र कुमार जेना
- *(28) श्रीमती गीता कोथापल्ली
- *(29) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल
- *(30) श्री वीरेन्द्र कुमार चौधरी
- *(31) श्री देवजी एम० पटेल
- (32) श्रीमती के० मरगथम
- (33) श्री जुगल किशोर शर्मा
- *(34) प्रो० रिचर्ड हे
- (35) श्री पी० करुणाकरन
- *(36) श्री अजय मिश्रा (टेनी)
- (37) श्री अरविंद गणपत सावंत
- (38) श्री दुष्यंत चौटाला
- (39) डॉ० (श्रीमती) ममताज संघमिता
- *(40) श्री पी० के० बीजू
- *(41) डॉ० कुलमणि सामल

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- *(42) श्री सी०आर० चौधरी
- *(43) श्री आर० धुवनारायण
- *(44) डॉ० रमेश पोखिरियाल निशंक
- *(45) श्रीमती अपरूपा पोद्दार
- *(46) श्री एस०पी० मुद्दाहनुमे गौड़ा
- *(47) कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल
- (48) श्री के०सी० वेणुगोपाल
- *(49) श्री संजय धोत्रे
- (50) श्री एम० चन्द्राकाशी
- (51) डॉ० पी० वेणुगोपाल
- *(52) श्री पी०पी० चौधरी

#उपाध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

“माननीय सदस्यगण, प्रातः माननीय अध्यक्ष ने तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश और पश्चिम बंगाल में बाढ़ और देश के कुछ भागों में सूखे की स्थिति के बारे में नियम 193 के अधीन तत्काल चर्चा के लिए सभा की राय प्राप्त की।

चर्चा के दौरान संसदीय कार्य मंत्री सहित अनेक नेताओं ने तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में विद्यमान स्थिति की गंभीरता को देखते हुए यह विचार व्यक्त किया कि चर्चा को बाढ़ की स्थिति तक ही सीमित रखा जाए।

यदि सभा सहमत हो तो हम सूखे की स्थिति पर बाद में चर्चा ले सकते हैं।

तदनुसार, हम चर्चा और उत्तर बाढ़ की स्थिति तक ही सीमित रखें।

आशा है सभा इससे सहमत है”

सभा सहमत हुई।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 3.42 बजे

अपराहन 4.33 बजे

10. सरकारी विधेयक — पारित

विमान वहन (संशोधन) विधेयक, 2005

लिया गया समय: 1 घंटा 13 मिनट

श्री पी० अशोक गजपति राजू ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

- (1) श्री एंटो एन्टोनी
- (2) श्री जी० हरि
- (3) डॉ० तपस मंडल
- (4) डॉ० कुलमणि सामल
- (5) श्री नरसिम्हम थोट्टा
- (6) श्री मोहम्मद बदरुद्दोजा खान
- (7) श्री बूरा नरसैय्या गौड
- (8) श्री कौशलेन्द्र कुमार
- (9) श्री शरद त्रिपाठी
- (10) श्री एन्०के० प्रेमचन्द्रन
- (11) श्री एम० राजामोहन रेड्डी

श्री पी० अशोक गजपति राजू ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री पी० अशोक गजपति राजू ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 5.46 बजे

11. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक, 2015

आवंटित समय : 3 घंटे

लिया गया समय : 14 मिनट

शेष समय : 2 घंटे 46 मिनट

श्री रामविलास पासवान ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

@सायं 7.48 बजे

(लोक सभा गुरूवार, 3 दिसम्बर, 2015 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

@ सायं 6 बजे से सायं 7.48 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—3200LS(S3)—02-12-2015.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 3 दिसम्बर, 2015/12 अग्रहायण, 1937 (शक)

संख्या 113

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने भोपाल गैस त्रासदी के 31वीं बरसी के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 61—64 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 65—80 के मौखिक उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 691—920 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) भारतीय विधि आयोग के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (एक) प्रतिवेदन संख्या 253 — “उच्च न्यायालयों और वाणिज्यिक न्यायालयों के वाणिज्यिक संभाग और वाणिज्यिक अपीलीय संभाग विधेयक, 2015 — जनवरी, 2015”
- (दो) प्रतिवेदन संख्या 254 — “भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013 — फरवरी, 2015”
- (2) भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 113 के अंतर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2015 जो 28 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2368(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ कार्पेट टेक्नोलॉजी, भदोही के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (4) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ कार्पेट टेक्नोलॉजी, भदोही के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) कोल इंडिया लिमिटेड और कोयला मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ० एम० वीरप्पा मोइली ने वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

- (1) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 19वां प्रतिवेदन*।
- (2) योजना मंत्रालय की “आयोजना प्रक्रिया—एक समीक्षा” विषय पर 20वां प्रतिवेदन*।

* ये तीनों प्रतिवेदन, लोक सभा अध्यक्ष के निदेश के निदेश 71क के अंतर्गत 7 अक्टूबर, 2015 को माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किए गए।

- (3) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं विभाग) और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की “सामूहिक निवेश योजनाएं (सीआईएस), चिट फण्ड, आदि नियमन की प्रभावकारिता” विषय पर 21वां प्रतिवेदन*।
- (4) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं और विनिवेश विभाग) की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 22वां प्रतिवेदन।
- (5) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 23वां प्रतिवेदन।
- (6) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 24वां प्रतिवेदन।
- (7) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 25वां प्रतिवेदन।
- (8) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 14वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 26वां प्रतिवेदन।

अपराहन 12.07 बजे

6. सरकारी विधेयक — पुरःस्थापित

माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2015

7. अध्यादेश के बारे में विवरण

माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का संख्यांक 9) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

* ये तीनों प्रतिवेदन, लोक सभा अध्यक्ष के निदेश के निदेश 71क के अंतर्गत 7 अक्टूबर, 2015 को माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किए गए।

अपराह्न 12.08 बजे

8. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 3 घंटे 51 मिनट

श्री टी०जी० वेंकटेश बाबू द्वारा 2 दिसम्बर, 2015 को देश के कई भागों में बाढ़ की स्थिति के बारे में उठाई गई चर्चा पर आगे बहस जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने सभा पटल पर अपने लिखित भाषण रखे:—

- (1) डॉ० किरीट सोमैया
- (2) श्री किंजरपू राम मोहन नायडू
- (3) श्री डी०के० सुरेश
- (4) डॉ० किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी
- (5) श्री ए०टी० (नाना) पाटील
- (6) कु० शोभा करांदलाजे

श्री राजनाथ सिंह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

#अपराह्न 12.41 बजे

9. सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) सर्वश्री एंटो एंटनी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने केरल के रबर किसानों के समक्ष आ रही कठिनाइयों के बारे में निवेदन किए।

डॉ० किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी, श्री रामचन्द्रन मुल्लापल्ली, श्री एम०के० राघवन, श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन, श्री पी० करूणाकरन, श्री सुरेश कोडिकुन्नील, श्री जोस के० मणि, श्री पी०के० बीजू, एड० जॉएस जॉर्ज, श्री डी०के० सुरेश, श्री ध्रुवनारायण रंगास्वामी और श्री राजीव शंकराव सातव सहयोजित हुए।

श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.41 बजे से अपराह्न 1.39 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराहन 12.59 बजे

- (दो) श्री अर्जुन राम मेघवाल ने डॉ० राजेन्द्र प्रसाद के नाम पर उनके जन्म स्थान ग्राम जीरादेई, जिला सीवान, बिहार में एक स्मारक का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में निवेदन किया।

डॉ० राजेन्द्र अग्रवाल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री अश्विनी कुमार चौबे, श्री देवजी एम० पटेल, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री रोडमल नागर, श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल, श्री केशव प्रसाद मौर्य, कुमारी सुष्मिता देव, श्री राम चरित्र निषाद, श्री सुधीर गुप्ता, श्री श्रीरंग अप्पा बारणे और श्री सी०आर० चौधरी सहयोजित हुए।

श्री राजीव प्रताप रूडी ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराहन 1.39 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.43 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराहन 2.43 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

- (1) श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश ने देश में समयपूर्व प्रसव के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने हेतु उपचारात्मक कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (2) श्री भोला सिंह ने बिहार में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत होने वाली अनियमितताओं की सीबीआई जांच कराए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (3) श्री सतीश चंद्र दुबे ने बिहार के वाल्मिकी नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लैंड कस्टम स्टेशन स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (4) श्री कपिल मोरेश्वर पाटील ने महाराष्ट्र में कल्याण-टिक्टवाला-मुरबाड को जोड़ने वाली रेल लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (5) श्री जुगल किशोरदेश ने देश के सैन्य बलों में जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे युवाओं के लिए रोजगार हेतु विशेष भर्ती अभियान शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (6) डॉ० भागीरथ प्रसाद ने मध्य प्रदेश के भिंड में रक्षा उत्पादन इकाई स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (7) श्री सुधीर गुप्ता ने मंदसौर, मध्य प्रदेश में एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल एवं कॉलेज स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

- (8) कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल ने देश में, विशेषरूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में तालाबों और झीलों से अतिक्रमण हटाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (9) श्री चिन्तामन नावाशा बांगा ने पालघर, महाराष्ट्र में नया बीएसएनएल दूरसंचार जिला स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (10) श्री राघव लखनपाल ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक विमानपत्तन स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (11) श्री रोडमल नागर ने मध्य प्रदेश के गुना और मक्सी होते हुए इलाहाबाद और अजमेर के बीच एक नई रेल सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (12) श्री ए० अरुणमणिदेवन ने तमिलनाडु के कुड्डलोर जिले में बाढ़ की स्थिति का समाधान करने हेतु नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन द्वारा सीएसआर फंड जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (13) श्री वी० एलुमलाई ने अटल मिशन शहरों में जलापूर्ति परियोजनाओं को क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (14) श्री भर्तृहरि महताब ने ओडिशा थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लि० को टेनटुलोई कोल ब्लॉक के बदले छेनड़ीपाड़ा एवं छेनड़ीपाड़ा-दो कोल ब्लॉक आबंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (15) श्री गजानन कीर्तिकर ने महाराष्ट्र के मुंबई में लाल बहादुर शास्त्री कालेज में कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (16) एडवोकेट जोएस जार्ज ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में डेयरी किसानों को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (17) श्री वीरेन्द्र कश्यप ने हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले के गीरी-पार क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (18) श्री अंशुल वर्मा ने उत्तर प्रदेश के हरदोई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सड़कों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (19) श्री सुशील कुमार सिंह ने बिहार के औरंगाबाद और गया जिलों में पर्याप्त वर्षा नहीं होने और फसल में रोग लग जाने से पीड़ित किसानों को समुचित क्षतिपूर्ति किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

- (20) डॉ० मनोज राजोरिया ने जिला धौलपुर, राजस्थान की राजाखेड़ा तहसील में नया नागर विमानपत्तन स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

अपराह्न 3.20 बजे

11. सरकारी विधेयक — पारित

भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक, 2015

लिया गया समय : 3 घंटे 40 मिनट

श्री रामविलास पासवान द्वारा 2 दिसम्बर, 2015 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

- (1) प्रो० के० वी० थॉमस
- (2) डॉ० संजय जायसवाल
- (3) श्री ए० अनवर राजा
- (4) डॉ० (श्रीमती) ममताज संघमिता
- (5) श्री रवीन्द्र कुमार जेना
- (6) श्री जयदेव गल्ला
- (7) श्री कोण्डा विश्वेश्वर रेड्डी
- (8) श्री पी० के० बीजू
- (9) श्री अरविन्द गणपत सावंत
- (10) श्री मेकापति राजामोहन रेड्डी
- (11) श्री अक्षय यादव
- (12) श्री ओम बिरला
- (13) श्री भगवंत मान
- (14) श्री अभिजीत मुखर्जी
- (15) श्री चरनजीत सिंह रोड़ी

- (16) श्री गोपाल शेड्डी
- (17) श्री ई० टी० मोहम्मद बशीर
- (18) प्रो० रिचर्ड हे
- (19) श्री एन० के० प्रेमचन्द्रन
- (20) श्री कौशलेन्द्र कुमार
- (21) श्री रतन लाल कटारिया

श्री राम विलास पासवान ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

खंड 4 स्वीकृत हुआ।

खंड 5 और 6 स्वीकृत हुए।

खंड 7 और 8 स्वीकृत हुए।

खंड 9 स्वीकृत हुआ।

खंड 10 से 13 स्वीकृत हुए।

खंड 14 से 16 स्वीकृत हुए।

खंड 17 स्वीकृत हुआ।

खंड 18 से 24 स्वीकृत हुए।

खंड 25 से 28 स्वीकृत हुए।

खंड 29 स्वीकृत हुआ।

खंड 30 से 32 स्वीकृत हुए।

खंड 33 से 43 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री राम विलास पासवान ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

सायं 6.46 बजे

12. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2015

आवंटित समय : 2 घंटे

लिया गया समय : 01 मिनट

शेष समय : 1 घंटा 59 मिनट

श्री डी० वी० सदानंद गौड़ा ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.47 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 4 दिसम्बर, 2015 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र

महासचिव

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 4 दिसम्बर, 2015/13 अग्रहायण, 1937 (शक)

संख्या 114

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 81—84 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 85—100 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 921—1150 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) राष्ट्रीय आरोग्य निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) (एक) नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) ओषधि और प्रसाधन सामग्री (दूसरा संशोधन) नियम, 2015 जो 18 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 203(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) ओषधि और प्रसाधन सामग्री (तीसरा संशोधन) नियम, 2015 जो 15 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 289(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) ओषधि और प्रसाधन सामग्री (पांचवा संशोधन) नियम, 2015 जो 31 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 611(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (4) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कारबार स्थान) विनियम, 2015 जो 21 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० आईआरडीएआई रेग./9/99/2015 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा अभिलेख रखना) विनियम, 2015 जो 20 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० आईआरडीएआई रेग./10/100/2015 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कॉर्पोरेट अभिकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2015 जो 26 अगस्त, 2015 के भारत के

राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० आईआरडीएआई रेग./12/102/2015 में प्रकाशित हुए थे।

- (5) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
 - (एक) भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य (संशोधन) विनियम, 2013 जो 25 अक्टूबर, 2013 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 42 में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य (संशोधन) विनियम, 2014 जो 24 अक्टूबर, 2014 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 42 में प्रकाशित हुए थे।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत जीवन बीमा निगम (संशोधन) नियम, 2015 जो 24 मई, 2014 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांका०नि० 199 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
 - (एक) सांका०नि० 813(अ) जो 28 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 6 अक्टूबर, 2010 की अधिसूचना संख्या 108/2010-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
 - (दो) सांका०नि० 825(अ) जो 30 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपादन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा प्रारंभ की गई नई शिपर समीक्षा को अंतिम रूप दिए जाने तक पाकिस्तान, सउदी अरब और यूएई से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा मेसर्स तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पाकिस्तान (निर्यातक) द्वारा निर्यातित 4 एमएम से 12 एमएम (दोनों सम्मिलित) के नॉमिनल मोटाई वाले क्लीयर फ्लोट ग्लास के आयातों के अनंतिम निर्धारण का आदेश देना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (तीन) सांकांनि 591(अ) जो 28 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित सनसेट समीक्षा जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित “काम्पेक्ट फ्लोरसेंट लेम्प्स जो बलास्ट या बलास्ट के बिना या कंट्रोल गियर या चोक के बिना, चाहे असेम्बलड हुए रूप में या नहीं, या पूर्ण रूप से नॉक डाऊन या सेमी नॉक डाऊन कंडीशन में हो” के आयातों पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की तारीख अर्थात् 28 जुलाई, 2015 से 5 वर्ष की अवधि तक निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सांकांनि 609(अ) जो 31 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मेसर्स फोशन दिहाई ट्रेडिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य (निर्यातक) के माध्यम से मेसर्स गाओयाओं मार्शल सिरामिक्स कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य (विनिर्माता) से सिरामिक ग्लेज्ड टाइल्स के सभी आयातों पर अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप दिए जाने हेतु विहित किया जाना है, जो 15 दिसम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या 109/2011-सी॰शु॰ के अनुसरण में अनंतिम निर्धारण के अध्वधीन है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। इस तरह का अंतिम रूप दिया जाना प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा 2 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या 15/38/2010-डीजीएडी के द्वारा नई शिपर समीक्षा के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में है तथा 2 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या 127/2009-सी॰शु॰ के द्वारा विहित दर पर किया जाना है।
- (पांच) सांकांनि 610(अ) जो 31 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 15 दिसम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या 109/2011-सी॰शु॰ को निरस्त करना है, जिनके द्वारा चीन जनवादी गणराज्य से सिरामिक ग्लेज्ड टाइल्स के आयात के मामले में अनंतिम निर्धारण विहित किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) सांकांनि 616(अ) जो 6 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 जुलाई, 2010 की अधिसूचना संख्या 76/2010-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (सात) सांकांनि 617(अ) जो 6 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित प्रतिपाटन जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित “विटामिन सी” के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) सांकांनि 624(अ) जो 12 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित प्रतिपाटन जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य और हांगकांग से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ‘फ्लैक्स या लीनेन फेब्रिक, जिसमें फ्लैक्स का हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक हो’ के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) सांकांनि 625(अ) जो 12 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित प्रतिपाटन जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में कोरिया गणराज्य और ताइवान से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ‘पोटाशियम कार्बोनेट’ के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) सांकांनि 637(अ) जो 17 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित प्रतिपाटन जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य और स्वीट्जरलैंड से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ‘डिकेटोपाइरोलो पाइरोल पिग्मेंट रेड 254’ के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) सांकांनि 640(अ) जो 18 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित प्रतिपाटन जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ‘कास्टिक सोडा’ के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन

शुल्क अधिरोपित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (बारह) सांका० 641(अ) जो 18 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 25 अगस्त, 2011 की अधिसूचना संख्या 82/2011-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेरह) सांका० 642(अ) जो 18 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 अगस्त, 2009 की अधिसूचना संख्या 89/2009-सी० शु० को निरस्त किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौदह) सांका० 652(अ) जो 24 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपादन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित प्रतिपादन जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में कोरिया गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सभी श्रेणियों और सभी सांद्रणों के फास्फोरिक एसिड (कृषि और उर्वरक श्रेणी को छोड़कर) के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपादन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पंद्रह) सांका० 675(अ) जो 4 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 'कोरिया गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित एक्रिलोनिट्राइल बुटाडाइन रबर' के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपादन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सोलह) सांका० 687(अ) जो 8 नवम्बर 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 'चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 2 एमएम से 12 एमएम (दोनों सम्मिलित) मोटाई वाले स्पष्ट और टिन्टेड किस्म (ग्रीन ग्लास से भिन्न) के फ्लोट ग्लास लेकिन इसमें सजावटी, औद्योगिक या स्वचालित प्रयोजनों के लिए लक्षित रिफ्लेक्टिव ग्लास, प्रोसेस्ड ग्लास शामिल नहीं है' के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपादन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सत्रह) सांका० 694(अ) जो 14 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय गैर धातु के बने विनिर्दिष्ट हाटरोल्ड फ्लैट उत्पाद और अन्य धातु इस्पात जो कि छल्ले के रूप में हैं और जिसकी मोटाई

600 एमएम या इससे अधिक हो, पर 200 दिनों की अवधि के लिए 20 प्रतिशत मूल्यानुसार की दर से अनंतिम रक्षोपाय शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (अठारह) सार्कानि 801(अ) जो 21 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 'चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 6 एमएम या उससे अधिक मोटाई वाले प्लेन मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड' के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपादन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (उन्नीस) सार्कानि 802(अ) जो 21 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपादन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित सनसेट समीक्षा जांच के अंतिम निष्कर्ष के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित भारी और मीडियम वाणिज्यिक वाहनों के लिए बने फ्रंट एक्सल बीम और स्टीयरिंग नकल्स के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपादन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बीस) सार्कानि 803(अ) जो 21 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपादन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित प्रतिपादन जांच के अंतिम निष्कर्ष के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य और यूएई से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'हेक्सामिन' के आयातों पर 5 वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपादन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (इक्कीस) सार्कानि 804(अ) जो 21 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपादन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित प्रतिपादन जांच के अंतिम निष्कर्ष के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य और थाईलैंड से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'आल फुली ड्रान अथवा फुली ओरिएंटेड यार्न/स्पिन ड्रा यार्न/फ्लैट यार्न और पालिएस्टर (नान-टेक्सचर्ड एंड नान-पीओवाई)' के आयातों पर 5 वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपादन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(9) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

- (एक) सांका० 799(अ) जो 21 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या 25/2015-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सांका० 842(अ) जो 6 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 15 नवम्बर, 2015 को ऐसी तारीख के रूप में नियत किया गया है, जिस दिन से वित्त अधिनियम, 2015 के अध्याय छह के उपबंध प्रवृत्त होंगे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सांका० 843(अ) जो 6 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सभी कराधेय सेवाओं पर स्वच्छ भारत उपकर की दर के रूप में 0.5 प्रतिशत दर विहित की गई है और कराधेय सेवाओं के मूल्य की 0.5 प्रतिशत दर पर परिकलित उपकर की अधिक राशि को स्वच्छ भारत उपकर की इस तरह की राशि की संदायगी से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सांका० 853(अ) जो 12 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 6 नवम्बर, 2015 की अधिसूचना संख्या 22/2015-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सांका० 854(अ) जो 12 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा यह उपबंध किया गया है कि स्वच्छ भारत उपकर के प्रयोजनों के लिए प्रतिक्रम प्रभार तंत्र के संबंध में 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 30/2012-सेवा कर के उपबंध लागू होंगे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2015 जो 12 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांका० 855(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(10) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

- (एक) सांकांनि 791(अ) जो 19 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सेनवैट क्रेडिट (पांचवां संशोधन) नियम, 2015 जो 29 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 818(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सांकांनि 844(अ) जो 6 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सांकांनि 560(अ) जो 17 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 जुलाई, 2004 की अधिसूचना संख्या 30/2004-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सांकांनि 561(अ) जो 17 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या 1/2011-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) सांकांनि 562(अ) जो 17 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) सांकांनि 571(अ) जो 21 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 जुलाई, 2004 की अधिसूचना संख्या 30/2004-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) सांकांनि 572(अ) जो 21 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या 1/2011-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (नौ) सांका० 573(अ) जो 21 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-के०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) सांका० 600(अ) जो 30 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 29 नवम्बर, 2013 की अधिसूचना संख्या 30/2013-के०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) सांका० 716(अ) जो 17 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-के०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बारह) सेनवैट क्रेडिट (चौथा संशोधन) नियम, 2015 जो 7 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांका० 764(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (11) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (एक) सांका० 598(अ) जो 30 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 29 नवम्बर, 2013 की अधिसूचना संख्या 49/2013-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सांका० 599(अ) जो 30 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/96-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सांका० 613(अ) जो 4 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सांका० 716(अ) जो 17 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सांका० 731(अ) जो 22 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय टेलीकॉम ग्रेड ऑप्टिकल फाइबर अथवा ऑप्टिकल

फाइबर केबल के विनिर्माण के लिए एचडीपीई को प्रदान की गई मूलभूत सीमाशुल्क की छूट को वापस लेना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (छह) सांका० 748(अ) जो 30 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) सांका० 756(अ) जो 5 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) सांका० 788(अ) जो 16 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या 27/2011-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) सांका० 790(अ) जो 19 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (12) राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 की धारा 9 के अंतर्गत राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंध (दूसरा संशोधन) नियम, 2015 जो 2 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांका० 829(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टिट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री शांता कुमार ने केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के चुनिंदा उपक्रमों में कापॉरेट सामाजिक उत्तरदायित्व' विषय पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (16वीं लोक सभा) का 8वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 7 दिसम्बर, 2015 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्यों के बारे में एक वक्तव्य दिया।

6. राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री मनोहर पर्रिकर की ओर से श्री राव इंद्रजीत सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 के खण्ड 12(1)(i) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराहन 12.11 बजे

7. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

“माननीय सदस्यगण, ऐसा पाया गया है कि शून्यकाल के दौरान बहुत से सदस्य ऐसा विषयों की सूचना देते हैं जो राज्य विधानमंडलों की अधिकारिता के भीतर आते हैं। संविधान में उपबंधित व्यवस्था के अनुसार ऐसा कोई विषय जो अनन्य रूप से राज्य विधानमंडल के अधीन है, संसद में नहीं उठाया जा सकता है।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि सभा में ऐसे विषय न उठाएं जो राज्य विधान मंडल की अधिकारिता में हैं।

(लोक सभा अपराहन 1.16 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.15 बजे पुनः समवेत हुई।)

(अपराहन 2.25 बजे, अपर सचिव ने घोषणा की कि चूंकि सभा में गणपूर्ति नहीं है, अतः माननीय उपाध्यक्ष ने निदेश दिया कि लोक सभा अपराहन 2.45 बजे समवेत होगी।)

*अपराहन 12.12 बजे से अपराहन 1.16 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

.अपराहन 2.15 बजे से अपराहन 2.25 बजे गणपूर्ति की घंटी तीन बार बजाई गई।

अपराह्न 2.45 बजे

8. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2015

आवंटित समय : 2 घंटे

लिख गया समय : 46 मिनट

शेष समय : 1 घंटा 14 मिनट

श्री डी०वी० सदानंद गौड़ा द्वारा 3 दिसम्बर, 2015 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

- (1) श्री एस०पी० मुद्दाहनुमे गौड़ा
- (2) डॉ० सत्यपाल सिंह
- (3) श्री कल्याण बनर्जी
- (4) डॉ० के०के० कामराज (भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 3.30 बजे

9. प्रस्ताव

श्री कामाख्या प्रसाद तासा और श्री थांगसो बाइटे ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा 12 अगस्त और 2 दिसम्बर, 2015 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के क्रमशः 14वें और 15वें प्रतिवेदनों से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.31 बजे

10. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरःस्थापित

- (1) श्री राकेश सिंह का भारत का उच्चतम न्यायालय (जबलपुर में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2015

- (2) श्री विनोद कुमार बोड़नापल्ली का तेलंगाना राज्य (विशेष श्रेणी का दर्जा और वित्तीय सहायता) विधेयक, 2015
- (3) श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन का अविवाहित जनजातीय महिलाएं (संरक्षण और कल्याण) विधेयक, 2015
- (4) डॉ० भोला सिंह का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुच्छेद 58 का संशोधन आदि)
- (5) डॉ० भोला सिंह का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुच्छेद 275क और 371ट का संशोधन, आदि)
- (6) डॉ० भोला सिंह का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुच्छेद 31 का अन्तःस्थापन)
- (7) श्री फिरोज वरुण गांधी का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2015 (नई धारा 17क का अंतःस्थापन)
- (8) श्री फिरोज वरुण गांधी का आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 4 का संशोधन आदि)
- (9) श्री राजीव सातव का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (नए अनुच्छेद 340 का प्रतिस्थापन)
- (10) श्री विंसेंट एच० पाला का संविधान की छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक, 2015 (छठी अनुसूची का संशोधन)
- (11) श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (सातवीं अनुसूची का संशोधन)
- (12) श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत का केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी (अनिवार्य राष्ट्रीय विपद अनुक्रिया प्रशिक्षण) विधेयक, 2015
- (13) श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन का (नस्लीय भेदभाव संरक्षण) विधेयक, 2015
- (14) श्री रवीन्द्र कुमार जेना का साक्षी (पहचान का संरक्षण) विधेयक, 2015
- (15) श्री रवीन्द्र कुमार जेना का राष्ट्रीय सड़क परिवहन सुरक्षा और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2015
- (16) श्री पी० करुणाकरन का कैंसर रोगी (निःशुल्क चिकित्सीय उपचार) विधेयक, 2015

- (17) श्री महेश गिरी का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2015
- (18) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल का गरीब और निराश्रित कृषि कर्मकार (कल्याण) विधेयक, 2015
- (19) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल का विधवा (संरक्षण और भरण-पोषण) विधेयक, 2015
- (20) श्री ई० टी० मोहम्मद बशीर का न्यूनतम मजदूरी (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 3, आदि का संशोधन)
- (21) श्री ई० टी० मोहम्मद बशीर का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 12 का संशोधन)
- (22) श्री ई० टी० मोहम्मद बशीर का संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2015 (पैरा 3 का संशोधन)
- (23) श्री ई० टी० मोहम्मद बशीर का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुच्छेद 15 और 16 का संशोधन)
- (24) श्रीमती जयश्रीबेन के० पटेल का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुच्छेद 51क का संशोधन)
- (25) श्रीमती जयश्रीबेन के० पटेल का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (नए अनुच्छेद 16क और 29क का अंतःस्थापन)
- (26) श्रीमती जयश्रीबेन के० पटेल का भारत का उच्चतम न्यायालय (अहमदाबाद में स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2015
- (27) श्रीमती सुप्रिया सुले का अपशिष्ट पृथक्करण और संग्रहण विधेयक, 2015
- (28) श्रीमती सुप्रिया सुले का पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2015 (नए अध्याय IIIक का अंतःस्थापन)
- (29) श्रीमती सुप्रिया सुले का शैक्षणिक संस्थाओं में वित्तीय शिक्षा का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2015
- (30) श्रीमती सुप्रिया सुले का मानसिक स्वास्थ्य (संशोधन) विधेयक, 2015 (नए अध्याय IIIक का अंतःस्थापन)

अपराह्न 4.33 बजे

11. गैर सरकारी सदस्य का विधेयक—विचाराधीन

अनिवार्य मतदान विधेयक, 2014

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा 13 मार्च, 2015 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

- (1) श्री निशिकांत दुबे (अपना भाषण पुनः आरंभ किया)
- (2) श्री अधीन रंजन चौधरी
- (3) श्री महेश गिरी
- (4) श्री निनॉग ईरींग (भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.00 बजे

(लोक सभा सोमवार, 7 दिसम्बर, 2015 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 7 दिसम्बर, 2015/16 अग्रहायण, 1937 (शक)

संख्या 115

*पूर्वाह्न 11.03 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 101—105 के मौखिक उत्तर दिए गए। जिस सदस्य के नाम पर तारांकित प्रश्न संख्या 106 सूचीबद्ध था, वे अनुपस्थित थे। तथापि संबंधित मंत्री ने उत्तर सभा पटल पर रखा। प्रश्न संख्या 106 के पूरक प्रश्न पूछे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 107—120 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1151—1380 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) ओम्नीबस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ दमन एण्ड दीव एण्ड दादर एण्ड नागर हवेली लिमिटेड, नानी दमन के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

*पूर्वाह्न 11.00 बजे से पूर्वाह्न 11.03 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्त्व के मामले उठाए।

- (दो) ओम्नीबस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ दमन एण्ड दीव एण्ड दादर एण्ड नागर हवेली लिमिटेड, नानी दमन का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) मजदूरी का संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 26 की उप-धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (एक) मजदूरी का संदाय (खान) (संशोधन) नियम, 2015 जो 1 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 351(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका शुद्धिपत्र 1 सितम्बर, 2015 की अधिसूचना संख्या सांकांनि 672(अ) में दिया हुआ है (केवल हिन्दी संस्करण में)।
- (दो) मजदूरी का संदाय (हवाई परिवहन सेवाएं) (संशोधन) नियम, 2015 जो 1 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 352(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) मजदूरी का संदाय (रेल) (संशोधन) नियम, 2015 जो 1 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 353(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (एक) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (4) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) संशोधन आदेश, 2015 जो 5 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 838(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, हैदराबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, हैदराबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) एमएमटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एमएमटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (7) (एक) सेंट्रल मैन्यूफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल मैन्यूफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) बेसिक केमिकल्स फार्मास्यूटिकल्स कॉस्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (केमेक्सिल), मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बेसिक केमिकल्स फार्मास्यूटिकल्स कॉस्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (केमेक्सिल), मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन ट्रस्ट फण्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन ट्रस्ट फण्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 की धारा 29 की उप-धारा (4) के अंतर्गत कैल्शियम कार्बाइड (संशोधन) नियम, 2015 जो 20 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 647(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 55 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) नियम, 2015 जो 20 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 564(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) विशेष आर्थिक जोन (दूसरा संशोधन) नियम, 2015 जो 12 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 627(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (13) बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 28क की उप-धारा (2) के अंतर्गत भारतीय बॉयलर (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015 जो 26 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 664(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान महाराष्ट्र, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान महाराष्ट्र, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान छत्तीसगढ़-स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस, रायपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान छत्तीसगढ़-स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस, रायपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) केआईओसीएल लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) केआईओसीएल लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) एमएमटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एमएमटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ड) (एक) एमओआईएल लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एमओआईएल लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (21) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग, कांचीपुरम के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग, कांचीपुरम के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग, कांचीपुरम के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) योजना और वास्तुकला विद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा 40 की उपधारा (2) के अंतर्गत योजना और वास्तुकला विद्यालय (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2015 जो 23 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2605(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री राजीव प्रताप रूडी ने कार्य मंत्रणा समिति का तेईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

5. गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती किरण खेर ने गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) दिल्ली पुलिस के कार्यकरण के बारे में 176वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 189वां प्रतिवेदन।
- (2) जम्मू और कश्मीर में बाढ़ और भू-स्खलन के पश्चात् बचाव कार्य, पुनर्वासन और पुनर्निर्माण के बारे में 182वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 190वां प्रतिवेदन।

- (3) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में 186वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 191वां प्रतिवेदन।
- (4) गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में 185वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 192वां प्रतिवेदन।

6. उद्योग संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री एस०पी० मुद्दाहनुमे गौडा ने उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में समिति के 266वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 269वां प्रतिवेदन।
- (2) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में समिति के 265वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 270वां प्रतिवेदन।

7. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री विन्सेंट एच० पाला ने लोकपाल और लोकायुक्त तथा अन्य संबंधित विधि (संशोधन) विधेयक, 2014 के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का 77वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

8. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य

श्री विन्सेंट एच० पाला ने लोकपाल और लोकायुक्त तथा अन्य संबंधित विधि (संशोधन) विधेयक, 2014 के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य सभा पटल पर रखा।

9. मंत्री द्वारा वक्तव्य

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य दिया:—

- (1) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित प्रधानमंत्री का रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) स्कीम के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 260वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

- (2) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित व्याज राजसहायता पात्रता प्रमाणपत्र (आईएसईसी) स्कीम के कार्यान्वयन के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 261वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

10. सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972 के नियम 4 के उपनियम (1) के साथ पठित सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधधीन सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.05 बजे

11. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग विधेयक, 2015

12. अध्यादेश के बारे में विवरण—सभा पटल पर रखा गया

वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग अध्यादेश, 2015 (2015 का संख्यांक 8) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

13. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

(एक) बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 2015

(दो) उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015

(तीन) परमाणु ऊर्जा (संशोधन) विधेयक, 2015

*अपराहन 12.36 बजे

14. सदस्यों द्वारा निवेदन

#(एक) प्रो० सौगत राय ने पाकिस्तान के संदर्भ में निवेश नीति पर सरकार द्वारा स्पष्टीकरण दिए जाने की आवश्यकता के बारे में निवेदन किया।

श्री एम० वेंकैया नायडू ने उत्तर दिया।

(दो) श्री राजेश रंजन ने बिहार में मोकामा और मुजफ्फरपुर स्थित भारत वैगन लिमिटेड के कारखानों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण के बारे में निवेदन किया।

श्री राजीव सातव सहयोजित हुए।

श्री राजीव प्रताप रूडी ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराहन 1.00 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.03 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराहन 2.07 बजे

15. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा सिवान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, बिहार में एक कृषि विश्व विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री हरिओम सिंह राठौड़ द्वारा राजस्थान में विश्व धरोहर स्थल, कुम्भलगढ़ में और अधिक पर्यटक सुविधाएं देने और ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं का प्रदर्शन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री सुमेधानन्द सरस्वती द्वारा सीकर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान के रसीदपुरा में प्याज के भंडारण की सुविधाएं स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्रीमती कृष्णा राज द्वारा उत्तर प्रदेश में बरेली और सीतापुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 को चार लेन का बनाए जाने के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

*अपराहन 12.13 बजे से अपराहन 1.00 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

#पूर्वाहन 11.00 बजे

- (5) डॉ० रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा उत्तराखंड को एक विशेष सहायता पैकेज प्रदान किए जाने और 2013 की भयंकर आपदा से प्रभावित राज्य के लोगों के ऋण माफ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री जयश्रीबेन पटेल द्वारा देश के सार्वजनिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं की और अधिक भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री श्यामा चरण गुप्ता द्वारा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक हवाई अड्डा स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री सी०आर० चौधरी द्वारा सौ तक की आबादी वाली ढाणियों/मंजरी को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत शामिल किये जाने और इस स्कीम के लिये पर्याप्त निधियां प्रदान किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा क्रमशः बिहार और झारखंड में केंद्रीय भूमि जल बोर्ड का प्रभागी और क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा अनूपगढ़-बीकानेर वाया छत्तरगढ़ रेल लाइन परियोजना को अगले वर्ष के रेल बजट में शामिल किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री राजेश वर्मा द्वारा मुगल सम्राट अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक महाराजा टोडरमल के सम्मान में एक स्मृति डाक टिकट जारी किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्रीमती सावित्री ठाकुर द्वारा मध्य प्रदेश के धार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में फसल में लगने वाले वायरस के कारण मिर्च और टमाटर की फसलों को हुए नुकसान से प्रभावित किसानों को मुआवजा प्रदान किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा चित्रकूट धाम क्षेत्र में आने वाले तीर्थ यात्रियों को लाने और ले जाने वाले वाहनों का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री एम०के० राघवन द्वारा केरल के कोझिकोड में प्रस्तावित लाइट मेट्रो परियोजना के लिये निधियां जारी किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री जे०जे०टी० नट्टर्जी द्वारा तमिलनाडु में तूतीकोरिन हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री आर० के० भारती मोहन द्वारा तमिलनाडु के मडलादुथुरई में एक केंद्रीय विद्यालय स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (17) प्रो० सौगत राय द्वारा नए नेपाली संविधान के विरोध में मधेशी और थारू आंदोलन के कारण नेपाल में अशांति से उत्पन्न स्थिति के बारे में।
- (18) श्री बलभद्र माझी द्वारा भारतीय रेल में कनिष्ठ अभियंताओं की स्थिति में सुधार किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (19) श्री राहुल शेवाले द्वारा हमारी फार्मास्यूटीकल ड्रग नीति की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (20) श्री वाई०वी० सुब्बा रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कपास उत्पादकों को उनकी उपज के लिये लाभकारी मूल्य दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 2.07 बजे

16. नियम 193 के अधीन चर्चा

अनुमेय समय : 2 घंटे

लिया गया समय : 1 घंटा 59 मिनट

शेष समय : 01 मिनट

उपाध्यक्ष महोदय ने सभा को सूचित किया कि श्री शंकर प्रसाद दत्ता की ओर से श्री पी० करूणाकरन ने अध्यक्ष से अनुरोध किया कि श्री ज्योतिरादित्य एम० सिंधिया को देश के विभिन्न भागों में सूखे की स्थिति के बारे में नियम 193 के अधीन चर्चा आरंभ करने की अनुमति दी जाए और यदि सभा सहमत है तो उन्हें अनुमति दी जाए।

सभा सहमत हुई।

तदनुसार श्री ज्योतिरादित्य एम० सिंधिया ने चर्चा आरंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

- (1) श्री जनार्दन मिश्र
- (2) श्री एम०बी० राजेश
- (3) श्री सुदीप बन्दोपाध्याय
- (4) श्री भर्तृहरि महताब (भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराहन 4.06 बजे

17. सरकारी विधेयक—पारित

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2015

लिया गया समय: 3 घंटे 01 मिनट

श्री डी०वी० सदानंद गौड़ा द्वारा 3 दिसम्बर, 2015 को विधेयक पर विचार किए जाने के लिए पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

- (1) डॉ० के० कामराज (अपना भाषण पुनः आरंभ किया)
- (2) श्री तथागत सत्पथी
- (3) श्री विनायक भाऊराव राऊत
- (4) डॉ० रवीन्द्र बाबू
- (5) श्री विनोद कुमार बोइनापल्ली
- (6) डॉ० ए० सम्पत
- (7) श्री एम०आई० शनवास
- (8) श्री पी०पी० चौधरी
- (9) श्री कौशलेन्द्र कुमार
- (10) श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन
- (11) श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री डी०वी० सदानंद गौड़ा ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खंड 4 से 6 स्वीकृत हुए।

खंड 7 से 19 स्वीकृत हुए।

खंड 20 और 21 स्वीकृत हुए।

खंड 22 से 28 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री डी०वी० सदानंद गौड़ा ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

सायं 6.21 बजे

18. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

भारतीय न्यास (संशोधन) विधेयक, 2015

आवंटित समय : 2 घंटे

लिया गया समय : 1 मिनट

शेष समय : 01 घंटा 59 मिनट

श्री अरूण जेटली की ओर से श्री जयंत सिन्हा ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.22 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 8 दिसम्बर, 2015 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र

महासचिव

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 8 दिसम्बर, 2015/17 अग्रहायण, 1937 (शक)

संख्या 116

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 121 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.03 बजे स्थगित हुई और
पूर्वाह्न 11.30 बजे पुनः समवेत हुई।)

पूर्वाह्न 11.30 बजे

दोनों सदस्य जिनके नाम पर तारांकित प्रश्न संख्या 122 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उत्तर सभा पटल पर रखा। प्रश्न संख्या 122 का अनुपूरक प्रश्न पूछा गया। तारांकित प्रश्न संख्या 123 का मौखिक उत्तर दिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 124—140 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1381—1610 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संघ सरकार (2015 का संख्यांक 31)—उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के संबंध में केन्द्रीय पूल के लिए धान की अधिप्राप्ति और कुटाई के बारे में निष्पादन लेखापरीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2015 जो 29 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 814(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 39 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
 - (एक) खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकारों को सहायता) नियम, 2015 जो 17 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 636(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) खाद्य राजसहायता का नकदी अंतरण नियम, 2015 जो 21 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 649(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (4) नेशनल को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) नेशनल को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (6) नेशनल को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (7) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (क) (एक) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (8) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) असम राइफल्स अधिनियम, 2006 की धारा 167 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचना की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे—
- (एक) असम राइफल्स (समूह 'ग' कम्बैटइलड पद) भर्ती नियम, 2015 जो 27 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 120 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) असम राइफल्स, वेटेरीनरी फील्ड असिस्टेंट (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2015 जो 28 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 32 में प्रकाशित हुए थे।
- (10) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (क) (एक) नेशनल बैंकवर्ड क्लासेस फाइनांस एण्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) नेशनल बैंकवर्ड क्लासेस फाइनांस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनांस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, फरीदाबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनांस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, फरीदाबाद का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (11) उपर्युक्त (10) की मद संख्या (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 की धारा 15 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
 - (एक) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी ज्ञापन।
- (13) (एक) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 - (दो) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 - (तीन) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4घ के अंतर्गत पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (दूसरा संशोधन) आदेश 2015, जो

15 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या का०आ० 2496(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (16) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे—
- (एक) मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2015 का संख्यांक 34)—नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के संबंध में भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के बारे में निष्पादन लेखापरीक्षा।
 - (दो) मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल) (2015 का संख्यांक 28) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के संबंध में संपूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान के बारे में निष्पादन लेखापरीक्षा।
 - (तीन) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल) (2015 का संख्यांक 33)—मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के संबंध में जनजातीय उप-योजना (2011-2012 से 2013-2014) के बारे में निष्पादन लेखापरीक्षा।
 - (चार) मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2015 का संख्यांक 26)—(अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर) राजस्व विभाग के संबंध में सन्निर्माण संविदा पर सेवा कर की वसूली और संग्रहण।
 - (पांच) मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रेल) (2015 का संख्यांक 29)—भारतीय रेल में सवारी डिब्बों में आग दुर्घटनाएं और भारतीय रेल में सुरक्षा मर्दों का वितरण और उनका उपयोग।
 - (छह) मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2015 का संख्यांक 30)—(अनुपालन लेखापरीक्षा) वैज्ञानिक और पर्यावरणीय मंत्रालय/विभाग।
 - (सात) मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2015 का संख्यांक 37)—नौसेना और तटरक्षक बल।

- (आठ) मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल) (2015 का संख्यांक 32)—विधानमंडल रहित संघ राज्यक्षेत्र (अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ)।
- (नौ) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2015 का संख्यांक 27)—पोत परिवहन मंत्रालय के संबंध में मुख्य पत्तनों में भू-प्रबंध के बारे में निष्पादन लेखापरीक्षा।
- (दस) मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रेल) (2015 का संख्यांक 24)—(लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वोल्यूम I और II)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

कि राज्य सभा ने 7 दिसम्बर, 2015 को हुई अपनी बैठक में परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2015 को संशोधनों के साथ पारित किया और विधेयक, इस अनुरोध के साथ लौटा दिया कि संशोधनों पर लोक सभा की सहमति की सूचना राज्य सभा को दी जाए।

5. विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथासंशोधित—सभा पटल पर रखा गया

परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2015

6. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

प्रो० सौगत राय ने हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल लिमिटेड (एचओसीएल) के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (16वीं लोक सभा) का नौवां प्रतिवेदन तथा भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (भाविनी) के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (16वीं लोक सभा) का 10वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. रेल संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री दिनेश त्रिवेदी ने 'रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों— 2015-16' के बारे में समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. रेल संबंधी स्थायी समिति का विवरण

श्री दिनेश त्रिवेदी ने 'महिला यात्रियों की सुरक्षा पर विशेष बल देते हुए भारतीय रेल की उपनगरीय ट्रेन सेवाएं' के बारे में समिति के 23वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) के छठे प्रतिवेदन के अध्याय-I में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

9. केन्द्रीय भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक सलाहकार समिति के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री बंडारू दत्तात्रेय ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (नियोजन और सेवा की शर्तों का विनियमन) केन्द्रीय नियम, 1998 के नियम 11(2) के साथ पठित भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (नियोजन और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 3(2)(ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन केन्द्रीय भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक सलाहकार समिति (केन्द्रीय सलाहकार समिति के रूप में उल्लिखित) के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराहन 12.07 बजे

10. प्रस्ताव

श्री राजीव प्रताप रूडी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा 7 दिसम्बर, 2015 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रालय समिति के 23वें प्रतिवेदन से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराहन 12.12 बजे स्थगित हुई और
अपराहन 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

*अपराहन 12.08 बजे से अपराहन 12.12 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराहन 2.00 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

- (1) श्री राघव लखनपाल ने उत्तर प्रदेश विशेषतः सहारनपुर जिले के किसानों से निर्धारित नियमों के अनुसार धान की खरीद किए जाने हेतु राज्य सरकार को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) डॉ॰ महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने फसलों को हुए नुकसान के लिए विशेषतः उत्तर प्रदेश के किसानों को राहत राशि सीधे दिए जाने हेतु तंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा ने गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने हेतु गुजरात में उनकी पुनः गणना कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री राकेश सिंह ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में नए केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) डॉ॰ मनोज राजोरिया ने राजस्थान के करौली जिले में कैलादेवी वन्य जीव अभयारण्य को राज्य के सवाई माधोपुर जिले के रणथम्भौर वन्य जीव अभयारण्य से जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री देवजी एम॰ पटेल ने राजस्थान के सिरोंही जिले में खेलकूद विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) डॉ॰ उदित राज ने अखिल भारतीय अन्य पिछड़ा वर्ग रेलवे कर्मचारी फेडरेशन की बैठकों में कथित अनियमितताओं के बारे में।
- (8) श्री कीर्ति आजाद ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री नाना पटोले ने महाराष्ट्र के भंडारा और गोंदिया जिलों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (10) श्री रोड़मल नागर ने मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में मेगा फूड पार्क और खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री रत्न लाल कटारिया ने न्यायालयों में लंबित मामलों का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से विचारण किए जाने हेतु कानून बनाये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री एंटो एन्टोनी ने सबरी रेल परियोजना का कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) डॉ॰ थोकचोम मेन्या ने मणिपुर में अश्वारोहण संबंधी खेलकूद के लिए टट्टुओं की संख्या का संरक्षण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री एस॰ पी॰ मुद्दाहनुमे गौड़ा ने देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों का वेतन बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री बी॰ सेनगुट्टुवन ने तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 पर वेल्लोर और वन्नियमबाडी के बीच अंडरपास और एलीवेटेड टॉलवेज का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री जी॰ हरि ने टिंडीवनम-नागरी नई बड़ी लाईन का कार्य शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) श्री कृपाल बालाजी तुमाने ने देश में फसल बीमा योजना के अंतर्गत कवर किए किसानों को उनके द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम की रसीद तथा पॉलिसी दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (18) श्री राम मोहन नायडु किंजरापु ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम का शब्दशः कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (19) कुंवर हरिवंश सिंह ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (20) श्री दुष्यंत चौटाला ने सफेद मक्खी के आतंक से प्रभावित हरियाणा के कपास उत्पादकों को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (21) श्री राधेश्याम बिश्वास ने चांदखीरा बागान से कहन्मुन और बेरोइग्राम से दुल्लाबचेरा रेल परियोजनाओं का कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) एडवोकेट जोएस जॉर्ज ने मुल्लापेरियार बांध से नीचे की ओर रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 2.02 बजे

12. नियम 193 के अधीन चर्चा

अनुमेय समय : 2 घंटे

लिया गया समय : 2 घंटे 18 मिनट

श्री ज्योतिरादित्य एम्. सिंधिया द्वारा 7 दिसम्बर, 2015 को देश के विभिन्न भागों में सूखे की स्थिति के बारे में उठाई गई चर्चा पर आगे बहस जारी रही।

श्री संजय जाधव ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

(लोक सभा अपराहन 2.12 बजे स्थगित हुई और अपराहन 3.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराहन 3.00 बजे

श्री संजय जाधव ने अपना भाषण पुनः आरंभ किया और उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराहन 3.09 बजे

(निरंतर व्यवधान के कारण लोक सभा बुधवार, 9 दिसम्बर, 2015 के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 9 दिसम्बर, 2015/18 अग्रहायण, 1937 (शक)

संख्या 117

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 141, 142, 144, 145 के मौखिक उत्तर दिए गए। जिन सदस्यों के नाम पर तारांकित प्रश्न संख्या 143 सूचीबद्ध था, वे अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उत्तर सभा पटल पर रखा। प्रश्न संख्या 143 के अनुपूरक प्रश्न पूछे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 146—160 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1611—1840 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) जुलाई, 2013 से जून, 2014 तक की अवधि के लिए भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त के 51वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (3) (एक) सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन रजिस्ट्री के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन रजिस्ट्री के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (आठवां संशोधन) विनियम, 2015 जो 7 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 308-1/2015-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (नौवां संशोधन) विनियम, 2015 जो 16 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 301-23/2015-एफ एण्ड ई में प्रकाशित हुए थे।
- (5) तेरहवीं, चौदहवीं, पंद्रहवीं तथा सोलहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

तेरहवीं लोक सभा

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. विवरण संख्या 55 | तीसरा सत्र, 2000 |
|--------------------|------------------|

चौदहवीं लोक सभा

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 2. विवरण संख्या 32 | तीसरा सत्र, 2004 |
| 3. विवरण संख्या 29 | पांचवां सत्र, 2005 |
| 4. विवरण संख्या 23 | ग्यारहवां सत्र, 2007 |
| 5. विवरण संख्या 24 | बारहवां सत्र, 2007 |
| 6. विवरण संख्या 27 | तेरहवां सत्र, 2008 |
| 7. विवरण संख्या 24 | चौदहवां सत्र, 2008 |
| 8. विवरण संख्या 22 | पंद्रहवां सत्र, 2009 |

पंद्रहवीं लोक सभा

9.	विवरण संख्या 24	दूसरा सत्र, 2009
10.	विवरण संख्या 22	तीसरा सत्र, 2009
11.	विवरण संख्या 21	चौथा सत्र, 2010
12.	विवरण संख्या 19	पांचवां सत्र, 2010
13.	विवरण संख्या 18	छठा सत्र, 2010
14.	विवरण संख्या 16	सातवां सत्र, 2011
15.	विवरण संख्या 16	आठवां सत्र, 2011
16.	विवरण संख्या 15	नौवां सत्र, 2011
17.	विवरण संख्या 14	दसवां सत्र, 2012
18.	विवरण संख्या 12	ग्यारहवां सत्र, 2012
19.	विवरण संख्या 11	बारहवां सत्र, 2012
20.	विवरण संख्या 10	तेरहवां सत्र, 2013
21.	विवरण संख्या 8	चौदहवां सत्र, 2013
22.	विवरण संख्या 6	पंद्रहवां सत्र, 2013-14

सोलहवीं लोक सभा

23.	विवरण संख्या 5	दूसरा सत्र, 2014
24.	विवरण संख्या 4	तीसरा सत्र, 2014
25.	विवरण संख्या 3	चौथा सत्र, 2015
26.	विवरण संख्या 1	पांचवां सत्र, 2015

(6) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2015 का संख्यांक 42)—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संबंध में ऑयल इंडिया लिमिटेड के हाइड्रोकार्बन अन्वेषण प्रयासों के बारे में निष्पादन लेखापरीक्षा।

- (दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2015 का संख्यांक 39)—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संबंध में तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड में रिगों की उपयोगिता के बारे में निष्पादन लेखापरीक्षा।
- (7) (एक) सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी, एस०ए०एस० नगर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी, एस०ए०एस० नगर के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 61 के अंतर्गत लोक सेवक (सूचना तथा आस्तियों और दायित्वों की वार्षिक विवरणी देना तथा विवरणियां फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएं) तीसरा संशोधन नियम, 2015 जो 12 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 776(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 62 के अंतर्गत लोकपाल और लोकायुक्त (कठिनाइयों का निराकरण) दूसरा संशोधन आदेश, 2015 जो 12 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2794(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) भारत इम्युनोलॉजिकल्स एण्ड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा जैव-प्रौद्योगिकी, विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या कांआ 2050(अ) जो 28 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए एकीकृत केन्द्र (यूसीआरआरवाई) (पुनःस्थापना और सौंदर्यीकरण) के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

डॉ० एम० तंबिदुरै ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 16वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ० किरिट सोमैया ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2015-16) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) 'हाइड्रोसेक्टर का विकास' विषय पर 43वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2015-16) का 9वां प्रतिवेदन।
- (2) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वर्ष 2014-15 की अनुदानों की मांगों के बारे में दूसरे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2015-16) का 10वां प्रतिवेदन।
- (3) विद्युत मंत्रालय की वर्ष 2015-16 की अनुदानों की मांगों के बारे में पांचवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2015-16) का 11वां प्रतिवेदन।

*अपराह्न 12.02 बजे

6. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी

*अपराह्न 12.04 बजे से अपराह्न 1.05 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

- (2) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 5वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।
- (3) उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री ने अंतरिक्ष विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 255वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(लोक सभा अपराह्न 1.05 बजे स्थागित हुई और अपराह्न 2.17 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 2.17 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री जनक राम द्वारा बिहार के मुजफ्फरनगर और गोपालगंज जिलों में भगवान शिव से जुड़े हुए धार्मिक महत्व के स्थानों को जोड़ने वाले शिव सर्किट को विकसित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148-डी (गुलाबपुरा से उणियारा) के निर्माण के लिये जिन किसानों की भूमि अधिग्रहीत की गई है, उनको नई नीति के अंतर्गत मुआवजा प्रदान किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री हरीश मीणा द्वारा सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण और उनकी प्रचालनात्मक क्षमताओं के विकास हेतु और अधिक निधियों का आवंटन किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (4) श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा अटल अमृत योजना के प्रथम चरण में राजस्थान के टोंक, सवाईमाधोपुर और गंगापुर सिटी को सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री अशोक महादेवराव नेते द्वारा महाराष्ट्र विशेषतः विदर्भ क्षेत्र में धान के लाभकारी मूल्य को बढ़ाये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री कौशल किशोर द्वारा संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, लखनऊ, उत्तर प्रदेश का नियंत्रण केन्द्र सरकार द्वारा किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के निषाद समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री लल्लू सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक कैंसर अनुसंधान संस्थान तथा अस्पताल स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री बहादुर सिंह कोली द्वारा राजस्थान में भरतपुर तथा उत्तर प्रदेश में कोसी के बीच एक रेल लाइन बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री थुपस्तान छेवांग द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई क्षति का आकलन करने के लिये एक केन्द्रीय दल लद्दाख भेजे जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री छेदी पासवान द्वारा बिहार के रोहतास और कैमूर जिलों को सूखा प्रभावित घोषित किए जाने तथा प्रभावित किसानों को पर्याप्त राहत प्रदान किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री मुकेश राजपूत द्वारा उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अर्जुनपुर में रामगंगा नदी तथा कमालगंज और कडहर के बीच गंगा नदी पर पुलों का निर्माण किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा जापानी इन्सेफेलाइटिस के उपचार के लिये शीघ्र ही टीका विकसित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री राजीव सातव द्वारा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले को भारत रत्न से सम्मानित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (15) श्री आर० ध्रुवनारायण द्वारा वी आर टी बाघ आरक्षित क्षेत्र के लिए और अधिक निधियों का आवंटन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) डॉ० के० गोपाल द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के बेरोजगार नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) श्री टी० राधाकृष्णन द्वारा मदुरै और कन्याकुमारी के बीच रेल लाईन का दोहरीकरण किए जाने के कार्य में तेजी लाये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (18) डॉ० (श्रीमती) रत्ना डे नाग द्वारा बंडेल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर फ्लाईओवर का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (19) श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा पश्चिम बंगाल के आरामबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्राचीन स्मारकों को संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (20) प्रो० रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़ द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में कृष्णा मराठवाड़ा सिंचाई परियोजना को पर्याप्त निधियां प्रदान किए जाने तथा इस क्षेत्र में भीषण सूखे से प्रभावित किसानों के कर्ज को माफ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (21) श्री श्रीनिवास केसिनेनी द्वारा आंध्र प्रदेश में स्थित उच्च तकनीकी शिक्षा संस्थानों को आई टी और इलेक्ट्रॉनिक्स की पी एच डी योजना के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (22) डॉ० बूरा नरसैय्या गौड द्वारा देश में आशा कार्यकर्ताओं की स्थिति में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (23) श्रीमती पी० के० श्रीमथि टीचर द्वारा प्रस्तावित कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे को चार हजार मीटर तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (24) श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा द्वारा पंजाब में एस ए एस नगर (मौहाली) अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को शुरू किए जाने तथा इस विमानपत्तन का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (25) श्री भगवंत मान द्वारा सोशल मीडिया में कार्य करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (26) श्री राजू शेटी द्वारा देश में दुग्ध उत्पादों के आयात को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 2.18 बजे

8. सरकारी विधेयक—पारित

भारतीय न्यास (संशोधन विधेयक, 2015)

लिया गया समय: 1 घंटा 4 मिनट

श्री जयंत सिन्हा द्वारा 7 दिसम्बर, 2015 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

जयंत सिन्हा ने अपना भाषण पुनः आरंभ किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री हुकुम सिंह
2. श्री एस०एस० चिनाया
3. श्री भर्तृहरि महताब
4. श्री विनायक भाऊराव राऊत
5. डॉ० रवीन्द्र बाबू
6. श्री पी०के० बीजू
7. श्री राजेश रंजन
8. श्री विनोद कुमार बोइनापल्ली
9. श्री मेकापति राजमोहन रेड्डी
10. श्री दुष्यंत चौटाला
11. श्री कौशलेन्द्र कुमार
12. श्री प्रेमदास राय

श्री जयंत सिन्हा ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री जयंत सिन्हा ने विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराहन 3.21 बजे

9. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

*वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और
वाणिज्यिक अपील प्रभाग विधेयक, 2015*

आबंटित समय : 3 घंटे

लिया गया समय : 4 मिनट

शेष समय : 2 घंटे 56 मिनट

वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग विधेयक, 2015 (2015 का संख्यांक 8) का निरनुमोदन करने वाला सांविधिक प्रस्ताव पेश नहीं किया गया।

श्री डी०वी० सदानंद गौड़ा ने विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराहन 3.25 बजे

10. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 4 घंटे 03 मिनट

श्री ज्योतिरादित्य एम० सिंधिया द्वारा देश के विभिन्न भागों में सूखे की स्थिति के बारे में 7 दिसम्बर, 2015 को उठाई गई चर्चा पर आगे बहस जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. #श्री संजय हरिभाऊ जाधव (उन्होंने अपना भाषण पुनः आरंभ किया)

(लोक सभा अपराहन 3.29 बजे स्थगित हुई और अपराहन 4.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराहन 4.00 बजे

2. श्री के० अशोक कुमार

3. श्री एन० क्रिष्णप्पा

- *4. श्री प्रतापराव जाधव

उन्होंने अपना भाषण अपराहन 4.00 बजे सभा के पुनःसमवेत होने के पश्चात् पुनः आरंभ किया।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- *5. श्री देवजी एम० पटेल
- *6. श्री चन्द्र प्रकाश जोशी
- *7. डॉ० रमेश पोखरियाल निशंक
- *8. श्री निशिकान्त दुबे
- *9. श्री रामचन्द्रन मुल्लापल्ली
- 10. श्री भीमराव बी० पाटील
- *11. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
- *12. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
- 13. श्रीमती बुत्ता रेणुका
- *14. कुमारी शोभा कारान्दलाजे
- *15. श्री रवीन्द्र कुमार जेना
- *16. श्री बी० एस० येदियुरप्पा
- *17. श्री पी० करूणाकरन
- 18. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा
- *19. डॉ० किरिट सोमैया
- \$20. श्री तेज प्रताप सिंह यादव
- *21. श्री हरिओम सिंह राठौड़
- *22. श्री जी० हरि
- *23. श्री पी० के० बिजू
- *24. श्री प्रहलाद जोशी

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 5.17 बजे स्थगित हुई और
अपराह्न 5.30 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 5.30 बजे

- *25. श्रीमती बी० सत्यबामा
- *26. सुश्री साध्वी सावित्री बाई फूले

\$उन्होंने अपना भाषण अपराह्न 5.30 बजे सभा के पुनःसमवेत होने के पश्चात् पुनः आरंभ किया।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

27. श्री जय प्रकाश नारायण यादव

*28. श्रीमती रमा देवी

*29. श्री एंटी० (नाना) पाटील

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 5.39 बजे स्थगित हुई और
अपराह्न 5.45 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 5.45 बजे

*30. श्री विद्युत वरण महतो

31. श्री वीरेन्द्र सिंह

चर्चा समाप्त नहीं हुई।

सायं 6.00 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 10 दिसम्बर, 2015 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 10 दिसम्बर, 2015/19 अग्रहायण, 1937 (शक)

संख्या 118

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने मानवाधिकार दिवस के अवसर पर उल्लेख किया।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. अध्यक्ष द्वारा निवेदन

प्रो० सौगत राय ने पाकिस्तान के संदर्भ में सरकार की अपनी विदेश नीति पर स्पष्टीकरण के बारे में निवेदन किया।

श्री एम० वेंकैया नायडू ने उत्तर दिया।

पूर्वाह्न 11.14 बजे

3. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 161 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.21 बजे स्थगित हुई और
पूर्वाह्न 11.40 बजे पुनः समवेत हुई।)

पूर्वाह्न 11.40 बजे

तारांकित प्रश्न संख्या 162 और 163 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 164—180 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

4. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1841—2070 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) लंबित विधि आयोग प्रतिवेदनों—(दिसम्बर, 2015) के बारे में 11वें वार्षिक विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
 - (क) (एक) हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ख) (एक) सेंट्रल कॉटिज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) सेंट्रल कॉटिज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (3) (एक) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (4) (एक) नॉदर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नॉदर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) मैन-मेड टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मैन-मेड टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) सिंथेटिक एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सिंथेटिक एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) वुल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वुल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) सेंट्रल वुल डेवलपमेंट बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल वुल डेवलपमेंट बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) वुल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) वुल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) वुल एण्ड वुलन्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वुल एण्ड वुलन्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) ऑल इंडिया हैण्डलूम फेब्रिक्स मार्केटिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ऑल इंडिया हैण्डलूम फेब्रिक्स मार्केटिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) हैण्डलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) हैण्डलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) कॉटन टेक्स्टाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कॉटन टेक्स्टाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (14) (एक) सिंथेटिक एण्ड रेयोन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सिंथेटिक एण्ड रेयोन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ टेक्सटाइल्स एण्ड मैनेजमेंट, कोयम्बटूर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ टेक्सटाइल्स एण्ड मैनेजमेंट, कोयम्बटूर के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) पावरलूम डेवलपमेंट एण्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) पावरलूम डेवलपमेंट एण्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) टेक्सटाइल्स कमेटी, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) टेक्सटाइल्स कमेटी, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) कार्पेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कार्पेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (19) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (दो) हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स एक्सपोर्ट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (21) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) एसजेवीएन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एसजेवीएन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) एनटीपीसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एनटीपीसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) नेयवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड और इसकी समनुषंगी कंपनियां एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड तथा नेयवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड के वर्ष 2014-2015 का कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेयवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड और इसकी समनुषंगी कंपनियां एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड तथा नेयवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (22) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत खान और खनिज (जिला खनिज प्रतिष्ठान में अभिदाय) नियम, 2015, जो 20 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 792(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 की धारा 31 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) सांकाणि 848(अ), जो 10 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो नीलामी के आगमों तथा नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा आवंटन से प्राप्त धनराशि का संग्रहण करने की प्रक्रिया के बारे में है।
- (दो) कांआ 849(अ), जो 10 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कोयला खानों के स्थानांतरण के बारे में है।
- (24) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) (चौथा संशोधन) विनियम, 2015, जो 23 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1/94/सीईआरसी/2011 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर के शुल्क और प्रभार तथा अन्य संबंधित मामले) विनियम, 2015, जो 6 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1/153/2014/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अनुषंगी सेवा संक्रियाएं) विनियम, 2015, जो 19 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 18/1/2013/रेगएफ (विनियम के रूप में)/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2015, जो 10 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1/14/2015 रेगएफ (एफएसडीएस) (i)/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

- (पांच) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन समाधान तंत्र और संबंधित मामले) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015, जो 10 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1/14/2015 रेग०एफ० (एफएसडीएस) (ii)/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।
- (25) ऐरो क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (26) ऐरो क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) यू०पी० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) यू०पी० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) (एक) रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) हसन मंगलौर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हसन मंगलौर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ख) (एक) कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (31) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत रेल यात्री (टिकट का रद्दकरण और किराये की वापसी) नियम, 2015, जो 4 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 836(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) ट्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) ट्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) कामराजर पोर्ट लिमिटेड के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कामराजर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) हुगली डॉक एण्ड पोर्ट, इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (33) (एक) चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) (एक) बी०ओ० चिदम्बरानार पत्तन न्यास, तूतीकोरिन के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बी०ओ० चिदम्बरानार पत्तन न्यास, तूतीकोरिन के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) (एक) मुंबई पत्तन न्यास, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) मुंबई पत्तन न्यास, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (तीन) मुंबई पत्तन न्यास, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (चार) मुंबई पत्तन न्यास, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के लेखा परीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) (एक) कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (तीन) कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (चार) कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) (एक) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, नवी मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, नवी मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) (एक) न्यू मंगलौर पत्तन न्यास, न्यू मंगलौर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) न्यू मंगलौर पत्तन न्यास, न्यू मंगलौर के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (तीन) न्यू मंगलौर पत्तन न्यास, न्यू मंगलौर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (चार) न्यू मंगलौर पत्तन न्यास, न्यू मंगलौर के वर्ष 2014-2015 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) (एक) मुर्मूगाव पत्तन न्यास, गोवा के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) मुर्मूगाव पत्तन न्यास, गोवा के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (तीन) मुर्मूगाव पत्तन न्यास, गोवा के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (चार) मुर्मूगाव पत्तन न्यास, गोवा के वर्ष 2014-2015 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (40) (एक) कांडला पत्तन न्यास, कांडला के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) कांडला पत्तन न्यास, कांडला के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (तीन) कांडला पत्तन न्यास, कांडला के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (चार) कांडला पत्तन न्यास, कांडला के वर्ष 2014-2015 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) (एक) सीमेन्स प्रोविडेंट फण्ड आर्गेनाइजेशन, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सीमेन्स प्रोविडेंट फण्ड आर्गेनाइजेशन, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) सीमेन्स प्रोविडेंट फण्ड आर्गेनाइजेशन, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) सांकांनि 518(अ) जो, 29 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुंबई पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2015 का अनुमोदन किया गया है।
- (दो) सांकांनि 504(अ) जो 19 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा चेन्नई पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2015 का अनुमोदन किया गया है।
- (तीन) सांकांनि 631(अ) जो 14 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा चेन्नई पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2015 का अनुमोदन किया गया है।

- (चार) सांका० 503(अ), जो 19 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा चेन्नई पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2015 का अनुमोदन किया गया है।
- (पांच) सांका० 522(अ), जो 1 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (आवास निर्माण अग्रिम) विशेष परिवार लाभ निधि संशोधन विनियम, 2015 का अनुमोदन किया गया है।
- (छह) सांका० 551(अ), जो 10 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कांडला पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2015 का अनुमोदन किया गया है।
- (सात) सांका० 724(अ), जो 18 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2015 का अनुमोदन किया गया है।
- (आठ) सांका० 602(अ), जो 31 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2015 का अनुमोदन किया गया है।
- (नौ) सांका० 603(अ), जो 31 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुंबई पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2015 का अनुमोदन किया गया है।
- (दस) सांका० 604(अ), जो 31 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2015 का अनुमोदन किया गया है।
- (ग्यारह) सांका० 605(अ), जो 31 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2015 का अनुमोदन किया गया है।
- (43)(एक) इंडियन एकेडमी ऑफ हाइवे इंजीनियर्स, नोएडा के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एकेडमी ऑफ हाइवे इंजीनियर्स, नोएडा के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

श्री भर्तृहरि महताब ने लोक लेखा समिति (2015-16) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) गृह मंत्रालय से संबंधित 'भारत में आपदाओं से निपटने की तैयारी' विषय पर 25वां प्रतिवेदन।
- (2) वित्त मंत्रालय से संबंधित 'आयकर विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग' के बारे में दूसरे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 26वां प्रतिवेदन।

7. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री पी० करुणाकरन ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री पी० पी० चौधरी ने वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग विधेयक, 2015 के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का 78वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

*अपराह्न 12.03 बजे

9. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य

श्री पी० पी० चौधरी ने वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग विधेयक, 2015 के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिए साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखी।

(लोक सभा अपराह्न 1.00 बजे स्थगित हुई और
अपराह्न 2.04 बजे पुनः समवेत हुई।)

*अपराह्न 12.04 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराहन 2.04 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार निम्नलिखित सदस्यों के नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री कामाख्या प्रसाद तासा द्वारा असम हेतु अपरदन को रोकने वाली परियोजनाओं की संख्या में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कालपी में ऐतिहासिक स्मारकों का जीर्णोद्धार किए जाने तथा उस शहर को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री निशिकान्त दुबे द्वारा झारखंड के देवघर विमानपत्तन का निर्माण कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा कैमूर रोहतास और औरंगाबाद जिलों से पटना तक दैनिक ट्रेनें चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री रामेश्वर तेली द्वारा असम के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री राहुल कस्वां द्वारा विशेषतया राजस्थान में कृषि उत्पादों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद हेतु समुचित व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री पी०पी० चौधरी द्वारा दिल्ली व मुम्बई से जोधपुर तक प्रातः व सांयकालीन हवाई सेवा प्रारंभ करने तथा जोधपुर से चेन्नई व बेंगलुरु तक हवाई सेवाएं प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री ददन मिश्रा द्वारा उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले को सूखा प्रभावित घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) डॉ० किरिट पी० सोलंकी द्वारा गुजरात में अम्बराड़ी सफारी पार्क शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (10) श्री सत्यपाल सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के सम्भल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जिन किसानों की फसल को अतिवृष्टि तथा ओलावृष्टि के कारण नुकसान पहुंचा है, उनको मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री देवेन्द्र सिंह भोले द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर एवं कानपुर देहात जनपद में जिन पीड़ित किसानों की फसल को असामयिक वर्षा तथा ओलावृष्टि के कारण नुकसान हुआ है, उन्हें मुआवजा प्रदान करने तथा उनकी कठिनाईयों को दूर करने के लिए अन्य उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर झारखंड के हैरीटेज भवनों तथा स्मारकों के संरक्षण के लिए आवंटित शेष राशि को जारी किए जाने तथा “ईटखोरी” एवं “कौलेश्वरी” को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री पी० नागराजन द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 पर चार लेन बनाए जाने के कार्य में तेजी लाए जाने तथा कोयम्बटूर में पुलों तथा फ्लाईओवरों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री एम० चन्द्रकाशी द्वारा चिदम्बरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अरियापुर टाऊन में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) डॉ० कुलमणि सामल द्वारा ओडिशा के महानदी डेल्टा में मैंग्रोव वनों तथा देवीकुडुआ नदीमुख स्थलों के संरक्षण के लिए निधियों को जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा भुवनेश्वर के निकट शिशुपालगढ़ स्थल का परिसीमन किए जाने तथा इसे अतिक्रमण से बचाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) श्री सदाशिव लोखंडे द्वारा महाराष्ट्र के धनगर समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (18) श्री जैदेव गल्ला द्वारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच राजस्व के बंटवारे में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिए आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (19) श्री जोस के० मणि द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं प्रवर्तन मानकों को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.05 बजे

11. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 6 घंटे 10 मिनट

श्री ज्योतिरादित्य एम० सिंधिया द्वारा देश के विभिन्न भागों में सूखे की स्थिति के बारे में 7 दिसम्बर, 2015 को उठाई गई चर्चा पर आगे बहस जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री तारीक अनवर
2. श्री हुक्मदेव नारायण यादव
3. श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डी
- *4. डॉ० किरिट पी० सोलंकी
5. डॉ० अरूण कुमार
- *6. श्री कपिल मोरेश्वर पाटील
7. श्री राजेश रंजन
- *8. श्रीमती रीती पाठक
- *9. श्री राहुल कस्वां
- *10. डॉ० कुलमणि समल
- *11. डॉ० श्रीनिवास केसिनेनी
12. श्री गणेश सिंह
- *13. डॉ० मनोज राजोरिया
- *14. डॉ० (श्रीमती) ममताज संघमिता
- *15. श्रीमती अंजू बाला
16. श्रीमती अनुप्रिया पटेल
- *17. श्री संजय काका पाटील
18. श्री रावसाहब पाटील दानवे
- *19. श्री देवेन्द्र (ऊर्फ) भोले सिंह

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- *20. डॉ० प्रीतम गोपीनाथ मुंडे
 - 21. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव
 - 22. श्री अभिषेक सिंह
 - 23. श्री असादुद्दीन ओवैसी
 - *24. श्री सुमेधानंद सरस्वती
 - 25. श्री भैरों प्रसाद मिश्र
 - *26. श्री सी०आर० चौधरी
 - 27. श्रीमती रक्षाताई खाडसे
 - *28. श्रीमती मीनाक्षी लेखी
 - *29. श्री नारणभाई काछड़िया
 - *30. श्री संजय सामराव धोत्रे
 - *31. श्री सदाशिव लोखंडे
 - 32. श्री दुष्यंत चौटला
 - *33. डॉ० वीरेन्द्र कुमार
 - *34. श्री रोडमल नागर
 - 35. श्रीमती संतोष अहलावत
 - 36. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय
- चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 4.12 बजे

12. सरकारी विधेयक—वाद-विवाद स्थगित

वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक
अपील प्रभाग विधेयक, 2015

आवृत्ति समय : 3 घंटे
लिया गया समय : 8 मिनट
शेष समय : 2 घंटे 52 मिनट

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

श्री डी० वी० सदानंद गौड़ा द्वारा पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

श्री पी०पी० चौधरी ने वाद-विवाद में भाग लिया।

सर्वश्री राजीव प्रताप रूडी और डी०वी० सदानंद गौड़ा ने सुझाव दिया कि वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग विधेयक, 2015 पर आगे की चर्चा स्थगित की जाए।

सभा सहमत हुई।

अपराह्न 4.16 बजे

13. सरकारी विधेयक—पारित

उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015

लिया गया समय: 58 मिनट

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री तथागत सत्पथी
2. श्री जगदम्बिका पाल
3. श्री आनंदराव अडसुल
4. डॉ० रवीन्द्र कुमार पाण्डेय
5. डॉ० मनोज राजोरिया
6. श्री पी० के० बीजू
7. श्री प्रह्लाद सिंह पटेल

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

#अपराह्न 5.23 बजे

14. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री भरत सिंह ने उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के गांवों में जल संदूषण के बारे में निवेदन किया।

सर्वश्री अश्विनी कुमार चौबे और भैरों प्रसाद मिश्र सहयोजित हुए।

श्री राम कृपाल यादव ने उत्तर दिया।

सांय 6.38 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 11 दिसम्बर, 2015 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

#अपराह्न 5.14 बजे से सांय 6.38 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 11 दिसम्बर, 2015/20 अग्रहायण, 1937 (शक)

संख्या 119

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने 13 दिसम्बर, 2001 को संसद भवन पर हुए आतंकी हमले की 14वीं बरसी का उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण आतंकी हमले को नाकाम करने में अपना जीवन न्योछावर करने वाले जवानों के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 181 और 183—185 के मौखिक उत्तर दिए गए। जिन सदस्यों के नाम प्रश्न संख्या 182 और 186 सूचीबद्ध थे, वे अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्रियों ने उत्तर सभा पटल पर रखे। प्रश्न संख्या 182 और 186 के अनुपूरक प्रश्न पूछे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 187—200 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2071—2300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) (एक) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 - (दो) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 - (तीन) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
 - (एक) 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा लेखे, जो 29 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी/18-सीडब्ल्यूए/9/2015 में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) अधिसूचना संख्या ईएल-2015/26, जो 25 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें वर्ष 2015—2019 की अवधि के लिए इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की 19वीं परिषद और चार प्रादेशिक परिषदों के लिए हुए निर्वाचन का परिणाम घोषित किया गया है।
- (3) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
 - (एक) 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे, जो 29 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1-सीए(5)/66/2014 में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) सांकांनि 563(अ), जो 20 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 जनवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या सांकांनि 38(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

- (तीन) सांका० 744(अ), जो 30 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 जनवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या सांका० 38(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (4) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (एक) 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंस्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे, जो 24 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०सं० 104/35/लेखे में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) सांका० 634(अ), जो 17 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना संख्या सांका० 315(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (5) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेटल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेस, बंगलौर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेटल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेस, बंगलौर के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (एक) एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (7) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रेसपिरेटरी डिजीजेज, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रेसपिरेटरी डिजीजेज, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) निम्नलिखित केन्द्रों के संबंध में वर्ष 2014-2015 के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे—
- (एक) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (सांख्यिकी विभाग, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा), वडोदरा।
- (दो) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (सेंटर फॉर रिसर्च इन रूरल एण्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट), चंडीगढ़।
- (तीन) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (पंजाब विश्वविद्यालय), चंडीगढ़।
- (चार) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (जेएसएस इंस्टिट्यूट ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च), धारवाड।
- (पांच) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (सांख्यिकी विभाग, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी), गुवाहाटी।
- (छह) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (डिपार्टमेंट ऑफ जेनरल एण्ड एप्लाइड जियोग्राफी, डॉ॰ हरिसिंह गौर यूनिवर्सिटी), सागर।
- (सात) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर), श्रीनगर।
- (आठ) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (यूनिवर्सिटी ऑफ केरल), तिरुवनंतपुरम।
- (नौ) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (मोहनलाल सुखाडिया यूनिवर्सिटी), उदयपुर।
- (दस) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (इंस्टिट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ), दिल्ली।
- (ग्यारह) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (गांधीग्राम इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल हेल्थ एण्ड फेमिली वेलफेयर ट्रस्ट), डिंडीगुल।
- (बारह) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, लखनऊ विश्वविद्यालय), लखनऊ।
- (9) (एक) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ स्पीच एण्ड हीयरिंग, मैसूर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ स्पीच एण्ड हीयरिंग, मैसूर के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (10) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत औषधि और प्रसाधन सामग्री (चौथा संशोधन) नियम, 2014 जो 25 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 690(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टिट्यूट, दार्जिलिंग के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टिट्यूट, दार्जिलिंग के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) नेहरू इंस्टिट्यूट, ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेहरू इंस्टिट्यूट, ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) जवाहर इंस्टिट्यूट, ऑफ माउंटेनियरिंग एण्ड विंटर स्पोर्ट्स, पहलगाम के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जवाहर इंस्टिट्यूट, ऑफ माउंटेनियरिंग एण्ड विंटर स्पोर्ट्स, पहलगाम के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट, ऑफ माउंटेनियरिंग एण्ड एलायड स्पोर्ट्स, दिरांग के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एण्ड एलायड स्पोर्ट्स, दिरांग के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) डिफेंस इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) डिफेंस इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (18) छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 66 की उपधारा (2) के अंतर्गत पुणे छावनी बोर्ड (स्थानीय निकाय कर), उप-नियम, 2015, जो 6 जून, 2015 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या कां०नि०आ० 22 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की धारा 33 की उप-धारा (2) के अंतर्गत होम्योपैथी (स्नातक पाठ्यक्रम) संशोधन विनियम, 2015, जो 14 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 12-13/2006-सीसीएच (पार्ट V) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 18 की उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (22) (एक) सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर सोशल एण्ड इकोनॉमिक चेन्ज, बंगलौर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टिट्यूट फॉर सोशल एण्ड इकोनॉमिक चेन्ज, बंगलौर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टिट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स (दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स-यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली), दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स (दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स-यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली), दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
- (26) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) भारतीय साधारण बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारतीय साधारण बीमा निगम, मुंबई का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ख) (एक) यूनाइटेड इंडिया इश्योरेस कंपनी लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) यूनाइटेड इंडिया इश्योरेस कंपनी लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) नेशनल इश्योरेस कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल इश्योरेस कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (27) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (सामग्री और सेवाओं का निर्यात) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015, जो 24 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 579(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के निवासी व्यक्ति द्वारा विदेश में धारित आस्तियों का विनियमितिकरण) विनियम, 2015, जो 26 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 738(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (सातवां संशोधन) विनियम, 2015, जो 30 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 745(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (नौवां संशोधन) विनियम, 2015, जो 6 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 759(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दसवां संशोधन) विनियम, 2015, जो 30 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 823(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (छह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (ग्यारहवां संशोधन) विनियम, 2015, जो 16 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 858(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुज्ञेय पूंजी लेखा संव्यवहार) (चौथा संशोधन) विनियम, 2015, जो 16 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 859(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (28) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (एक) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (उभयनिष्ठ सेवा केन्द्रों द्वारा बीमा सेवाएं) विनियम, 2015, जो 19 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० आईआरडीएआई/रेग०/16/106/2015 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (वार्षिकियों तथा अन्य प्रसुविधाओं के लिए न्यूनतम सीमाएं) विनियम, 2015 जो 3 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० आईआरडीएआई/रेग०/14/104/2015 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं की बाध्यताएं) विनियम, 2015, जो 28 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० आईआरडीएआई/रेग०/13/103/2015 में प्रकाशित हुए थे।
- (29) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (एक) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्रतिवेदन, विवरणियां और विवरण) नियम, 2015, जो 17 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 635(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (लेखाओं और अभिलेखों के वार्षिक विवरण का प्ररूप) नियम, 2015, जो 30 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 519(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (30) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम (संशोधन) नियम, 2015, जो 29 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 592(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) सुकन्या समृद्धि खाता नियम, 2015, जो 29 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 593(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (31) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 30 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा जाँच संचालित करने तथा शास्तियां अधिरोपित करने की प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2015, जो 19 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 645(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) धन-शोधन अधिनियम, 2002 की धारा 74 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) धन-शोधन निवारण (अभिलेख रखना) संशोधन नियम, 2015, जो 7 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 544(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) धन-शोधन निवारण (अभिलेख रखना) तीसरा संशोधन नियम, 2015, जो 11 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 693(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) धन-शोधन निवारण (अभिलेख रखना) तीसरा संशोधन नियम, 2015, जो 22 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 730(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) धन-शोधन निवारण (अभिलेख रखना) चौथा संशोधन नियम, 2015, जो 18 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 882(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (33) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

- (एक) सांकांनि 886(अ), जो 18 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित प्रतिपाटन जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में, चीन जनवादी गणराज्य और रूस में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित रबर अनुप्रयोगों में प्रयुक्त कार्बन ब्लैक के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सांकांनि 892(अ), जो 20 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर वापसी (दूसरा संशोधन) नियम, 2015, जो 16 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 860(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सांकांनि 861(अ), जो 16 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23.11.2015 से शुल्क वापसी समस्त उद्योग दलों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (34) 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन —
- (एक) इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक, बांदा
 - (दो) आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, वारंगल
 - (तीन) आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, कडापा
 - (चार) अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक, नहरलगुन
 - (पांच) असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी
 - (छह) बंगिया ग्रामीण विकास बैंक, मुर्शिदाबाद
 - (सात) बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अजमेर
 - (आठ) बड़ोदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, रायबरेली

- (नौ) चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, गुंटूर
 (दस) देना गुजरात ग्रामीण बैंक, गाँधीनगर
 (ग्यारह) एल्लाक्वई देहाती बैंक, श्रीनगर
 (बारह) ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त, लखनऊ
 (तेरह) जे० एण्ड के० ग्रामीण बैंक, जम्मू
 (चौदह) कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, धारवाड़
 (पंद्रह) कावेरी ग्रामीण बैंक, मैसूर
 (सोलह) केरल ग्रामीण बैंक, मल्लापुरम
 (सत्रह) लांगपी देहांगी रूरल बैंक, दिफु
 (अठारह) मध्यांचल ग्रामीण बैंक, सागर
 (उन्नीस) मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, पटना
 (बीस) महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, नांदेड़
 (इक्कीस) मणिपुर रूरल बैंक, इम्फाल
 (बाईस) मेघालय रूरल बैंक, शिलांग
 (तेईस) मिजोरम रूरल बैंक, आइजोल
 (चौबीस) नागालैंड रूरल बैंक, कोहिमा
 (पच्चीस) नर्मदा झबुआ ग्रामीण बैंक, इंदौर
 (छब्बीस) उड़ीसा ग्राम्य बैंक, भुवनेश्वर
 (सत्ताईस) पल्लवन ग्राम बैंक, सेलम
 (अठाइस) पांडयन ग्राम बैंक, विरूधुनगर
 (उनतीस) पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक, हावड़ा
 (तीस) प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक, वेल्लारी
 (इकतीस) प्रथम बैंक, मुरादाबाद

- (बत्तीस) पुदुवई भरतियार ग्राम्य बैंक, पुडुचेरी
 - (तेतीस) पूर्वांचल बैंक, गोरखपुर
 - (चौतीस) राजस्थान मरूधारा ग्रामीण बैंक, जोधपुर
 - (पैंतीस) सप्तगिरि ग्रामीण बैंक, चित्तूर
 - (छत्तीस) सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक
 - (सैंतीस) सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, राजकोट
 - (अड़तीस) सतलुज ग्रामीण बैंक, भटिंडा
 - (उनतालीस) तेलंगाना ग्रामीण बैंक
 - (चालीस) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला
 - (इकतालीस) उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार
 - (बयालीस) उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक, देहरादून
 - (तेतालीस) वनांचल ग्रामीण बैंक, दुमका
 - (चवालीस) विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक, नागपुर
- (35) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 138 के खण्ड (क) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 2454(अ) जो 8 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 9 सितम्बर, 2015 को उक्त अधिनियम की धारा 138 के खण्ड (ख) और धारा 140, 141, 142 और 143 के खण्ड (एक) के उपबंधों के प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (37) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के आगे दी गई अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी गई:—

- | | |
|-----------------------------|--|
| (1) श्रीमती संध्या राय | 23.04.2015 से 10.05.2015 |
| (2) श्री सुब्रत बख्शी | 09.03.2015 से 20.03.2015
और
20.04.2015 से 13.05.2015 |
| (3) श्री पशुपति नाथ सिंह | 24.11.2014 से 12.12.2014 |
| (4) श्री चांद नाथ | 24.07.2015 से 13.08.2015
और
30.11.2015 से 23.12.2015 |
| (5) डॉ० रवीन्द्र कुमार रे | 24.11.2014 से 18.12.2014 |
| (6) श्री दीपक अधिकारी (देव) | 21.07.2015 से 13.08.2015 |
| (7) श्री मुजप्फर हुसैन बेग | 21.07.2015 से 13.08.2015 |

6. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री राजीव प्रताप रूड़ी ने कार्य मंत्रणा समिति का 24वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

7. याचिका समिति के प्रतिवेदन

श्री भगत सिंह कोश्यारी ने याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) देश में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन तथा इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में श्री एम० साई सम्पत से प्राप्त अभ्यावेदन के संबंध में नौवां प्रतिवेदन।
- (2) चक्रवात और अग्निरोधी मकानों के निर्माण के लिए जगतसिंहपुर, ओडिसा के लघु और सीमांत कृषकों को विशेष पैकेज प्रदान किए जाने के बारे में श्री विष्णु चरण स्वैन से प्राप्त अभ्यावेदन के संबंध में दसवां प्रतिवेदन।

8. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ० किरीट सोमैया ने 'वाणिज्यिक हानियों को नियंत्रित करने के उपायों' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2015-16) का 12वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) वित्त मंत्री; कारपोरेट कार्य मंत्री; और सूचना और प्रसारण मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (i) कारपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (ii) राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित 'प्राकृतिक गैस के मूल्य की समीक्षा का आर्थिक प्रभाव' के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 74वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 8वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।
अपराह्न 12.10 बजे

10. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 14 दिसम्बर, 2015 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्यों के बारे में एक वक्तव्य दिया।

11. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)

श्री अरुण जेटली ने वर्ष 2015-16 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

12. अनुदानों की अतिरिक्त मांगें (सामान्य)

श्री अरुण जेटली ने वर्ष 2012-13 के बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अतिरिक्त मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.12 बजे

13. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

“माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको ज्ञात है परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2015 लोक सभा द्वारा 6 अगस्त, 2015 को पारित किया गया और 7 अगस्त, 2015 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया। तथापि, पिछले सत्र के दौरान विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित नहीं किया जा सका। तत्पश्चात् 22 सितम्बर, 2015 को राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश अर्थात् परक्राम्य लिखत (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2015 प्रख्यापित किया गया। राज्य सभा ने लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक 7 दिसम्बर, 2015 को कतिपय संशोधनों के साथ लौटा दिया है।

चूँकि सभा ने परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2015 के उपबंधों को 6 अगस्त, 2015 को पहले ही अनुमोदित कर दिया है, विधेयक के गुणावगुण पर पुनः विचार करना अनुमेय नहीं होगा और चर्चा राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों तक सीमित होनी चाहिए। सांविधिक संकल्प के बारे में चर्चा भी अध्यादेश प्रख्यापित किए जाने के विषय तक ही सीमित होना चाहिए।”

14. राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर सहमति हुई

लिया गया समय : 10 मिनट

**परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2015*

परक्राम्य लिखत (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2015 (2015 का संख्यांक 7) का निरनुमोदन करने वाला सांविधिक संकल्प पेश नहीं किया गया।

श्री अरुण जेटली द्वारा विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया:—

खण्ड 4

1. पृष्ठ 2, पंक्ति 25 से पंक्ति 29 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“डिक्री, आदेश या निदेशों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी परक्राम्य लिखत (संशोधन) अध्यादेश, 2015 द्वारा यथासंशोधित धारा 142 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को अंतरित किए गए सभी मामले इस

*विधेयक लोक सभा द्वारा 6 अगस्त, 2015 को पारित किया गया और राज्य सभा को उसकी सहमति के लिए भेजा गया। राज्य सभा ने 7 दिसम्बर, 2015 को हुई बैठक में विधेयक संशोधनों के साथ पारित किया और उसी दिन उसे लोक सभा को लौटा दिया।

अधिनियम के अधीन इस प्रकार अंतरित किए गए समझे जाएंगे मानो वह उपधारा सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त थी।”।

2. पृष्ठ 2, पंक्ति 41 से पंक्ति 44 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:—
 “है तो न्यायालय की अवेक्षा में उक्त तथ्य लाए जाने पर, ऐसा न्यायालय परक्राम्य लिखत (संशोधन) अध्यादेश 2015 द्वारा यथा संशोधित धारा 142 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारिता रखने वाले ऐसे न्यायालय को, जिसके समक्ष पहला मामला फाइल किया गया था और लंबित है, वह मामला इस प्रकार अंतरित कर देगा, मानो वह उपधारा सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त थी।”।

खण्ड 5

3. पृष्ठ 2, पंक्ति 44 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

वर्ष 2015	“5. (1) परक्राम्य लिखत (संशोधन) दूसरा अध्यादेश,	निरसन और
अध्यादेश 7	2015 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।”।	व्यावृत्ति।

श्री मोहम्मद सलीम ने वाद-विवाद में भाग लिया।

विचारार्थ प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अरुण जेटली ने प्रस्ताव पेश किया कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर सहमति हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और संशोधनों पर सहमति हुई।

#अपराहन 1.06 बजे

15. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

चीनी उपकर (संशोधन) विधेयक, 2015

(लोक सभा अपराहन 1.07 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.12 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराहन 2.12 बजे

16. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 7 घंटे 35 मिनट

श्री ज्योतिरादित्य एम० सिंधिया द्वारा देश के विभिन्न भागों में सूखे की स्थिति के बारे में 7 दिसम्बर, 2015 को उठाई गई चर्चा पर आगे बहस जारी रही।

#अपराहन 12.22 बजे से अपराहन 1.06 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

- * (1) श्री नानाभाऊ फाल्गुनराव पटोले
- * (2) श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी
- * (3) श्री राम टहल चौधरी
- * (4) श्री सुशील कुमार सिंह
- * (5) श्री ओम बिरला
- * (6) श्री डोडालहल्ली केम्पगौड़ा सुरेश
- * (7) श्री रंगास्वामी ध्रुवनारायण
- * (8) श्री राकेश सिंह
- (9) डॉ० हिना विजयकुमार गावित
- (10) श्रीमती जयश्रीबेन पटेल
- * (11) डॉ० (श्रीमती) रत्ना डे (नाग)
- (12) श्री वीरेन्द्र कश्यप
- * (13) श्री पी० पी० चौधरी
- * (14) श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा
- * (15) श्री विनोद कुमार बोइनापल्ली
- * (16) श्री सुनील कुमार सिंह
- * (17) श्री केशव प्रसाद मौर्य
- * (18) प्रो० रवीन्द्र विश्वनाथ गायकवाड
- * (19) श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत
- * (20) कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल
- * (21) श्री शरद त्रिपाठी

श्री राधा मोहन सिंह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

अपराहन 3.38 बजे

17. प्रस्ताव

श्री कामाख्या प्रसाद तासा ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा 9 दिसम्बर, 2015 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों संबंधी समिति के 16वें प्रतिवेदन से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराहन 3.39 बजे

18. गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प—स्वीकृत

श्री निशिकांत दुबे द्वारा 20 मार्च, 2015 को पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा जारी रही।

“यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों, जो देश के विभिन्न भागों में दयनीय दशा में रह रहे हैं, के पुनर्वास और कल्याण के लिए तत्काल कदम उठाए।”

श्री भर्तृहरि महताब ने निम्नलिखित संशोधन पेश किया:—

कि संकल्प में,—

अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

“और वे शरणार्थी जो 1947 में बंटवारे के समय भारत में कश्मीर घाटी में प्रवासित हुए थे और अभी देश के विभिन्न भागों में रह रहे हैं, के पुनर्वास के लिए भी कदम उठाए।”

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

- (1) श्री भर्तृहरि महताब (अपना भाषण पुनः आरंभ किया)
- (2) श्री हुक्म देव नारायण यादव
- (3) प्रो० सौगत राय
- (4) डॉ० सत्यपाल सिंह
- (5) श्रीमती अंजू बाला

- (6) श्री जगदम्बिका पाल
- (7) श्री राजेश रंजन
- (8) गोपाल शेटी
- (9) श्री पी० पी० चौधरी
- (10) श्री बारा प्रसादराव
- (11) श्री भैरों प्रसाद मिश्र

श्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

श्री भर्तृहरि महताब द्वारा पेश किए गए संशोधन पर सभा में मतदान हुआ और वह स्वीकृत हुआ।

श्री निशिकांत दुबे द्वारा पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प, यथासंशोधित, को अधोलिखित रूप में सभा में मतदान के लिए रखा गया:—

“सह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों, जो देश के विभिन्न भागों में दयनीय दशा में रह रहे हैं, के पुनर्वास और कल्याण के लिए तत्काल कदम उठाए और वे शरणार्थी ‘जो 1947 में बंटवारे के समय भारत में कश्मीर घाटी में प्रवासित हुए थे, और अभी देश के विभिन्न भागों में रह रहे हैं, के पुनर्वास के लिए भी कदम उठाए।”

संकल्प, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

सायं 6.06 बजे

19. गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प—विचाराधीन

श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

“यह सभा सरकार से निम्नलिखित के संबंध में तत्काल कदम उठाने का आग्रह करती है—

- (एक) कर्मचारी भविष्य निधि पेंशनभोगियों को संराशीकरण और पूंजी लौटाने के लाभ पुनःस्थापित करना;
- (दो) कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन के लाभार्थियों को सेवानिवृत्ति के ठीक पहले बारह माह के औसत वेतन के आधार पर पेंशन प्रदान करना;
- (तीन) कर्मचारी पेंशन स्कीम—1995 के अनुसार पेंशनभोगियों से संराशीकृत पेंशन की पूरी राशि के कार्यान्वयन के बाद पेंशनभोगियों को पूरी पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करना;

- (चार) कर्मचारी पेंशन स्कीम—1995 के अधीन तीन हजार रुपए प्रति माह तक न्यूनतम पेंशन बढ़ाना;
 - (पांच) लगभग सत्ताईस हजार करोड़ रुपए की अदावाकृत भविष्य निधि राशि का उपयोग करके पेंशनभोगियों के लिए आवास योजना सहित कल्याण योजनाएं लागू करना;
 - (छह) विगत अनुभव के आधार पर संपूर्ण कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 का संशोधन करना; और
 - (सात) कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1955 का विभिन्न अन्य क्षेत्रों तक विस्तार।”
- उनका भाषण अपूर्ण रहा। चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.09 बजे

(लोक सभा सोमवार, 14 दिसम्बर, 2015 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थागित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 14 दिसम्बर, 2015/23 अग्रहायण, 1937 (शक)

संख्या 120

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 201 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.20 बजे स्थगित हुई और
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 202—220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2301—2530 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे—

(एक) नेशनल शिडयूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) नेशनल शिडयूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 2015 जो 27 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 666(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।
- (3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे—
- (क) (एक) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (4) (एक) भारतीय मसाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय मसाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) भारतीय मसाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) ईईपीसी इंडिया (पूर्ववर्ती इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ईईपीसी इंडिया (पूर्ववर्ती इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोच्चि के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोच्चि के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एण्ड बिल्डिंग मैटेरियल्स, वल्लभगढ़ के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एण्ड बिल्डिंग मैटेरियल्स, वल्लभगढ़ के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पैकेजिंग, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पैकेजिंग, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरिन ट्रेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफार्मेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफार्मेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) एसटीसीएल लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एसटीसीएल लिमिटेड, बेंगलुरु का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) एसटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एसटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (13) (एक) शेलैक एण्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (पूर्ववर्ती शेलैक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) शेलैक एण्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (पूर्ववर्ती शेलैक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) शेलैक एण्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (पूर्ववर्ती शेलैक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (15) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अथॉरिटी पंजाब, मोहाली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अथॉरिटी पंजाब, मोहाली के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए राज्य मिशन अथॉरिटी) अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए राज्य मिशन अथॉरिटी) अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान गोवा, अल्तो पोरवोरिम के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान गोवा, अल्तो पोरवोरिम के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) असम महिला समता सोसायटी, गुवाहाटी के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) असम महिला समता सोसायटी, गुवाहाटी के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 38 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) का०आ० 2301(अ), जो 11 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 23(2) के अधीन उत्तराखण्ड राज्य को प्रदान की गई छूट बढ़ा दिए जाने के बारे में है।

- (दो) कांआ 918(अ), जो 1 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 23(2) के अधीन पश्चिम बंगाल राज्य को प्रदान की गई छूट बढ़ा दिए जाने के बारे में है।
- (तीन) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियम, 2015, जो 5 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 755(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (25) उपर्युक्त (24) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) (एक) गोवा सर्व शिक्षा अभियान, गोवा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) गोवा सर्व शिक्षा अभियान, गोवा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) (एक) हरियाणा सर्व शिक्षा अभियान, पंचकुला के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) हरियाणा सर्व शिक्षा अभियान, पंचकुला के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सिक्किम, गंगटोक के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सिक्किम, गंगटोक के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) मेकॉन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) मेकॉन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) बिसरा स्टेन लाइम कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) बिसरा स्टेन लाइम कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ड) (एक) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) (एक) ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (छ) (एक) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ज) (एक) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (झ) (एक) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ञ) (एक) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (33) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (एक) खान और खनिज (जिला खनिज प्रतिष्ठान में अभिदाय) नियम, 2015 जो 17 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 715(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) सांकांनि 781(अ), जो 14 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनार्थ आंध्र प्रदेश खनिज विकास लिमिटेड को अधिसूचित किया गया है।
- (तीन) सांकांनि 633(अ), जो 14 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित एक शासी निकाय और कार्यपालिका समिति के साथ राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास के नाम से एक न्यास की स्थापना की गई है।
- (34) (एक) मिजोरम यूनिवर्सिटी, आइजोल के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) मिजोरम यूनिवर्सिटी, आइजोल के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) मिजोरम यूनिवर्सिटी, आइजोल के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, भटिंडा के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, भटिंडा के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक

लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, भटिंडा के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 - (दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश शिमला के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 - (तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गाँधीनगर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 - (दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गाँधीनगर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 - (तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गाँधीनगर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक, कलागुरागी के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 - (दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक, कलागुरागी के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 - (तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक, कलागुरागी के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (39) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, कासरगौड के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, कासरगौड के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, कासरगौड के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 24 के अंतर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी शिक्षा संस्थाओं, विश्वविद्यालय विभागों और तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों के रूप में मानित संस्थाओं में सभी कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों का आज्ञापक प्रत्यायन) विनियम, 2014, जो 29 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ संख्या 37-3/लीगल/एआईसीटीई/2014 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।
- (दो) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) (एक) प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (वेस्टर्न रीजन), मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (वेस्टर्न रीजन), मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (44) (एक) भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर, रायपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर, रायपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (46) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (47) (एक) भारतीय प्रबंधन संस्थान राँची, राँची के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय प्रबंधन संस्थान राँची, राँची के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- * (1) विदेश मंत्री ने अपनी इस्लामाबाद यात्रा तथा भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों से संबंधित हाल के घटनाक्रमों के बारे में वक्तव्य दिया।

अध्यक्षपीठ की अनुमति से निम्नलिखित सदस्यों ने स्पष्टीकरण मांगा:—

- (1) प्रो० सौगत राय
- (2) डॉ० पी० वेणुगोपाल
- (3) श्री भर्तृहरि महताब
- (4) श्री मोहम्मद सलीम
- (5) श्री विनायक भाऊराव राउत
- (6) श्री जयदेव गल्ला
- (7) श्री प्रेमचन्द्र चंदूमाजरा

* अपराह्न 2.15 बजे से अपराह्न 3.08 बजे।

- (8) सुश्री महबूबा मुफ्ती
- (9) मोहम्मद असादुद्दीन ओवैसी
- (10) श्री मेकापति राजमोहन रेड्डी
- (11) डॉ० अरुण कुमार
- (12) श्री ए० पी० जितेन्द्र रेड्डी
- (13) प्रो० (डॉ०) सुगत बोस

श्रीमती सुषमा स्वराज ने उत्तर दिया।

- (2) संस्कृति मंत्रालय के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पर्यटन मंत्रालय के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पर्यटन मंत्रालय से संबंधित “केरल और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में पर्यटन, राष्ट्रीय राजमार्ग और जल परिवहन का विकास” के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 200वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति के 213वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.02 बजे

5. प्रस्ताव

श्री राजीव प्रताप रूडी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा 11 दिसम्बर, 2015 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 24वें प्रतिवेदन से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.03 बजे

6. सदस्यों द्वारा निवेदन

- (एक) श्री के० सी० वेणुगोपाल ने राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिमा के अनावरण समारोह के लिए केरल के मुख्यमंत्री का आमंत्रण कथित तौर पर वापस लिए जाने के बारे में निवेदन किया।

डॉ० शशि थरूर, श्री जोस के० मणि, एडवोकेट जॉएस० जॉर्ज, श्री इन्नोसेंट, श्री पी० के० बिजू, श्रीमती पी० के० श्रीमथि टीचर और श्री पी० करुणाकरण सहयोजित हुए।

श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर दिया।

श्री राजीव प्रताप रूडी ने भी उत्तर दिया।

अपराहन 12.18 बजे

(दो) डॉ० पी० वेणुगोपाल ने तमिलनाडु में हाल ही में हुई भारी वर्षा से उत्पन्न स्थिति के कारण संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा स्थगित किए जाने के बारे में निवेदन किया।

श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर दिया।

अपराहन 12.20 बजे

(तीन) श्री भगवंत मान ने दिल्ली में शकूरपुर बस्ती रेलवे स्टेशन के ईर्द-गिर्द 500 झुगियों को गिराए जाने के बारे में निवेदन किया।

श्री पी० के० बीजू, श्रीमती पी० के० श्रीमथि टीचर श्री जयप्रकाश नारायण यादव, श्री धर्मेन्द्र यादव और श्री राजेश रंजन सहयोजित हुए।

श्री सुरेश प्रभु ने उत्तर दिया।

अपराहन 12.39 बजे

(चार) श्री धर्मेन्द्र यादव ने इलाहाबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय में रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता के बारे में निवेदन किया।

श्री अजय (टेनी) मिश्रा और कुंवर पुष्पेन्द्र चंदेल सहयोजित हुए।

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराहन 1.13 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.15 बजे पुनः समवेत हुई।)

*अपराहन 3.08 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निर्देशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले

*अपराहन 12.03 बजे से अपराहन 1.13 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

विभिन्न मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखें:—

- (1) श्री कामाख्या प्रसाद तासा द्वारा जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति की शक्तियों में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री हुकुम सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के कैराना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभी गांवों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्रीमती रमा देवी द्वारा बिहार की मल्लाह, हजाम, तातवां, लोहार एवं बड़ई जातियों के लोगों को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री छेदी पासवान द्वारा पहलेजा-रोहतास-नौहट्टा-राबट्सगंज खंड एवं मुण्डेश्वरी धाम (बिहार) तथा दिलदारनगर (उत्तर प्रदेश) के बीच रेल सेवाओं को उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) डॉ० किरिट पी० सोलंकी द्वारा देश में एड्स रोगियों को निःशुल्क उपचार सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री अंशुल वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के हरदोई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बड़ागांव अर्जुनपुर के निकट रामगंगा नदी पर पुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री राजेश वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश में सीतापुर एवं बहराइच के बीच रेल लाइन के निर्माण हेतु आगामी रेल बजट में बजटीय प्रावधान किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उत्तर प्रदेश में मध्याह्न भोजन एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों की लेखापरीक्षा में व्याप्त कदाचार को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) कर्नल सोनाराम चौधरी द्वारा राजस्थान के पेयजल की कमी वाले बाड़मेर एवं जैसलमेर के जिलों के लोगों को राहत उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री सतीश चंद्र दुबे द्वारा बिहार के बाल्मीकनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के ठकराहा प्रखंड एवं बेतिया के बीच पुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (11) डॉ० सुभाष रामराव भामरे द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को कृषि क्षेत्र से जोड़े जाने एवं किसानों की समस्याओं को दूर करने हेतु कदम उठाये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री रवीन्द्र कुमार राय द्वारा हजारीबाग स्टेशन पर रेल सेवाओं में वृद्धि किये जाने के अलावा गिरिडीह-कोवाड़-कोडरमा-रांची रेल मार्ग पर ईएमयू रेल सेवा एवं धनबाद से दिल्ली तक सुपरफास्ट गरीब रथ रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्रीमती कृष्णा राज द्वारा देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण स्तर को रोकने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री डी०एस० राठौड़ द्वारा अहमदाबाद-हिम्मतनगर-उदयपुर एवं मोडासा-शामालाजी खंडों पर रेल मार्ग के आमाम परिवर्तन में तेजी लाये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्रीमती के० मरगथम द्वारा तमिलनाडु में मदुरमतकम टारुन में कंप्यूटराइज्ड रेल आरक्षण केन्द्र स्थापित किये जाने एवं गुरुवायुर तथा त्रिची एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का ठहराव दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्रीमती वी० सत्यबामा द्वारा तमिलनाडु को व्यापक हथकरघा विकास योजना के संबंध में विपणन प्रोत्साहन हेतु केन्द्रीय हिस्से को जारी किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) श्री बलभद्र माझी द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के विद्यमान दिशानिर्देशों को संशोधित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (18) श्री किंजरापू राम मोहन नायडू द्वारा देश में बंधुआ मजदूरी की समस्या पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (19) श्री ए०पी० जितेन्द्र रेड्डी द्वारा तेलंगाना में डॉ० बी०आर० अम्बेडकर प्रणहिता-छेवेल्ला सुजाला श्रावन्ती सिंचाई परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (20) श्री एम०बी० राजेश द्वारा केरल में स्थित विशेष विद्यालयों को पर्याप्त और समय पर अनुदान सुनिश्चित किए जाने एवं उक्त विद्यालयों के शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (21) श्री मोहम्मद फैज़ल द्वारा लक्षद्वीप में कदमात द्वीप पर प्रवेश चैनल को गहरा एवं चौड़ा किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 3.09 बजे

8. सरकारी विधेयक — पारित

परमाणु ऊर्जा (संशोधन) विधेयक, 2015

लिया गया समय: 2 घंटे 36 मिनट

डॉ० जितेन्द्र सिंह ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

- (1) श्री प्रहलाद सिंह पटेल
- (2) प्रो० सौगत राय
- (3) श्री तथागत सत्पथी
- (4) श्री विनायक भाऊराव राऊत
- (5) श्री जयदेव गल्ला
- (6) श्री कोण्डा विश्वेश्वर रेड्डी
- (7) श्री एम० बी० राजेश
- (8) श्री येरम वेंकट सुब्बा रेड्डी
- (9) श्री चिन्तामन नावाशा वांगा
- (10) श्री पी० आर० सुन्दरम
- (11) श्री राजेश रंजन
- (12) श्री भगवंत मान
- (13) डॉ० अरूण कुमार
- (14) श्री दुष्यंत चौटला
- (15) श्री गोपाल शेटी

डॉ० जितेन्द्र सिंह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

खंड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

डॉ० जितेन्द्र सिंह ने विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 5.45 बजे

9. (एक) अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) (दूसरा बैच)—2015-16 और (दो) अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)—2012-13

आबंटित समय : 3 घंटे

लिया गया समय : 16 मिनट

शेष : 2 घंटे 44 मिनट

निम्नलिखित कार्य की मदों पर संयुक्त चर्चा ली गई:—

(एक) वर्ष 2015-16 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें (दूसरा बैच) सं० 1, 3, 4, 6 से 10, 12 से 20, 22, 28 से 35, 37, 43, 47 से 51, 53 से 56, 58 से 63, 66, 68, 69, 73, 76, 77, 83, 84, 86, 88, 89, 91 से 94, 96 से 98, 102 और 104 से 109;

(दो) बजट (सामान्य)—2012-13 के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांग संख्या 13, 21 और 40

श्री वी० एलुमलाई ने वाद-विवाद में भाग लिया।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.01 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 15 दिसम्बर, 2015 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र

महासचिव

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 15 दिसम्बर, 2015/24 अग्रहायण, 1937 (शक)

संख्या 121

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 221—225 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 226—240 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2531—2760 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) (एक) सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एण्ड रेगुलेटरी अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एण्ड रेगुलेटरी अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 2015, जो 9 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 847(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) अधिसूचना संख्या 1(7)/2015-एस्पी-I, जो 18 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा चीनी मिलों को सुलभ ऋण दिए जाने की स्कीम का संशोधन किया गया है।
- (दो) सांकांनि 752(अ), जो 1 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो वर्ष 2014-2015 के कारखाना-वार नियम खुदरा मूल्य के नियतन के बारे में है।
- (तीन) अनंतिम चीनी (वर्ष 2011-2012 के उत्पादन के लिए मूल्य अवधारण) संशोधन आदेश, 2015, जो 1 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 753(अ)/आव/व/चीनी में प्रकाशित हुआ था।
- (चार) चीनी (वर्ष 2009-2010 के उत्पादन के लिए मूल्य अवधारण) संशोधन आदेश, 2015, जो 1 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 754(अ)/आव/व/चीनी में प्रकाशित हुआ था।

- (पांच) अधिसूचना संख्या 1(7)/2015-एस०पी०-I, जो 5 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 23 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या 1(5)/2015-एस०पी०-I, द्वारा अधिसूचित चीनी मिलों को सुलभ ऋण दिए जाने की स्कीम का संशोधन किया गया है।
- (5) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (6) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 12 और 13 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 2453(अ), जो 8 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 18 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1174(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ठ की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 2460(अ), जो 10 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित सदस्यों को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण में नियुक्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत वन (संरक्षण) संशोधन नियम, 2014, जो 14 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०कार्नि० 185(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) कर्नाटक कैश्यू कारपोरेशन लिमिटेड मंगलौर के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कर्नाटक कैश्यू डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मंगलौर का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (11) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) नेशनल लेबर को-ऑपरेटिव्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल लेबर को-ऑपरेटिव्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
 - (एक) उर्वरक (नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 2015, जो 17 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2510(अ) में प्रकाशित हुआ था।
 - (दो) उर्वरक (नियंत्रण) चौथा संशोधन आदेश, 2015, जो 10 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2776(अ) में प्रकाशित हुआ था।
 - (तीन) का०आ० 2777(अ), जो 10 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खण्ड 20क के अंतर्गत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए प्रोविजल फर्टिलाइजर जिंक पॉली फास्फेट का भारत में विनिर्माण किए जाने के बारे में है।
 - (चार) का०आ० 2778(अ), जो 10 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उर्वरक (नियंत्रक) आदेश, 1985 के खण्ड 20ख के अंतर्गत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चार वर्ष की अवधि के

लिए उसमें उल्लिखित कस्टमाइज्ड उर्वरकों की दो नई श्रेणियों को अधिसूचित किया गया है।

- (17) (एक) नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 - (दो) नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 - (तीन) नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, (कर्मचारी भविष्य निधि) मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 - (चार) नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, अहमदाबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) कंपनी अधिनियम, 1956 की धरा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
 - (क) (एक) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एण्ड पॉलीमर लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एण्ड पॉलीमर लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ख) (एक) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, नवी मुंबई का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (21) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फार्मूलेशन टेक्नोलॉजी, गुड़गांव के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टिट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फार्मूलेशन टेक्नोलॉजी, गुड़गांव के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 2701(अ), जो 6 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा खरीफ सत्र 2015 के दौरान यूरिया के घरेलू विनिर्माताओं द्वारा राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को की जाने वाली यूरिया की आपूर्ति (ईसीए के अधीन) को निर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

- (क) (एक) ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) नेशनल बाइसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) नेशनल बाइसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) एनईपीए लिमिटेड, नेपालनगर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) एनईपीए लिमिटेड, नेपालनगर के वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (25) (एक) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) (एक) फ्लुइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पालक्कड के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) फ्लुइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पालक्कड के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

- (एक) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, असिस्टेंट कमांडेंट (राजभाषा), समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2015, जो 20 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 796(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल इंस्पेक्टर (हिन्दी अनुवादक) और सुबेदार मेजर (हिन्दी अनुवादक) भर्ती नियम, 2015, जो 20 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 797(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (28) पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) संशोधन नियम, 2015, जो 8 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 685(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3 के अंतर्गत जारी विदेशियों विषयक (संशोधन) आदेश, 2015, जो 8 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 686(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (4) और (5) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सांकांनि 3016(अ), जो 6 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खपलांग) [एनएससीएन (के)] को आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) सीमा सुरक्षा बल, सामान्य ड्यूटी संवर्ग (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2015, जो 3 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 830(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) सीमा सुरक्षा बल, इंजीनियरिंग सेट-अप, ड्राफ्ट्समैन (समूह 'ख' और समूह 'ग' पद) कम्बैटइज्ड भर्ती नियम, 2015, जो 15 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 782(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) सीमा सुरक्षा बल, असिस्टेंट कमांडेंट (राजभाषा), समूह 'क' कम्बैटइज्ड पद भर्ती नियम, 2015, जो 9 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 769(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (32) सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 की धारा 155 की उपधारा (3) के अंतर्गत सशस्त्र सीमा बल समूह 'क' कम्बैटाइज्ड (सामान्य ड्यूटी) महानिदेशक, अपर महानिदेशक, महानिरीक्षक, उप-महानिरीक्षक और कमांडेंट पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2015, जो 14 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांस्कृतिक 856(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) रिहैबिलिटेशन प्लानिंग्स लिमिटेड, कोल्लम के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) रिहैबिलिटेशन प्लानिंग्स लिमिटेड, कोल्लम के वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (34) (एक) रेपको बैंक लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रेपको बैंक लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (36) (एक) नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (37) (एक) इंडियन स्पाइनल इंज्यूरिज़ सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन स्पाइनल इंज्यूरिज़ सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) (एक) नेशनल ट्रस्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल ट्रस्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (40) (एक) प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेरायटीज एण्ड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेरायटीज एण्ड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेरायटीज एण्ड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत कीटनाशी (संशोधन) नियम, 2015, जो 5 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 840(अ) में प्राकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (42) गुजरात स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप एण्ड मैनेजमेंट, सोनीपत के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप एण्ड मैनेजमेंट, सोनीपत के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, तंजावुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, तंजावुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) (एक) अरूण इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल अफेयर्स, ढेंकनाल के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) अरूण इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल अफेयर्स, ढेंकनाल के वर्ष 2014-15 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (46) (एक) इंटिग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एण्ड एजुकेशनल आर्गेनाइजेशन मणिपुर, थाउबल के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंटिग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एण्ड एजुकेशनल आर्गेनाइजेशन मणिपुर, थाउबल के वर्ष 2014-15 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(47) (एक) वेस्ट बंगाल शिडयूल्ड कास्ट्स, ट्राइब्स एण्ड माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन, पश्चिम मेदिनीपुर के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) वेस्ट बंगाल शिडयूल्ड कास्ट्स, ट्राइब्स एण्ड माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन, पश्चिम मेदिनीपुर के वर्ष 2014-15 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियाँ—कार्य का सारांश

महासचिव ने विभागों से संबद्ध स्थायी समितियाँ—कार्य का सारांश (31 अगस्त, 2013 से 18 मई, 2014) के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करणों की एक प्रति सभा पटल पर रखी।

5. संसदीय समितियाँ (वित्तीय तथा विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों से भिन्न)—कार्य का सारांश

महासचिव ने 'संसदीय समितियाँ (वित्तीय तथा विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों से भिन्न)—कार्य का सारांश (1 जून, 2013 से 18 मई, 2014)' के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करणों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी।

*अपराहन 12.02 बजे

6. मंत्री द्वारा वक्तव्य

- (1) कृषि और कृषक कल्याण मंत्री ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई- कार्रवाई के बारे में समिति के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(लोक सभा अपराहन 1.19 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.21 बजे पुनःसमवेत हुई।)

*अपराहन 12.03 बजे से अपराहन 1.19 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराहन 2.21 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री थुपस्तान छेवांग द्वारा दिल्ली और लेह के बीच एअर इंडिया और जेट एअरवेज की उड़ानों को पुनः शुरू किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह द्वारा काशी से गौमुख तक के क्षेत्र को ईको सेंसिटिव क्षेत्र घोषित करने के निर्णय को वापस लिये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री फिरोज वरुण गांधी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के अधीन सीवर सफाई के कार्य का मशीनीकरण किये जाने की प्रक्रिया को गति दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री पशुपति नाथ सिंह द्वारा झारखंड के धनबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रसोई गैस सिलेंडरों की कमी की समस्या का समाधान किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री नाना पटोले द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिये चलाए जाने वाली कल्याण योजनाओं में सुधार करने हेतु मेंटिनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेन्ट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, 2007 का संशोधन किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री राजकुमार सैनी द्वारा हरियाणा में स्थित हिन्दुओं के प्राचीन और पवित्र जलकुंड का संरक्षण किये जाने तथा इसे यूनेस्को विश्वदाय स्थल सूची में सम्मिलित कराये जाने हेतु उचित कदम उठाये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री प्रहलाद जोशी द्वारा कर्नाटक में धारवाड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर रेल अंडरपास बनाने तथा पुराने अंडरपासों की मरम्मत किये जाने हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री विष्णु दयाल राम द्वारा देश में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु विशेष कार्यक्रम तैयार किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री नारणभाई काछड़िया द्वारा गुजरात में नए कपास अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (10) श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी द्वारा महाराष्ट्र के अहमदनगर में के के आर्मी फायरिंग रेंज के समीप कथित रूप से होने वाले भू-अर्जन के संबंध में लोगों के मन में बसी आशंका को दूर करने हेतु स्पष्टीकरण जारी किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) डॉ० वीरेन्द्र कुमार द्वारा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के जिलों में सूखे की स्थिति का आंकलन करने हेतु केंद्रीय दल भेजे जाने तथा किसानों के ऋण माफ करने सहित उचित कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री रामदास सी० तडस द्वारा पुलगांव-अरवी रेल लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री अर्जुन लाल मीणा द्वारा उदयपुर में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने हेतु इस शहर को स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री एस०पी० मुद्दाहनुमे गोड़ा द्वारा कर्नाटक की कुंचीट्टिया जाति को अन्य पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री एस० सेल्वाकुमार चिन्नैयन द्वारा तमिलनाडु के इरोड स्थान पर केंद्रीय विद्यालय की स्थापना किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री एस० राजेन्द्रन द्वारा तमिलनाडु के विलुपुरम जिले के बाढ़ प्रभावित किसानों को तत्काल वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) प्रो० सौगत राय द्वारा विकासशील देशों तथा छोटे द्वीप राज्यों की चिंताओं का ध्यान रखते हुए जलवायु परिवर्तन के संबंध में अंतिम प्रारूप की आवश्यकता के बारे में।
- (18) श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा हुगली जिला, पश्चिम बंगाल में कमारकुण्डु रेलवे स्टेशन के निकट लेवल क्रॉसिंग गेट नं० 27ख पर सड़क उपरिपुल बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (19) डॉ० प्रभास कुमार सिंह द्वारा ओडिशा में झारसूगुड़ा जिले में नया रेल मंडल बनाये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (20) श्री विनायक भाऊराव राऊत द्वारा अवैध रूप से मछली पकड़ने पर रोक लगाने हेतु भारतीय मत्स्यन अधिनियम, 1897 का संशोधन किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (21) श्री जैदेव गल्ला द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती में सीजीएचएस वेलनेस सेंटर खोले जाने तथा सीजीएचएस के अधीन अस्पतालों को पैनल पर लिये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (22) श्री कुंवर हरिवंश सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय में ट्रॉमा सेंटर की स्थापना किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (23) श्री दुष्यंत चौटाल द्वारा हरियाणा में विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में हेपेटाइटिस सी के मामलों से निपटने के लिये निःशुल्क उपचार सहित लोक जागरूकता फैलाये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (24) श्री राधेश्याम बिश्वास द्वारा असम के करीमगंज जिले में स्थित और 1857 के गदर से जुड़े मालेगढ़ किले को राष्ट्रीय दाय घोषित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (25) श्री राजेश रंजन द्वारा बिहार के ऐतिहासिक महत्व के तथा महान व्यक्तियों से जुड़े स्थानों को विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल घोषित किये जाने और उनका विकास किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (26) श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन द्वारा केरल में इंडियन रेअर अर्थ लिमिटेड द्वारा ली गई भूमि को भू-स्वामियों को वापस किये जाने तथा उनके पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.23 बजे

8. (एक) अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) (दूसरा बैच) —2015-16 और (दो) अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) —2012-13

लिया गया समय: 3 घंटे 54 मिनट

निम्नलिखित मदों पर आगे संयुक्त चर्चा ली गई:—

(एक) वर्ष 2015-16 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें (दूसरा बैच) सं० 1, 3, 4, 6 से 10, 12 से 20, 22, 28 से 35, 37, 43, 47 से 51, 53 से 56, 58 से 63, 66, 68, 69, 73, 76, 77, 83, 84, 86, 88, 89, 91 से 94, 96 से 98, 102 और 104 से 109;

(दो) बजट (सामान्य) —2012-13 के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांग संख्या 13, 21 और 40

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

- (1) श्री निशिकान्त दुबे
- (2) प्रो० सौगत राय
- (3) श्री भर्तृहरि महताब
- (4) श्री अरविन्द गणपत सावंत
- (5) डॉ० रविन्द्र बाबू
- (6) डॉ० बूरा नरसैय्या गौड
- (7) श्री मोहम्मद बदरुद्दोजा खान
- (8) श्री पी०वी० मिदून रेड्डी
- (9) श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
- (10) श्री जयप्रकाश नारायण यादव
- (11) श्री शेर सिंह गुबाया
- (12) श्रीमती सुप्रिया सुले
- *(13) श्रीमती जयश्रीबेन पटेल
- *(14) डॉ० किरीट सोमैया
- *(15) डॉ० मनोज राजोरिया
- (16) डॉ० अरुण कुमार
- *(17) श्रीमती आर० वनरोजा
- *(18) श्री रामेश्वर तेली
- (19) श्री एन्०के० प्रेमचन्द्रन
- *(20) श्री गणेश सिंह
- *(21) श्री शरद त्रिपाठी
- *(22) डॉ० रमेश पोखरियाल निशंक
- (23) श्री कौशलेन्द्र कुमार
- (24) श्री राजेश रंजन

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- (25) श्री कीर्ति आजाद
 *(26) श्री अर्जुन राम मेघवाल
 *(27) श्री श्रीरंग अप्पा वारणे
 *(28) श्री संजय शामराव धोत्रे
 *(29) श्री पी०पी० चौधरी
 *(30) श्री परशुराम के०
 *(31) श्री टी०जी० बाबू वेंकटेश
 *(32) श्री भैरों प्रसाद मिश्र
 *(33) श्री ओम बिरला
 (34) श्री जयंत सिन्हा

श्री अरुण जेटली ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

वर्ष 2015-16 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की सभी अनुपूरक मांग सं० 1, 3, 4, 6 से 10, 12 से 20, 22, 28 से 35, 37, 43, 47 से 51, 53 से 56, 58 से 63, 66, 68, 69, 73, 76, 77, 83, 84, 86, 88, 89, 91 से 94, 96 से 98, 102 और 104 से 109

वर्ष 2015-16 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांग-दूसरा बैच (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शायी गयी राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

वर्ष 2012-13 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की सभी मांग संख्या 13, 21 और 40 वर्ष 2012-13 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) की मुद्रित सूची के कॉलम संख्या 3 के अंतर्गत दर्शायी गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

9. सरकार विधेयक — पुरःस्थापित

विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2015

10. सरकार विधेयक — पारित

विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2015

श्री अरुण जेटली द्वारा पेश किए गए विधेयक पर विचारार्थ प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अरुण जेटली ने विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

11. सरकारी विधेयक — पुरःस्थापित

विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2015

12. सरकारी विधेयक — पारित

विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2015

श्री अरुण जेटली द्वारा पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अरुण जेटली ने विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

सायं 6.05

13. सरकारी विधेयक — पारित

चीनी उपकर (संशोधन) विधेयक, 2015

लिया गया समय: 1 घंटा 06 मिनट

श्री रामविलास पासवान द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री हुकुम सिंह
2. श्रीमती प्रतिमा मण्डल
3. श्री रवीन्द्र कुमार जेना

4. श्री विनायक भाऊराव राऊत
5. श्री मुथमसेट्टी श्रीनिवास राव
6. श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी
7. श्री पी०के० बिजू
8. श्री कौशलेन्द्र कुमार

श्री रामविलास पासवान ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री रामविलास पासवान द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

सायं 7.11 बजे

(लोक सभा बुधवार 16 दिसम्बर, 2015 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 16 दिसम्बर, 2015/25 अग्रहायण, 1937 (शक)

संख्या 122

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 241—244 और 246 के मौखिक उत्तर दिए गए। प्रश्न सं० 245 जिन दो सदस्यों के नाम सूचीबद्ध था, वे अनुपस्थित थे। यद्यपि, संबंधित मंत्री ने उत्तर को पटल पर रखा। तारांकित प्रश्न संख्या 247—260 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2761—2990 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) (एक) नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा के वर्ष 2012-2013 और 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा के वर्ष 2012-13 और 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) आईटीआई लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) आईटीआई लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (4) भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 की धारा 10 की उपधारा (4) तथा भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) बेतार माइक्रोफोनों के लिए बहुत कम शक्तिशाली रेडियो आवृत्ति उपकरणों या उपकरणों का उपयोग (अनुज्ञापितकरण अपेक्षाओं से छूट) नियम, 2015,

जो 16 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 696(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) प्रेरणिक अनुप्रयोगों के लिए बहुत कम शक्तिशाली रेडियो आवृत्ति उपकरणों या उपस्करों का उपयोग (अनुज्ञप्तिकरण अपेक्षाओं से छूट) नियम, 2015, जो 16 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 697(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) रेडियो आवृत्ति अभिज्ञान उपकरणों सहित बहुत कम शक्तिशाली रेडियो आवृत्ति उपकरणों या उपस्करों का उपयोग (अनुज्ञप्तिकरण अपेक्षाओं से छूट) नियम, 2015, जो 16 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 698(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) अल्प दूरी रडार प्रणालियों के लिए बहुत कम शक्तिशाली रेडियो आवृत्ति उपकरणों या उपस्करों का उपयोग (अनुज्ञप्तिकरण अपेक्षाओं से छूट) नियम, 2015, जो 16 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 699(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (5) इंस्टिट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एण्ड रीजेनेरेटिव मेडिसिन, बंगलौर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (6) इंस्टिट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एण्ड रीजेनेरेटिव मेडिसिन, बंगलौर के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, गडांकी के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, गडांकी के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, 2015, जो 31 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 668(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (9) संविधान के अनुच्छेद 323(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (एक) संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 का 65वां वार्षिक प्रतिवेदन।
- (दो) प्रतिवेदन के अध्याय 10 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग की सलाह स्वीकार नहीं किए जाने के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन।
- (10) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (1) नेशनल माइनोंरिटीज डेवलपमेंट एण्ड फाइनांस कारपोरेशन, दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (2) नेशनल माइनोंरिटीज डेवलपमेंट एण्ड फाइनांस कारपोरेशन, दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (11) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (क) (एक) ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) इंडियन रेलवे फाइनांस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडियन रेलवे फाइनांस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) मुंबई रेलवे विकास कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) मुंबई रेलवे विकास कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (12) रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 30 की उपधारा (3) के अंतर्गत रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2015, जो 17 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 711(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) ईएसएसओ-नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज, तिरुवनंतपुरम, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (दो) ईएसएसओ-नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज, तिरुवनंतपुरम, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के लेखा परीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एण्ड ओसियन रिसर्च, गोवा के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एण्ड ओसियन रिसर्च, गोवा के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) ईएसएसओ-इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओसियन इंफार्मेशन सर्विसेज, हैदराबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) ईएसएसओ-इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओसियन इंफार्मेशन सर्विसेज, हैदराबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओसियन टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओसियन टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लांट जिनोम रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लांट जिनोम रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ बायोरिसोर्सेस एण्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्फाल के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टिट्यूट ऑफ बायोरिसोर्सेस एण्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्फाल के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, हैदराबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, हैदराबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (20) (एक) रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, फरीदाबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, फरीदाबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, पुणे के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, पुणे के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) नेशनल एग्री-फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, मोहाली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल एग्री-फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, मोहाली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस, भुवनेश्वर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंस्टिट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस, भुवनेश्वर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) इंस्टिट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस, भुवनेश्वर के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एण्ड डायग्नोस्टिक्स, हैदराबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एण्ड डायग्नोस्टिक्स, हैदराबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) (एक) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) इंडियन वैक्सिन्स कारपोरेशन लिमिटेड, गुडगांव के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडियन वैक्सिन्स कारपोरेशन लिमिटेड, गुडगांव का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एण्ड बायोलॉजिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एण्ड बायोलॉजिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (29) (एक) सेंटर ऑफ इनोवेटिव एण्ड एप्लाइड बायोप्रोसेसिंग, मोहाली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर ऑफ इनोवेटिव एण्ड एप्लाइड बायोप्रोसेसिंग, मोहाली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलाजी, पुणे के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलाजी, पुणे के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) (एक) ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, गुड़गांव के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, गुड़गांव के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ख) (एक) कोच्चि मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कोच्चि मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, कोच्चि का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) बंगलौर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) बंगलौर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, बेंगलुरु का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (33) (एक) नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) (एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (35) (एक) दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) सरकारी आवासों का आवंटन (दिल्ली में सामान्य पूल) (संशोधन) नियम, 2015, जो 13 जून, 2015 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 112 में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र (केवल हिन्दी संस्करण) जो 1 अगस्त, 2015 की अधिसूचना संख्या सांकांनि 136 में प्रकाशित हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) सांकांनि 382(अ), जो 14 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो माली, सीनियर माली, गार्डन सुपरवाइजर, सेक्शनल ऑफिसर (बागवानी), सहायक निदेशक (बागवानी), उप-निदेशक (बागवानी) और निदेशक (बागवानी) के पदों के लिए भर्ती विनियमों के बारे में है।
- (दो) सांकांनि 324(अ), जो 22 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो चीफ लीगल एडवाइजर, डिप्टी चीफ लीगल एडवाइजर, सीनियर लॉ ऑफिसर, जूनियर लॉ ऑफिसर और लीगल असिस्टेंट के पदों के लिए भर्ती विनियमों के बारे में है।
- (तीन) सांकांनि 108(अ), जो 12 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो कनिष्ठ अनुवादक (राजभाषा), वरिष्ठ अनुवादक (राजभाषा), सहायक निदेशक (राजभाषा) और उप-निदेशक (राजभाषा) के पदों के लिए भर्ती विनियमों के बारे में है।
- (चार) सांकांनि 505(अ), जो 19 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आयुक्त (आयोजना), अपर आयुक्त (आयोजना), निदेशक

(आयोजना), उप-निदेशक (आयोजना), सहायक निदेशक (आयोजना) और आयोजना सहायक के पदों के लिए भर्ती विनियमों के बारे में है।

(पांच) दिल्ली विकास प्राधिकरण (आचरण, अनुशासनात्मक और अपील) संशोधन विनियम, 2014 जो 12 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 181(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(39) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना संख्या सांकांनि 46/2015 जो 16 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनका आशय (एक) ब्रांड रहित पेट्रोल पर मूल उत्पाद शुल्क 7.06 रु. प्रति लीटर से 7.36 रु. प्रति लीटर; (दो) ब्रांड वाले पेट्रोल पर मूल उत्पाद शुल्क 8.24 रु. प्रति लीटर से 8.54 रु. प्रति लीटर; (तीन) ब्रांड रहित डीजल पर मूल उत्पाद शुल्क 4.66 रु. प्रति लीटर से 5.83 रु. प्रति लीटर; और (चार) ब्रांड वाले डीजल पर मूल उत्पाद शुल्क 7.02 रु. प्रति लीटर से 8.19 रु. प्रति लीटर तक करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

4. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

डॉ० एम० तंबिदुरै ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

श्री भर्तृहरि महताब ने लोक लेखा समिति (2015-16) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) से संबंधित “पूर्त न्यासों और संस्थाओं को छूट” विषय पर 27वां प्रतिवेदन।
- (2) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित ‘स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों (2011-12) से अधिक धनराशियां’ के बारे में 92वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 28वां प्रतिवेदन।

*अपराहन 12.08 बजे।

- (3) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड) से संबंधित 'शुल्क वापसी स्कीम' के बारे में 7वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 29वां प्रतिवेदन।

6. कृषि संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री हुक्मदेव नारायण यादव ने कृषि संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2014-15)' के बारे में चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 17वां प्रतिवेदन।
- (2) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2015-16)' के बारे में आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 18वां प्रतिवेदन।
- (3) कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और कृषक कल्याण विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2015-16)' के बारे में 9वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 19वां प्रतिवेदन।
- (4) कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय (कृषि, अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2015-16)' के बारे में 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 20वां प्रतिवेदन।
- (5) कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मत्स्य-पालन विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2015-16)' के बारे में 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 21वां प्रतिवेदन।

7. रक्षा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूडी, एवीएसएम (सेवानिवृत्त) ने रक्षा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) नौसेना और वायु सेना (मांग संख्या 23 और 24) के बारे में रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-15) से संबंधित रक्षा संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 12वां प्रतिवेदन।

- (2) आयुध निर्माणियां और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (मांग संख्या 25 और 26) के बारे में रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-15) से संबंधित रक्षा संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) के 5वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 13वां प्रतिवेदन।

8. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री प्रहलाद जोशी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) 'अनुदानों की मांगों (2015-2016)' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2014-15) के चौथे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 8वां प्रतिवेदन।
- (2) 'राष्ट्रीय ऑटो ईंधन नीति' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2014-15) के 5वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 9वां प्रतिवेदन।

9. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री राकेश सिंह ने कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) कोयला मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2015-16)' पर समिति के सातवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 15वां प्रतिवेदन।
- (2) खान मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2015-16)' पर समिति के आठवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 16वां प्रतिवेदन।

10. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री रमेश बैस ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (निःशक्त व्यक्ति अधिकारिता विभाग) से संबंधित 'निःशक्तता के क्षेत्र में कार्य कर रहे राष्ट्रीय संस्थानों के कार्यकरण की समीक्षा' (15वीं लोक सभा) विषय के बारे में 45वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट

टिप्पणियों/सिफारिशों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति 2014-15 (16वीं लोक सभा) के आठवें की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

- (2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति 2014-15 (16वीं लोक सभा) के 16वें की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।
- (3) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति 2014-15 (16वीं लोक सभा) के 18वें की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।
- (4) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति-2014-15 (16वीं लोक सभा) के 19वें की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

11. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- #(1) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री ने देश के उत्तर-पूर्वी राज्यों पर विशेष रूप से केन्द्र में रखते हुए प्रादेशिक संबद्धता के लिए सरकार की पहलों के बारे में वक्तव्य दिया।
- (2) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 7वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (3) जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने जनजातीय कार्य मंत्री की ओर से जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित 'जनजातीय क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों का कार्यकरण' के बारे

अपराहन 1.24 बजे।

में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 44वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

- (4) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कंवेन्शन के अधीन 30 नवम्बर से 12 दिसम्बर, 2015 तक पेरिस (फ्रांस) में हुए 21वें कांफ्रेंस ऑफ पार्टिज़ के बारे में वक्तव्य (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (5) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 259वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

*अपराहन 12.18 बजे

12. सदस्यों द्वारा निवेदन

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय पर सीबीआई द्वारा छापा मारने तथा संघीय राजनीति पर परिणामी अतिलंघन के बारे में निवेदन किया।

श्री एम० वैकेय्या नायडू ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराहन 1.31 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.32 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराहन 2.32 बजे

13. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निर्देशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री अजय मिश्रा टेनी ने देश में निःशक्त बच्चों की उचित शिक्षा के लिए योजना बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

*अपराहन 12.09 बजे से अपराहन 1.31 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

- (2) डॉ० किरीट सोमैया ने मुंबई स्थित संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के आसपास ईको सेंसिटिव जोन के प्रस्तावित सीमांकन के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।
- (3) श्री रत्न लाल कटारिया ने अंग दान के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु कार्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।
- (4) डॉ० नेपाल सिंह ने देश में विधवाओं के कष्टों को कम करने हेतु कल्याणकारी उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।
- (5) श्री रविन्द्र कुशवाहा ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में विशेषतः राज्य के सलेमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारी वर्षा और ओलावृष्टि से फसलों को क्षति होने के कारण संकट में आये किसानों को पर्याप्त मुआवजा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।
- (6) श्री जनार्दन मिश्रा ने मध्य प्रदेश के रीवा जिले में रायपुर, कर्चुलियान ब्लॉक में स्थित दुआरी गांव से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा का संचालन कराये जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।
- (7) श्री पंकज चौधरी ने नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड के अधीन उत्तर प्रदेश के आनंदनगर, महाराजगंज स्थित गणेश शुगर मिल्स के सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा मृत कर्मचारियों के आश्रित परिवार के सदस्यों को सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।
- (8) श्री हरीश मीणा ने 'मीणा' उपनाम वाले जाति प्रमाणपत्र जारी किये जाने के संबंध में राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्रों को राजस्थान सरकार द्वारा वापस करवाए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।
- (9) श्री दह्न मिश्रा ने उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसानों से धान की खरीद करने हेतु पर्याप्त संख्या में क्रयकेन्द्रों की स्थापना किये जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।
- (10) श्री सुनील कुमार सिंह ने झारखंड में उत्तर कोइल जलाशय परियोजना तथा अन्य सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

- (11) श्री सुशील कुमार सिंह ने बिहार विशेषतः राज्य के औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के लिये अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के अधीन निधियां उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।
- (12) डॉ० भागीरथ प्रसाद ने मध्य प्रदेश के भिंड और दतिया जिलों में तकनीकी शिक्षा संस्थान स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।
- (13) श्री अजय निषाद ने बिहार में मुजफ्फरपुर और मौकामा स्थित भारतवैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की इकाइयों का वित्तीय पुनरुज्जीवन किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।
- (14) श्री रामेश्वर तेली ने असम में डिब्रूगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण किये जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।
- (15) श्री डी०के० सुरेश ने कर्नाटक विशेषतः राज्य के बंगलौर ग्रामीण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत के स्तर पर राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोले जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।
- (16) श्री वी० पन्नीरसेल्वम ने तमिलनाडु के सलेम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर फ्लाईओवर के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किये जाने के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।
- (17) श्री के० परसुरमन ने तमिलनाडु के तंजावुर में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।
- (18) श्रीमती प्रतिमा मण्डल ने परंपरागत बंगाली मिठाई 'जोयनगर मोया' को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।
- (19) श्री बिजय चन्द्र बर्मन ने पश्चिम बंगाल में चाय बागान कामगारों की समस्याओं को दूर करने हेतु केंद्रीय सहायता की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।
- (20) श्री अर्का केशरी देव ने ओडिशा के कालाहांडी और नुआपाड़ा जिलों में सूखे की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।
- (21) श्री गजानन कीर्तिकर ने भारतीय जीवन बीमा निगम और राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनियों के उन कामगारों को जिन्होंने त्यागपत्र दिया तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली, पेंशन दिए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।
- (22) श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव ने आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में मुख्यालय रखते हुए नए रेलवे जोन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

- (23) श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी ने तेलंगाना की संगारेड्डी नगरपालिका को अमृत योजना की सूची में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।
- (24) श्रीमती कोथापल्ली गीता ने आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम का शब्दशः कार्यान्वयन सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।
- (25) श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान ने पश्चिम बंगाल में बहरामपुर से कृष्णानगर तक नई रेल लाइन का निर्माण किये जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।
- (26) श्री संतोष कुमार ने बिहार के पूर्णिया जिले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसा संस्थान स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।
- (27) श्री नव कुमार सरनीया ने बोडोलैंड टैरिटोरियल काउंसिल एकोर्ड की पुनरीक्षा किये जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

अपराहन 2.33 बजे

14. सरकारी विधेयक—पारित

लिया गया समय: 3 घंटे 26 मिनट

वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग विधेयक, 2015

श्री डी०वी० सदानन्द गौड़ा द्वारा 9 दिसम्बर, 2015 को विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री बी० सेनगुट्टुवन
2. श्री कीर्ति आजाद
3. कुमारी अर्पिता घोष
4. श्री तथागत सत्पथी
5. श्री विनायक भाऊराव राऊत

6. डॉ० रविन्द बाबू
7. श्री बी० विनोद कुमार
8. श्री एम०बी० राजेश
9. श्री वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली
10. श्री पी० पी० चौधरी
11. डॉ० अरुण कुमार
12. श्री संतोष कुमार
13. श्री दुष्यंत चौटाला
14. श्री एन० के० प्रेमचन्द्रन
15. श्री शेर सिंह गुबाया
16. श्री दह्न मिश्रा
17. श्री राजेश रंजन

श्री डी० वी० सदानन्द गौड़ा ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 से 6 स्वीकृत हुए।

खंड 7, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 8 और 9 स्वीकृत हुए।

खंड 10, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 11 और 12 स्वीकृत हुए।

खंड 13 से 19 स्वीकृत हुए।

खंड 20 और 21 स्वीकृत हुए।

खंड 22 और 23 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री डी०वी० सदानन्द गौड़ा द्वारा प्रस्ताव किया गया कि पेश किया गया विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया गया।

अपराह्न 5.54 बजे

***15. सांविधिक संकल्प—विचाराधीन**

आवृत्ति समय : 2 घंटे

लिया गया समय : 21 मिनट

शेष : 1 घंटा 39 मिनट

श्री एन० के० प्रेमचन्द्रन ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

“कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 23 अक्टूबर, 2015 को प्रख्यापित माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का संख्यांक 9) का निरनुमोदन करती है।”

***16. सरकारी विधेयक—विचाराधीन**

माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2015

श्री डी०वी० सदानन्द गौड़ा द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

चर्चा समाप्त नहीं हुई।

सायं 6.15 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 17 दिसम्बर, 2015 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

* एक साथ चर्चा की गई।

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुस्वार, 17 दिसम्बर, 2015/26 अग्रहायण, 1937 (शक)

संख्या 123

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने 16 दिसम्बर, 2015 को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोट से पी०एस०एल०वी०-सी 29 के सफल प्रक्षेपण के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को सभा की ओर से बधाई दी।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 261—264 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 265—280 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2991—3220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.05 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) इंडियन लॉ इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) इंडियन लॉ इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) नेशनल रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (4) नेशनल रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
 - (क) (एक) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर और उसके समनुषंगी के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर और उसके समनुषंगी का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ख) (एक) नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ग) (एक) जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (घ) (एक) नेशनल हैण्डलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल हैण्डलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नवी मुंबई का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (6) (एक) इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) सेंट्रल सिल्क बोर्ड, बंगलोर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेंट्रल सिल्क बोर्ड, बंगलोर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) सेंट्रल सिल्क बोर्ड, बंगलोर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) बाम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बाम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (9) (एक) साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा 4(ख) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 2353(अ) जो 28 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो राष्ट्रीय जूट बोर्ड में आधिकारिक सदस्यों के इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठन किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उपधारा 2 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का०आ० 2640(अ) जो 28 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें निदेश है कि 30 सितम्बर, 2015 को समाप्त होने वाले आदेश की वैधता उक्त आदेश के समाप्त होने से और तीन महीने की अवधि तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाई जाएगी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ग) (एक) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) पावर फाइनांस कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) पावर फाइनांस कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) सोलर इनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) सोलर इनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) (एक) इंडियन रिनुवेबल इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडियन रिनुवेबल इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (छ) (एक) कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (13) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ विंड इनर्जी, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ विंड इनर्जी, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2(64) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 182 के अंतर्गत गोवा और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (संवितरण अनुज्ञापियों के लिए कार्यनिष्पादन का मानक) विनियम, 2015 जो 27 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० 19/20/2015-जेईआरसी/1680 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टिट्यूट बंगलोर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टिट्यूट बंगलोर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रिनुवेबल इनर्जी, कपूरथला के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रिनुवेबल इनर्जी, कपूरथला के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) पवन हंस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) पवन हंस लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (20) पवन हंस लिमिटेड तथा नागर विमानन मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत वायुयान (खतरनाक वस्तुओं का वहन) संशोधन नियम, 2015 जो 17 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 296(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।
- (22) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंसल्टेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंसल्टेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) डब्ल्यूएपीसीओएस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) डब्ल्यूएपीसीओएस लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (23) (एक) नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी, इंदौर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी, इंदौर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) (एक) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

(क) (एक) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) सेतुसमुद्रम कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेतुसमुद्रम कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(26) (एक) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (27) (एक) पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) (एक) टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (दो) टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) (एक) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (तीन) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (चार) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 2014-2015 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) (एक) इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नोएडा के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नोएडा के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) (एक) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

- (एक) का०आ० 1134(अ) जो 24 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (हिसार खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (दो) का०आ० 1061(अ) जो 9 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 (सोलन-शिमला खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तीन) का०आ० 3280(अ) जो 26 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 (नेर चौक-मनाली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चार) का०आ० 705(अ) जो 10 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (अंबाला-कैथल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पांच) का०आ० 512(अ) जो 16 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 (नेर चौक-मनाली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छह) का०आ० 711(अ) जो 10 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 (परवानू-शिमला खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सात) का०आ० 396(अ) जो 6 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 (रोहतक-हिसार खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (आठ) का०आ० 344(अ) जो 4 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (गुड़गांव-कोटपुतली-जयपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (नौ) का०आ० 749(अ) जो 13 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 (रोहतक-हिसार खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (दस) का०आ० 578(अ) जो 20 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (अंबाला खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (ग्यारह) का०आ० 318(अ) जो 2 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 और 95 (पुराना) और 5 (नया) (लुधियाना-चंडीगढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बारह) का०आ० 663(अ) जो 4 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (अंबाला-कैथल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तेरह) का०आ० 658(अ) जो 5 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 (सोलन-शिमला खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चौदह) का०आ० 339(अ) जो 5 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (हिसार खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पंद्रह) का०आ० 231(अ) जो 23 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 152 (कैथल-नरवाना

खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (सोलह) का०आ० 701(अ) जो 7 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (अंबाला-कैथल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सत्रह) का०आ० 341(अ) जो 5 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (हिसार खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अठारह) का०आ० 336(अ) जो 5 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 73 (यमुनानगर-पंचकुला खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (उन्नीस) का०आ० 845(अ) जो 20 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (अंबाला बाइपास) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बीस) का०आ० 1588(अ) जो 24 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 (पुराना) और 205 (नया) (खरार-कुरली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इक्कीस) का०आ० 1589(अ) जो 24 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (अंबाला खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बाईस) का०आ० 499(अ) जो 21 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 (हिसार-डबवाली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (तेईस) का०आ० 1025(अ) जो 3 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (लुधियाना-चंडीगढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चौबीस) का०आ० 247(अ) जो 28 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 95 (नया एनएच सं० 5) (लुधियाना-चंडीगढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पच्चीस) का०आ० 319(अ) जो 2 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 और 95 (पुराना) और 5 (नया) (लुधियाना-चंडीगढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छब्बीस) का०आ० 402(अ) जो 6 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 और 95 (पुराना) और 5 (नया) (लुधियाना-चंडीगढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सत्ताईस) का०आ० 501(अ) जो 21 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71क (रोहतक-जिंद खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अट्ठाईस) का०आ० 734(अ) जो 11 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 (बिलासपुर-नेर चौक खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (उनत्तीस) का०आ० 1302(अ) जो 16 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 सितम्बर, 2013 की अधिसूचना संख्या का०आ० 2777(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तीस) का०आ० 363(अ) जो 5 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 (नेर

चौक-मनाली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (इकतीस) का०आ० 510(अ) जो 16 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 (कीरतपुर-बिलासपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बत्तीस) का०आ० 645(अ) जो 3 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (अंबाला-जिरकपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तैंतीस) का०आ० 704(अ) जो 10 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (अंबाला-कैथल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चौतीस) का०आ० 942(अ) जो 7 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (अमृतसर-पठानकोट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पैंतीस) का०आ० 943(अ) जो 7 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (पठानकोट-अमृतसर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छत्तीस) का०आ० 946(अ) जो 6 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (अमृतसर-पठानकोट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सैंतीस) का०आ० 1038(अ) जो 17 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (अमृतसर-पठानकोट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (अड़तीस) का०आ० 1040(अ) जो 17 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 (पुराना) और 205 (नया) (खरार-कुराली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (उनतालीस) का०आ० 1157(अ) जो 1 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 (रोहतक-जिंद खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चालीस) का०आ० 1158(अ) जो 1 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 (रोहतक-जिंद खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इकतालीस) का०आ० 1159(अ) जो 1 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 (रोहतक-जिंद खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बयालीस) का०आ० 1235(अ) जो 8 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 (पानीपत-जालंधर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तैंतालीस) का०आ० 1785(अ) जो 1 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (पूर्व एनएच 47) (एडापल्ली-वयटिल्ला-अरूर खण्ड) के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।
- (चौवालीस) का०आ० 1880(अ) जो 13 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 (पूर्व रा० राजमार्ग 47) (लखनऊ से फैजाबाद से गोरखपुर से उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा) के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

- (पैतालीस) का०आ० 2041(अ) जो 24 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (गुवाहाटी बाइपास-नगांव-डबोका-उदौली खण्ड) प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।
- (छियालीस) का०आ० 2646(अ) जो 28 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 [दिल्ली/हरियाणा (कुंडली) सीमा से पानीपत खण्ड] के प्रयोक्ताओं से शुल्क की दरों के उद्ग्रहण के बारे में है।
- (सैतालीस) का०आ० 1724(अ) जो 26 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित खण्डों को राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को सौंपा गया है।
- (अड़तालीस) का०आ० 1725(अ) जो 26 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (उनचास) का०आ० 1726(अ) जो 26 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सीमा सड़क संगठन को हिमाचल प्रदेश राज्य में, उसमें उल्लिखित खंडों के विकास और अनुरक्षण से संबंधित कार्य के निष्पादन का निदेश दिया गया है।
- (पचास) का०आ० 1727(अ) जो 26 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (इक्यावन) का०आ० 1728(अ) जो 26 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित खण्डों को राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को सौंपा गया है।
- (बावन) का०आ० 1729(अ) जो 26 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तिरेपन) का०आ० 1921(अ) जो 15 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

- (चौवन) का०आ० 2102(अ) जो 3 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 जून, 2013 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1532(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (पचपन) का०आ० 2123(अ) जो 5 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (छप्पन) का०आ० 2337(अ) जो 25 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का०आ० 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (सत्तावन) का०आ० 2338(अ) जो 25 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्ग को नए राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है।
- (अठावन) का०आ० 2339(अ) जो 25 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का०आ० 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (उनसठ) का०आ० 2334(अ) जो 25 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (साठ) का०आ० 2335(अ) जो 25 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित नए राजमार्ग संख्या 47 के खंडों को केरल राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।
- (इकसठ) का०आ० 2336(अ) जो 25 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (बासठ) का०आ० 2526(अ) जो 17 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का०आ० 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

- (तिरेसठ) का०आ० 2529(अ) जो 17 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (चौंसठ) का०आ० 2530(अ) जो 17 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (पैंसठ) का०आ० 2532(अ) जो 17 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सीमा सड़क संगठन को पंजाब राज्य में उसमें उल्लिखित खंडों के विकास और अनुरक्षण से संबंधित कार्य किए जाने का निदेश दिया हुआ है।
- (छियासठ) का०आ० 2533(अ) जो 17 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (सड़सठ) का०आ० 2534(अ) जो 17 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (अड़सठ) का०आ० 2527(अ) जो 17 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का०आ० 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (उनहत्तर) का०आ० 2528(अ) जो 17 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित नए राजमार्ग संख्या 216क के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।
- (सत्तर) का०आ० 2697(अ) जो 5 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित नए राजमार्ग संख्या 32 के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।
- (इकहत्तर) का०आ० 2698(अ) जो 5 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

- (बहत्तर) का०आ० 2827(अ) जो 14 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का०आ० 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तिहत्तर) का०आ० 2346(अ) जो 26 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (टिंडीवनम-उलून्दूरपेट खंड) के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।
- (चोहत्तर) का०आ० 2483(अ) जो 14 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।
- (पचहत्तर) का०आ० 2484(अ) जो 14 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (झालावाड़-राजस्थान/मध्यप्रदेश सीमा खंड) के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।
- (छिहत्तर) का०आ० 2645(अ) जो 28 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम खंड) के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।
- (सतहत्तर) का०आ० 2081(अ) जो 30 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो असम राज्य में गंगाधर नदी के ऊपर गोलकगंज में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर गंगाधर सेतु पर 4.08.2015 से अथवा विद्यमान टोल शुल्क की अनुमत अवधि के समाप्त होने की तारीख से, जो भी पहले हो, प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण से छूट दिए जाने के बारे में है।
- (अठहत्तर) का०आ० 2095(अ) जो 31 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उपायुक्त हैलाकंडिया को असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 53 (बागमारा से बदरपुरघाट खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

- (33) भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 की धारा 47 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) अधिसूचना संख्या एफ० सं० आईएमयू/एचक्यू/एडीएम/अधिसूचना/2015 जो 9 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जो भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय के कुलपति के पद हेतु भर्ती नियमावली के निरसन के बारे में है।
- (दो) अधिसूचना संख्या आईएमयू/एचक्यू/एडीएम/आर-आर/2015 जो 3 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जो कनिष्ठ अभियंता (सिविल) और (इलेक्ट्रिकल), उपकुलपति, आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी और कनिष्ठ सहायक के पद हेतु भर्ती नियमावली के निरसन के बारे में है।
- (तीन) अधिसूचना संख्या एफ० सं० आईएमयू/एचक्यू/एडीएम/अधिसूचना/2015 जो 3 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जो प्रशासनिक और शैक्षणिक मामलों को शासित करने वाले अध्यादेशों के बारे में है।
- (34) उपर्युक्त (33) के मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) सा० का० नि० 864(अ) जो 17 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा वाणिज्यिक पोत परिवहन (व्यथित नाविक) नियम, 1960 को निरस्त किया गया है।
- (दो) सा० का० नि० 865(अ) जो 17 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा वाणिज्यिक पोत परिवहन (सेवा का प्रमाणपत्र) नियम, 1970 को निरस्त किया गया है।
- (तीन) सा० का० नि० 866(अ) जो 17 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा वाणिज्यिक पोत परिवहन (दरें) नियम, 1977 को निरस्त किया गया है।

- (चार) सां कां निं 867(अ) जो 17 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा वाणिज्यिक पोत परिवहन (रेडियो) नियम, 1983 को निरस्त किया गया है।
- (पांच) सां कां निं 868(अ) जो 17 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा वाणिज्यिक पोत परिवहन (मास्टर और मेट परीक्षा) नियम, 1985 को निरस्त किया गया है।
- (छह) सां कां निं 869(अ) जो 17 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा वाणिज्यिक पोत परिवहन (मर्चेन्ट नेवी में इंजीनियर ऑफिसर परीक्षा) नियम, 1989 को निरस्त किया गया है।
- (सात) सां कां निं 870(अ) जो 17 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा वाणिज्यिक पोत परिवहन (सक्षमता प्रमाणपत्र) नियम, 1989 को निरस्त किया गया है।
- (आठ) सांकांनिं 871(अ) जो 17 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा लाइफ बोटमैन (अर्हता और प्रमाणपत्र) नियम, 1963 को निरस्त किया गया है।
- (नौ) सांकांनिं 872(अ) जो 17 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा वाणिज्य पोत परिवहन (दुखद संदेश और नौवहन चेतावनी) नियम, 1964 को निरस्त किया गया है।
- (दस) सांकांनिं 873(अ) जो 17 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा वाणिज्य पोत परिवहन (पायलट सोपान) नियम, 1967 को निरस्त किया गया है।
- (ग्यारह) सांकांनिं 874(अ) जो 17 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा वाणिज्य पोत परिवहन (मस्टर) नियम, 1968 को निरस्त किया गया है।
- (बारह) सांकांनिं 875(अ) जो 17 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा वाणिज्य पोत परिवहन (संरक्षा अभिसमय प्रमाणपत्र) नियम, 1968 को निरस्त किया गया है।

(तेरह) सांका० 876(अ) जो 17 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा वाणिज्य पोत परिवहन (रेडियो डायरेक्शन फाईंडर्स) नियम, 1968 को निरस्त किया गया है।

- (36) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 (3) के अंतर्गत जारी वाणिज्य पोत परिवहन (नाविक कल्याण शुल्क की लेबी) (संशोधन) नियम, 2015 जो 18 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांका० 720(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और यातायात) नियंत्रण अधिनियम, 2002 की धारा 50 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का०आ० 2122(अ) जो 5 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उक्त अधिनियम की धारा 24, 25, 26, 27 और 43 के अधीन उसमें उल्लिखित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अधिकारी नियुक्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 की धारा 37 के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरीयता और प्रोन्नति) तीसरा संशोधन विनियम, 2015 जो 19 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 11012/248/2015-प्रशासन में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2014-15 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (41) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2014-15 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री एम० उदयकुमार ने 'लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन साथ-साथ कराए जाने की व्यवहार्यता' के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का 79वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

*अपराह्न 12.07 बजे

6. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्री ने जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (2) संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में निम्नलिखित वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) दिए—
 - (1) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित 'विमानपत्तनों पर सेवाओं का निजीकरण' के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 203वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
 - (2) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित 'विमानपत्तनों पर सेवाओं का निजीकरण' के बारे में समिति के 203वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 215वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।

(लोक सभा अपराह्न 1.05 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.08 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 2.08 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

- (1) डॉ॰ मनोज राजोरिया द्वारा मिणा या मीणा उपनाम वाले सभी व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने को सुगम बनाने के लिए राजपत्र अधिसूचना में संशोधन किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

*अपराह्न 12.09 बजे से अपराह्न 1.05 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

- (2) श्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा देश में विभिन्न प्रकार के लोक कला के संरक्षण और प्रोत्साहन हेतु एक व्यापक नीति बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री सी० आर० चौधरी द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों में श्रम-सामग्री के वर्तमान 60:40 के अनुपात को 50:50 करने हेतु दिशानिर्देशों में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के शहरों के बीचों-बीच चल रहे बूचड़खानों को बंद करके आबादी से हटाकर सुदूर स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्रीमती विजया चक्रवर्ती द्वारा देश में भिन्न प्रकार से सक्षम व्यक्तियों के समक्ष आ रही समस्याओं को दूर किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) डॉ० भारतीबेन डी० श्याल द्वारा गुजरात के भावनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खेतों में आकर अक्सर फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले ब्लैक बक की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए वेलावदार नेशनल पार्क की चारदीवारी बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत कराए जाने, उन सड़कों तथा डिवाइडरों को, जिसकी वजह से अक्सर घातक दुर्घटनाएं होती हैं, पुनः डिजाइन करने तथा कानपुर और झाँसी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 का वास्तविक निरीक्षण करने हेतु एक केंद्रीय दल भेजे जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री देवेन्द्र सिंह भोले द्वारा पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा भारत की जल सीमा से पकड़े गए भारतीय मछुआरों की रिहाई सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री जुगल किशोर द्वारा जम्मू और कश्मीर के राजौरी-पुंछ जिले में पर्यटन स्थलों को प्रोत्साहन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री निशिकान्त दुबे द्वारा झारखंड में रेल संपर्क में सुधार किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री चन्द्र प्रकाश जोशी द्वारा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पुरातात्विक महत्व के नागरी गांव का पुनः पुरातात्विक सर्वेक्षण, अध्ययन और उत्खनन तथा वहां पर्यटकों के लिए एक संग्रहालय भी स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (12) कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा उत्तर प्रदेश के हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कृषि, डेयरी विकास, मात्सियकी आधारित उद्योग स्थापित किए जाने तथा एक मेगा फूड पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री विनोद कुमार सोनकर द्वारा उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में इलाहाबाद विश्वविद्यालय या बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय की एक शाखा एवं तकनीकी शिक्षा संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री राम टहल चौधरी द्वारा झारखंड में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत गांवों का विद्युतीकरण किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री प्रकाश बा० हुक्केरी द्वारा महाराष्ट्र सरकार को कल्लामवाड़ी जलाशय से कर्नाटक के लिये तत्काल पानी छोड़े जाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्रीमती रंजीत रंजन द्वारा बिहार के सुपौल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सहरसा और फोरबिसगंज के बीच आमान परिवर्तन तथा सरायगढ़ और निर्मली के बीच रेल संपर्क स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा चाय बागान मजदूरों की कठिनाईयों को दूर किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (18) श्री के० अशोक कुमार द्वारा तमिलनाडु के कृष्णागिरि जिले में बागवानी करने वाले किसानों को समय से राजसहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (19) श्रीमती एम० वसन्ती द्वारा तमिलनाडु के श्री विल्लीपुत्तुर टाउन में रेलवे गेट संख्या 436 को पुनः खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (20) डॉ० रत्ना डे (नाग) द्वारा अंगदान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मानव अंग प्रत्यापण अधिनियम की समीक्षा किए जाने के बारे में।
- (21) श्रीमती सकुंतला लागुरी द्वारा खनन कार्य में स्थानीय लोगों को रोजगार प्राथमिकता के आधार पर दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (22) श्री राजन विचारे द्वारा 2008 और 2012 में प्रकाशित ओलंपिक रिकॉर्ड पुस्तकों जिनमें 1900 में पेरिस ओलंपिक में दो रजत पदक जितने वाले नार्मन प्रिटचार्ड को गलती से ब्रिटिश एथलीट बताया गया है, में सुधार करने हेतु उपयुक्त उपाय किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री केसिनेनी श्रीनिवास द्वारा देश के फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(24) श्री जोस के० मणि द्वारा केरल के घरेलू रबड़ की खेती करने वाले किसानों की समस्याओं को दूर करने हेतु राहत पैकेज दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.12 बजे

\$8. सांविधिक संकल्प—अस्वीकृत

लिया गया समय: 3 घंटे 45 मिनट

श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन द्वारा 16 दिसम्बर, 2015 को पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा जारी रही:—

“कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 23 अक्टूबर, 2015 को प्रख्यापित माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का संख्यांक 9) का निरनुमोदन करती है।”

चर्चा के पश्चात्, जैसा कि नीचे पैरा 9 में दर्शाया गया है, संकल्प अस्वीकृत हुआ।

\$9. सरकारी विधेयक—पारित

माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2015

श्री डी०वी० सदानंद गौड़ा द्वारा 16 दिसम्बर, 2015 को विधेयक पर विचार के लिए पेश किए गए संकल्प पर आगे की चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने संकल्प (देखिए उपर्युक्त पैरा 8) तथा विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

- (1) श्री बी० सेनगुट्टुवन
- (2) श्री जगदम्बिका पाल
- (3) कु० अर्पिता घोष
- (4) श्री तथागत सत्पथी
- (5) श्रीरंग आप्पा बारणे

\$एक साथ चर्चा की गयी।

- (6) श्री ए०पी० जितेन्द्र रेड्डी
- (7) श्री श्रीनिवास केसीनेनी
- (8) श्री मेकापति राज मोहन रेड्डी
- (9) श्री एडवोकेट जोएस जॉर्ज
- (10) श्री रत्न लाल कटारिया
- (11) डॉ० अरुण कुमार
- (12) श्री कौशलेन्द्र कुमार
- (13) श्री भोला सिंह
- (14) श्री जय प्रकाश नारायण यादव
- (15) डॉ० वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली
- (16) श्री गोपाल शेट्टी
- (17) श्री विनोद कुमार बोइनापल्ली
- (18) श्री भैरों प्रसाद मिश्र
- (19) श्री नरसिम्हम थोट
- (20) श्री अजय मिश्रा टेनी

श्री डी०वी० सदानंद गौड़ा ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

खण्ड 5 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 6 से 7 स्वीकृत हुए।

खण्ड 8, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 9 से 11 स्वीकृत हुए।

खण्ड 12 से 14 स्वीकृत हुए।

खण्ड 15 से 17 स्वीकृत हुए।

खण्ड 18 से 24 स्वीकृत हुए।

खण्ड 25, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

श्री डी०वी० सदानंद गौड़ा ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किए:—

“कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2015 की सरकारी संशोधन संख्या 24 को लागू करने के संबंध में, निर्लंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 25क को अंतःस्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 25क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 26 स्वीकृत हुआ।

खंड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री डी०वी० सदानंद गौड़ा ने यथासंशोधित विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और यथासंशोधित विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 5.36 बजे

10. नियम 193 के अधीन चर्चा

अनुमेय समय : 2 घंटे

लिया गया समय : 23 मिनट

शेष समय : 1 घंटा 37 मिनट

श्री पी० करूणाकरन ने मूल्य वृद्धि पर चर्चा आरंभ की।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 5.59 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 18 दिसम्बर, 2015 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 18 दिसम्बर, 2015/27 अग्रहायण, 1937 (शक)

संख्या 124

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 281—285 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 286—300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3221—3450 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 79 की उपधारा (3) के अंतर्गत सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) नियम, 2015, जो 15 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 786(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

- (एक) कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, जो 19 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 111(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) कंपनी (समावेशन) दूसरा संशोधन नियम, 2015, जो 30 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 442(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2015, जो 31 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 669(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) कंपनी (निक्षेपों की स्वीकृति) दूसरा संशोधन नियम, 2015, जो 15 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 695(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) दूसरा संशोधन नियम, 2015, जो 24 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 737(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) तीसरा संशोधन नियम, 2015, जो 6 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 841(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) सांकांनि 395(अ), जो 19 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 3 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या सांकांनि 179(अ) और 29 अगस्त, 2011 की अधिसूचना संख्या सांकांनि 650(अ) को निरस्त करना है।
- (आठ) कंपनी (समावेशन) संशोधन नियम, 2015, जो 1 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 349(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) (संशोधन) नियम, 2015, जो 12 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 486(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (दस) कंपनी (लेखे) दूसरा संशोधन नियम, 2015, जो 7 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि° 680(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (ग्यारह) राष्ट्रीय कंपनी निधि अपील अधिकरण (चेयरपर्सन और अन्य सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य निर्बंधन और शर्तें) नियम, 2015, जो 21 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि° 728(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (बारह) कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) तीसरा संशोधन नियम, 2015, जो 16 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि° 862(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 467 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सांकांनि° 679(अ) जो 7 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची III में परिवर्तन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन मध्यावधि आर्थिक विश्लेषण, 2015-2016 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 14 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन।
- (दो) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन।
- (तीन) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एण्ड नर्सिंग साइंसेज, आइजोल के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एण्ड नर्सिंग साइंसेज, आइजोल के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (9) (एक) लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, तेजपुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, तेजपुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) नई दिल्ली ट्यूबरकुलोसिस सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नई दिल्ली ट्यूबरकुलोसिस सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (12) (एक) रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इम्फाल के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इम्फाल के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) नार्थ इस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड मेडिकल साइंसेज, शिलांग के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नार्थ इस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड मेडिकल साइंसेज, शिलांग के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) निम्नलिखित केन्द्रों के संबंध में वर्ष 2014-2015 के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे—
- (एक) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (इंस्टिट्यूट फॉर सोशल एण्ड इकॉनॉमिक चेन्ज), बंगलोर
- (दो) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (उत्कल यूनिवर्सिटी), भुवनेश्वर
- (तीन) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (सांख्यिकी विभाग, पटना यूनिवर्सिटी), पटना
- (चार) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (गोखले इंस्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एण्ड इकॉनॉमिक्स), पुणे
- (पांच) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी), शिमला
- (छह) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (आंध्र यूनिवर्सिटी), विशाखापत्तनम
- (15) (एक) चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) संशोधन विनियम, 2015, जो 4 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० 4/15015/30/2011 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत ओषधि और प्रसाधन सामग्री (छठा संशोधन) नियम, 2015, जो 17 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांका०नि० 558(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) महात्मा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एण्ड कस्तूरबा हॉस्पिटल, वर्धा के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) महात्मा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एण्ड कस्तूरबा हॉस्पिटल, वर्धा के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ग) (एक) हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बेंगलूर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बेंगलूर का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) (एक) मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (छ) (एक) बीईएमएल लिमिटेड, बंगलूर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) बीईएमएल लिमिटेड, बंगलूर का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (20) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट, दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट, दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एण्ड एनालिसिस, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टिट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एण्ड एनालिसिस, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) छावनी बोर्ड के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) छावनी बोर्ड के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एण्ड रिसर्च इन आयुर्वेदा, जामनगर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टिट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एण्ड रिसर्च इन आयुर्वेदा, जामनगर के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) (एक) नेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेदा, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेदा, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जयपुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जयपुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योग एण्ड नेचुरोपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योग एण्ड नेचुरोपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (30) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, बंगलोर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, बंगलोर के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सिद्धा, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सिद्धा, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) (एक) इम्पावर्ड कमेटी ऑफ स्टेट फाइनांस मिनिस्टर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इम्पावर्ड कमेटी ऑफ स्टेट फाइनांस मिनिस्टर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनांस एण्ड पॉलिसी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनांस एण्ड पॉलिसी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (35) (एक) मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) न्यू इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) न्यू इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (37) भारतीय महिला बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (38) बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा यथासंशोधित भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, की धारा 40 की उपधारा (4) तथा बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा यथासंशोधित भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उपधारा (3) के अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के वर्ष 2014-15 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (39) 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन—
- (एक) मालवा ग्रामीण बैंक, संगरूर
- (दो) बिहार ग्रामीण बैंक, बेगुसराय
- (तीन) उत्कल ग्रामीण बैंक, बालंगीर
- (चार) काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक, वाराणसी

- (40) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लायड इकोनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लायड इकोनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) (एक) प्रतिचि (इंडिया) ट्रस्ट, दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) प्रतिचि (इंडिया) ट्रस्ट, दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-2016 की प्रथम तिमाही के अंत में बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों की तिमाही समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 63 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) स्टेट बैंक ऑफ मैसूर सामान्य विनियम, 2015, जो 7 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं० 5/2015-16/01 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद सामान्य विनियम, 2015, जो 4 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं० बीएम सं० 2015-16/395 (मद 1) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर सामान्य विनियम, 2015, जो 4 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 382 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) स्टेट बैंक ऑफ पटियाला सामान्य विनियम, 2015, जो 4 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं० 357/20 में प्रकाशित हुए थे।

- (पांच) स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर सामान्य विनियम, 2015, जो 7 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या लॉ/72 में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2011, जो 22 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०सं० 01/2011 में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2014, जो 10 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 290 में प्रकाशित हुए थे।
- (44) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (एक) प्रतिभूति अपील अधिकरण (पीठासीन अधिकारी और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2015, जो 7 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांका० 683(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) प्रतिभूति अपील अधिकरण (पीठासीन अधिकारी और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2014, जो 24 अक्टूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांका० 742(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (45) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में कर्ज लेना या उधार देना) (संशोधन) विनियम, 2015, जो 2 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांका० 920(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूमि का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियम, 2015, जो 2 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांका० 921(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(46) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

- (एक) आयकर (आठवां संशोधन) नियम, 2015, जो 22 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1660(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) आयकर (दसवां संशोधन) नियम, 2015, जो 29 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2070(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) का०आ० 2031 (अ), जो 24 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा 20 अगस्त, 1998 की अधिसूचना संख्या का०आ० 709(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) आयकर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2015, जो 7 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2155(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) आयकर (बारहवां संशोधन) नियम, 2015, जो 17 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2240(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) का०आ० 2241(अ) जो 17 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (झझक) के पहले परंतुक तथा धारा 32कघ की उप-धारा (1) के अंतर्गत बिहार राज्य के जिलों को पिछड़ा क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) आयकर (13वां संशोधन) नियम, 2015, जो 29 सितम्बर, 2015 की अधिसूचना संख्या का०आ० 2604(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) आयकर (14वां संशोधन) नियम, 2015, जो 29 सितम्बर, 2015 की अधिसूचना संख्या का०आ० 2663(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (नौ) आयकर (16वां संशोधन) नियम, 2015, जो 19 अक्टूबर, 2015 की अधिसूचना संख्या का०आ० 2860(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) आयकर (17वां संशोधन) नियम, 2015, जो 20 अक्टूबर, 2015 की अधिसूचना संख्या का०आ० 2877(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (47) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) सा०का०नि० 932(अ) जो 4 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य, थाईलैंड और वियतनाम में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित “मेलामाइन टेबलवेयर एंड किचनवेयर उत्पाद” के भारत में आयात पर प्रतिपाटन और संबद्ध कर्तव्य महानिदेशालय द्वारा किए गए प्रतिपाटन अन्वेषणों में अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा०का०नि० 933(अ) जो 4 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय रूस से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित “फथैलिक एनहाइड्राइड” के भारत में आयात पर प्रतिपाटन और संबद्ध कर्तव्य महानिदेशालय द्वारा किए गए प्रतिपाटन अन्वेषणों में अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सा०का०नि० 934(अ) जो 4 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित “सभी प्रकार के प्लास्टिक प्रोसेसिंग या इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें, प्लास्टिक सामग्रियों की प्रोसेसिंग या मोल्डिंग के लिए इंजेक्शन प्रेस के रूप में भी ज्ञात, जिसमें 40 टन से अन्यून और 1 हजार टन से अनधिक क्लैम्पिंग फोर्स हो” के आयात पर प्रतिपाटन और संबद्ध कर्तव्य महानिदेशालय द्वारा किए गए सनसेट समीक्षा अन्वेषणों की सिफारिशों के आधार पर पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(48) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

(एक) सांकांनि 894(अ), जो 23 नवंबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 15 जनवरी, 2008 की अधिसूचना संख्या 10/2008-सींशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सांकांनि 901(अ), जो 24 नवंबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सींशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सांकांनि 902(अ), जो 24 नवंबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 52/2003-सींशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(49) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

(एक) सांकांनि 899(अ), जो 24 नवंबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-केंशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सांकांनि 900(अ), जो 24 नवंबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 22/2003-केंशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सांकांनि 780(अ), जो 14 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें यह निदेश दिया गया है कि 1.7.2012 से 13.10.2014 की अवधि के बीच भारत के बाहर से विदेशी मुद्रा भारत में प्रेषित किए जाने के संदर्भ में धन अंतरण सेवा ऑपरेटर के अभिकर्ता के

रूप में कार्य करने वाले किसी भारतीय बैंक अथवा अन्य कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवा पर संदेय सेवाकर की संदायगी किया जाना अपेक्षित नहीं होगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (50) स्टॉक मार्केट घोटाला और तत्संबंधी विषयों से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में की गई कार्यवाही के बारे में 25वें प्रगति प्रतिवेदन, दिसम्बर, 2015 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (51) (एक) स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (52) (एक) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (53) आईडीबीआई बैंक, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (54) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समेकित समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (55) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार [रक्षा सेवाएं (वायु सेना)] (2015 का संख्यांक 38)।
- (दो) मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2015 का संख्यांक 43)—रत्ना और

आर-सीरीज हाइड्रोकार्बन फील्ड्स की अनुपालन लेखापरीक्षा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय।

- (तीन) मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रेल) (2015 का संख्यांक 47)—भारतीय रेल में कर्मी दल प्रबंध प्रणाली की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा।
- (चार) मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल) (2015 का संख्यांक 35)—केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल, गृह मंत्रालय में निर्माण कार्यों की निष्पादन लेखापरीक्षा।
- (पाँच) मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल) (2015 का संख्यांक 49)—महापत्तनों में सरकारी निजी भागीदारी, पोत परिवहन मंत्रालय की कार्य की निष्पादन लेखापरीक्षा।
- (छह) मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2015 का संख्यांक 44)—थल सेना, आयुध निर्माणी और रक्षा क्षेत्र के सरकारी उपक्रम।
- (सात) मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल) (2015 का संख्यांक 36)—मध्याह्न भोजन योजना (2009-10 से 2013-14), मानव संसाधन विकास मंत्रालय की कार्य निष्पादन लेखापरीक्षा।
- (आठ) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर-केन्द्रीय उत्पाद और सेवाकर) (2015 का संख्यांक 46)—मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए केन्द्रीय उत्पाद और सेवाकर, राजस्व विभाग के ओटोमेशन का कार्यकरण के बारे में प्रतिवेदन।
- (नौ) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर-केन्द्रीय उत्पाद और सेवाकर) (2015 का संख्यांक 45)—मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निधि और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, वित्त मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की अनुपालन लेखापरीक्षा के बारे में प्रतिवेदन।

- (दस) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक संघ-सरकार रेलवे (2015 का संख्यांक 48)—मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय रेलवे में चालू परियोजनाओं की स्थिति के बारे में प्रतिवेदन।
- (ग्यारह) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक संघ-सरकार (सिविल) (2015 का संख्यांक 40) (स्वायत्तशासी निकाय)—मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम और रोजगार मंत्रालय की चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं की विशेष लेखापरीक्षा के बारे में प्रतिवेदन।
- (56) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) पंजाब नेशनल बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2013 जो 8 मई, 2015 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या पेंशन/मिस०/2015 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी कर्मचारी पेंशन (सेवा निवृत्ति के बाद निजी क्षेत्र की कंपनियों में नौकरियां स्वीकार करना) संशोधन विनियम, 2013 जो 8 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएनबी/डीएसी/पी-7/2015 में प्रकाशित हुए थे।
- (57) (एक) प्रसार भारती, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) प्रसार भारती, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (58) (एक) प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

(क) (एक) नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2014-15 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2014-15 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) ब्रोडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2014-15 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रोडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2014-15 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

4. अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) की 131वीं सभा में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन

महासचिव ने 12 से 16 अक्टूबर, 2014 तक जेनेवा (स्विट्जरलैंड) में आयोजित अंतर-संसदीय संघ की 131वीं सभा में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

5. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की बैठकों का कार्यवाही सारांश

श्री पी० करुणाकरन ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 9 दिसम्बर, 2015 को आयोजित तीसरी बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

6. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री फगन सिंह कुलस्ते ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) से संबंधित 'अजा और अजजा के सामाजिक—आर्थिक विकास में तकनीकी, चिकित्सीय और अभियंत्रण विश्वविद्यालयों सहित शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका—दिल्ली विश्वविद्यालय में आरक्षण नीति का कार्यान्वयन' के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 5वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(एक) राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित 'आईपीएल/बीसीसीआई के कर अवधारण/छूट तथा संबंधित मामले' के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.05 बजे

8. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सत्र के शेष भाग के दौरान सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य दिया।

*अपराह्न 1.56 बजे

9. सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) श्री एस० एस० अहलूवालिया ने पश्चिम बंगाल में विरोध मार्च में भाग ले रहे लोगों पर पुलिस द्वारा कथित लाठीचार्ज किए जाने के बारे में निवेदन किया।

श्री निशिकांत दूबे, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल सहयोजित हुए।

श्री राजीव प्रताप रूड़ी ने उत्तर दिया।

*अपराह्न 12.20 बजे से अपराह्न 2.41 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराहन 2.03 बजे

(दो) श्री प्रेमदास राय ने सिक्किम के विद्यार्थियों विशेषकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फारवर्ड मैनेजमेंट, चंडीगढ़ में अध्ययनरत विद्यार्थियों का संरक्षण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में निवेदन किया।

श्री राजीव प्रताप रूड़ी ने उत्तर दिया।

अपराहन 2.15 बजे

(तीन) श्रीमती वीना देवी ने भागलपुर में बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले घोरघाट पुल का सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत कराए जा रहे विनिर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में निवेदन किया।

श्री राजीव प्रताप रूड़ी ने उत्तर दिया।

अपराहन 2.20 बजे

(चार) श्री अशोक कुमार दोहरे ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सूखे की समस्या का समाधान करने के बुन्देलखंड क्षेत्र में पंचनाथ परियोजना का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में निवेदन किया।

सुश्री उमा भारती ने उत्तर दिया।

अपराहन 2.28 बजे

(पांच) प्रो० सौगत राय ने दमदम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में गंगा घाटों की मरम्मत कराए जाने की आवश्यकता के बारे में निवेदन किया।

सुश्री उमा भारती ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराहन 2.41 बजे स्थगित हुई और अपराहन 3.32 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराहन 3.32 बजे

10. प्रस्ताव

श्री रत्न लाल कटरिया ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा 16 दिसम्बर, 2015 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के 17वें प्रतिवेदन से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराहन 3.33 बजे

11. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरःस्थापित

- (1) श्री ओम प्रकाश यादव का मानसिक विमन्दित बालक (कल्याण) विधेयक, 2015
- (2) श्री ओम प्रकाश यादव का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (नए अनुच्छेद 16क और 16कक का अंतःस्थापन)।
- (3) श्रीमती पूनम महाजन का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुच्छेद 331 के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन)।
- (4) श्री विनोद कुमार बोइनापल्ली का आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 26 का संशोधन)।
- (5) श्री विनोद कुमार बोइनापल्ली का आन्ध्र पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 31 का संशोधन)।
- (6) श्री विनोद कुमार बोइनापल्ली का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुच्छेद 130 के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन)।
- (7) डॉ० शशि थरूर का भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 124क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)।
- (8) डॉ० शशि थरूर का शरणस्थल विधेयक, 2015
- (9) श्री ए० पी० जितेन्द्र रेड्डी का नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) विधेयक, 2015
- (10) श्री ए० पी० जितेन्द्र रेड्डी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (नए अनुच्छेद 77क का अंतःस्थापन, आदि)।
- (11) डॉ० कोकाली घोष दस्तीकार का ट्रांसजेंडर व्यक्ति (कल्याण) विधेयक, 2015
- (12) श्री राजू शेटी का अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन विधेयक, 2015
- (13) श्री गोपाल चिनय्या शेटी का निराश्रित और उपेक्षित महिला (कल्याण) विधेयक, 2015
- (14) श्री गोपाल चिनय्या शेटी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (नए अनुच्छेद 300ख का प्रतिस्थापन)।

- (15) श्री गोपाल चिनय्या शेटी का जवाबदेही ब्यूरो विधेयक, 2015
- (16) श्री जयदेव गल्ला का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 21क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन) ।
- (17) डॉ० उदित राज का सविता अंबेडकर राष्ट्रीय महिला विश्वविद्यालय विधेयक, 2015
- (18) डॉ० उदित राज का अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा और छात्रावास सुविधाएं विधेयक, 2015
- (19) डॉ० उदित राज का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुच्छेद 124 और 216 का संशोधन)
- (20) श्री चन्द्रकांत खैरे का भारत का उच्चतम न्यायालय (औरंगाबाद में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2015
- (21) श्री ए० टी० नाना पाटील का आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (सेवाओं का नियमितीकरण और अन्य प्रसुविधाएं) विधेयक, 2015
- (22) श्री राहुल शेवाले का प्रस्ताव लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन), विधेयक, 2015 (धारा 30 का संशोधन) ।
- (23) श्री राहुल शेवाले का निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 2, आदि का संशोधन) ।
- (24) श्री राहुल शेवाले का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्ति (पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण) विधेयक, 2015
- (25) श्री पी०पी० चौधरी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुच्छेद 338 और 340 का संशोधन) ।
- (26) श्री पी०पी० चौधरी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुच्छेद 16 का संशोधन) ।
- (27) श्री पी०पी० चौधरी का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 1 का संशोधन, आदि) ।
- (28) श्री पी० पी० चौधरी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (नए अनुच्छेद 123क का अंतःस्थापन) ।
- (29) श्री महेश गिरी का कारीगर (कल्याण और संवर्धन) विधेयक, 2015

- (30) श्री महेश गिरी का राष्ट्रीय कैडेट कोर (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 6 का संशोधन)।
- (31) श्री निशिकांत दुबे का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुच्छेद 341 और 342 का संशोधन)।
- (32) श्री निशिकांत दुबे का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुच्छेद 130 के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन)।
- (33) श्री निशिकांत दुबे का झारखंड राज्य के संथाल परगना क्षेत्र को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2015
- (34) श्री निशिकांत दुबे का उपभोक्ता वस्तु (निःशुल्क वापसी का अधिकार) विधेयक, 2015
- (35) श्री रवीन्द्र कुमार जेना का शरणार्थी और शरणस्थली की तलाश करने वालों का संरक्षण विधेयक, 2015
- (36) श्री निनॉग ईरींग का संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) विधेयक, 2015 (अनुसूची का संशोधन)।
- (37) श्री राजेश रंजन का कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र विनियमन विधेयक, 2015
- (38) श्री राजेश रंजन का मूल्य वृद्धि नियंत्रण विधेयक, 2015
- (39) श्री राजेश रंजन का उपेक्षित और पीड़ाग्रस्त विधवाएं (सुरक्षा और कल्याण) विधेयक, 2015।
- (40) श्री राजेश रंजन का व्यथित और उपेक्षित विधवा एवं तलाकशुदा महिलाएं (भरणपोषण, समर्थन और कल्याण) विधेयक, 2015
- (41) श्री भर्तृहरि महताब का पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 28 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)।
- (42) श्री भर्तृहरि महताब का धर्म संपरिवर्तन (प्रतिषेध) विधेयक, 2015
- (43) श्री देवजी एम० पटेल का विशेष पेयजल एवं सिंचाई विकास निधि (डार्क जोन क्षेत्रों के लिए) विधेयक, 2015
- (44) श्री श्रीरंग अप्पा बारणे का बम्बई उच्च न्यायालय (पुणे में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2015
- (45) श्री श्रीरंग अप्पा बारणे का वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2015 (धारा 2 का संशोधन)।

(46) श्री श्रीरंग अप्पा बारणे का संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुसूची का संशोधन)।

(47) श्री श्रीरंग अप्पा बारणे का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2015 (नई धारा 61ख का अंतःस्थापन)।

(48) श्रीमती पूनम महाजन का यौन कर्मी (पुनर्वासन और सामाजिक सुरक्षा) विधेयक, 2015

(49) श्री विनायक भाऊराव राऊत का परंपरागत मछुआरे (सामाजिक-आर्थिक संरक्षण और कल्याण) विधेयक, 2015

(50) श्री सुनील कुमार सिंह का विधवा कल्याण विधेयक, 2015

(51) श्री सुनील कुमार सिंह का बृहत परियोजनाएं (समय पर पूर्ण करना) विधेयक, 2015

(52) श्री सुनील कुमार सिंह का झारखंड परमाणु प्राधिकरण विधेयक, 2015

(53) श्री सुनील कुमार सिंह का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)।

(54) श्रीमती रंजीत रंजन का संकटग्रस्त वरिष्ठ खिलाड़ी (कल्याण) विधेयक, 2015

(55) श्रीमती रंजीत रंजन का विद्यालयों में खेलों के माध्यम से बालकों की अनिवार्य शारीरिक स्वस्थता और खेल संबंधी अवसरचना का विकास विधेयक, 2015

(56) श्रीमती रंजीत रंजन का संकटग्रस्त किसान (विशेष सुविधाएं संरक्षा और कल्याण) विधेयक, 2015

(57) डॉ॰ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी का इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट विधेयक, 2015

(58) डॉ॰ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी का जांच आयोग (संशोधन) विधेयक 2015 (धारा 3 का संशोधन)।

(59) डॉ॰ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी का सौर ऊर्जा (विकास और अनिवार्य प्रयोग) विधेयक, 2015

(60) श्री केसिनेनी श्रीनिवास का कीटनाशी (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 4 और 9 का संशोधन)।

(61) श्री केसिनेनी श्रीनिवास का पेटेंट (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 73 का संशोधन आदि)।

(62) श्री ओम बिरला का साक्षी संरक्षण विधेयक, 2015

- (63) श्री दुष्यंत चौटाला का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुच्छेद 84 का संशोधन)।
- (64) श्री दुष्यंत चौटाला का मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 2 का संशोधन, आदि)।
- (65) श्री दुष्यंत चौटाला का हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 15 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)।
- (66) श्री दुष्यंत चौटाला का दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 358 का संशोधन)।
- (67) श्री फिरोज वरुण गांधी का राष्ट्रीय शरणस्थल (संशोधन) विधेयक, 2015
- (68) श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल का बुन्देलखंड पिछड़ा क्षेत्र विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2015
- (69) श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल का सूखा नियंत्रण और सूखा प्रवण क्षेत्रों के किसानों का संरक्षण विधेयक, 2015
- (70) श्री राजीव सातव का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुच्छेद 84 और 173 का संशोधन)
- (71) डॉ॰ मनोज राजोरिया का चिकित्सीय परामर्श एवं अन्य सेवाएं (शुल्क का यौक्तिकीकरण) विधेयक, 2015
- (72) श्री एम॰ के॰ राघवन का एयरलाइन (किराया संरचना) विधेयक, 2015
- (73) श्री एम॰के॰ राघवन का रेल सुरक्षा बल विधेयक, 2015
- (74) श्री एम॰के॰ राघवन का वित्तीय सहायता (अस्पतालों के उन्नयन के लिए) का उपबंध विधेयक, 2015
- (75) श्री एम॰के॰ राघवन का नदियों की सफाई (वित्तीय सहायता का उपबंध) विधेयक, 2015
- (76) श्री चन्द्रकांत खैरे का खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 3 और 65 का संशोधन)।
- (77) श्री चन्द्रकांत खैरे का न्यूनतम मजदूरी (कर्मकारों और अन्य के लिए) का संदाय विधेयक, 2015

- (78) श्री चन्द्रकांत खैरे का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुच्छेद 371 का संशोधन)।
- (79) श्री कोडिकुन्नील सुरेश का मद्य-निषेध विधेयक, 2015
- (80) श्री कोडिकुन्नील सुरेश का रिहायशी स्कूल (अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए) विधेयक, 2015
- (81) श्री कोडिकुन्नील सुरेश का प्राइवेट सेक्टर में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण विधेयक, 2015
- (82) श्री अर्जुन मेघवाल का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुसूची I का संशोधन)
- (83) श्री अर्जुन मेघवाल का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुच्छेद 312 का संशोधन)
- (84) श्री अर्जुन मेघवाल का हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुच्छेद 31 का संशोधन)
- (85) श्री अर्जुन मेघवाल का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुच्छेद 338 का संशोधन)
- (86) श्री जगदम्बिका पाल का भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 309 का लोप)
- (87) श्री जगदम्बिका पाल का (आज्ञापक संचयन और संग्रहण) विधेयक, 2015

#12. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरःस्थापन—अस्वीकृत

डॉ० शशि थरूर द्वारा भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 377 के लिए नई धारा का प्रतिस्थापन)।

डॉ० शशि थरूर द्वारा विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए अनुमति हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव का विरोध हुआ।

प्रस्ताव पर मतदान हुआ और सभा का मत विभाजन रहा — हाँ-27; नहीं 75। तदनुसार, विधेयक के पुरःस्थापन के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई।

अपराहन 4.11 बजे

13. गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक—विचाराधीन

अनिवार्य मतदान विधेयक, 2014

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा 13 मार्च, 2015 को विधेयक पर विचार किए जाने के लिए पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

- (1) श्री दहन मिश्रा
- (2) डॉ॰ उदित राज
- (3) डॉ॰ रवीन्द्र कुमार राय
- (4) डॉ॰ बंशीलाल महतो
- (5) श्री कामाख्या प्रसाद तासा
- (6) श्री जुगल किशोर शर्मा
- (7) श्री भोला सिंह
- (8) श्री कौशलेन्द्र कुमार
- (9) श्री रमेन डेका
- (10) श्री देवेन्द्र सिंह (भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

(गणपूर्ति के अभाव में लोक सभा पूरे दिने के लिए स्थगित हुई।)

अपराहन 5.42 बजे

(लोक सभा सोमवार 21 दिसम्बर, 2015 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 21 दिसम्बर, 2015/30 अग्रहायण, 1937 (शक)

संख्या 125

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 301 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.11 बजे स्थगित हुई और
पूर्वाह्न 11.30 बजे पुनः समवेत हुई।)

पूर्वाह्न 11.30 बजे

तारांकित प्रश्न संख्या 302—304 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 305—320 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3451—3680 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस कम प्रोडक्ट

डेवलपमेंट सेंटर), मेरठ के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), मेरठ के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट), आगरा के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट), आगरा के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) क्रेडिट गारंटी फण्ड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एण्ड स्मॉल इंटरप्राइजेज, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) क्रेडिट गारंटी फण्ड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एण्ड स्मॉल इंटरप्राइजेज, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट), चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट), चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
 - (एक) अंडमान एण्ड निकोबार आईलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

- (दो) अंडमान एण्ड निकोबार आईलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (6) ट्राईबल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (7) ट्राईबल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (10) नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन, नागपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन, नागपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 30क के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) दूसरा संशोधन नियम, 2015 जो 19 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 890(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

- (क) (एक) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।
- (दो) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।
- (दो) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) इंडियन स्ट्रैटैजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) इंडियन स्ट्रैटैजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) बॉमर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) बॉमर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) (एक) बॉमर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) बॉमर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (15) (एक) पेट्रोलियम एण्ड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) पेट्रोलियम एण्ड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (17) (एक) ज्वाइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के लिए), गुडगांव के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ज्वाइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के लिए), गुडगांव के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2015 का संख्यांक 41)-हाइड्रो पावर सीपीएसई (एनएचपीसी लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और एनएचडीसी लिमिटेड), विद्युत मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन सहित क्षमता उपयोगिता, विद्युत उत्पादन, बिक्री तथा राजस्व संग्रहण की निष्पादन लेखापरीक्षा।
- (20) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)---
- (एक) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2015 जो 24 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1/144/2013/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रणाली विकास निधि) (पहला संशोधन) विनियम, 2015 जो 8 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1/148/2014/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्य पारेषण प्रभारों तथा हानि का हिस्सा बटना) (चौथा संशोधन) विनियम, 2015 जो 8 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1/144/2010/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के निबंधन और शर्तें) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2015 जो 14 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1/94/सीईआरसी/2014 में प्रकाशित हुए थे।
- (21) उपर्युक्त (20) की मद संख्या (दो) से (चार) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)---

- (एक) ईसीजीसी लिमिटेड (एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड), मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) ईसीजीसी लिमिटेड (एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड), मुंबई का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (23) (एक) नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) (एक) सेंट्रल पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इंस्टिट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इंस्टिट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) (एक) प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (27) (एक) रबर बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) रबर बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) रबर बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) (एक) कैश्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, कोल्लम के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कैश्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, कोल्लम के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) (एक) फुटवियर डिजायन एण्ड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट, नोएडा के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) फुटवियर डिजायन एण्ड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट, नोएडा के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) (एक) स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) (एक) काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (32) (एक) इंडियन डायमंड इंस्टिट्यूट, सूरत के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन डायमंड इंस्टिट्यूट, सूरत के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) (एक) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) (एक) टी बोर्ड ऑफ इंडिया, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) टी बोर्ड ऑफ इंडिया, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) टी बोर्ड ऑफ इंडिया, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) (एक) तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) (एक) कोल्हापुर फाउंड्री एण्ड इंजीनियरिंग क्लस्टर, कोल्हापुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कोल्हापुर फाउंड्री एण्ड इंजीनियरिंग क्लस्टर, कोल्हापुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (37) (एक) ऑटो क्लस्टर (मेसर्स मराठवाड़ा ऑटो क्लस्टर), औरंगाबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ऑटो क्लस्टर (मेसर्स मराठवाड़ा ऑटो क्लस्टर), औरंगाबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) (एक) एनओसीसीआई बालासोर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, बालासोर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एनओसीसीआई बालासोर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, बालासोर के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) (एक) फाउंड्री क्लस्टर डेवलपमेंट एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) फाउंड्री क्लस्टर डेवलपमेंट एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 की धारा 38 की उपधारा (3) के अंतर्गत निदेशक, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (भर्ती, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2015 जो 12 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 852 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) चाय अधिनियम, 1953 की धारा 49 की उपधारा (3) के अंतर्गत चाय बोर्ड (अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति और सेवा की शर्तें) उप-नियम, 2015 जो 17 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०सं० 23(4)/स्था/2009 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) (एक) सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) (एक) गांधी स्मृति एण्ड दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) गांधी स्मृति एण्ड दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) गांधी स्मृति एण्ड दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) (एक) इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर दि आर्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर दि आर्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर दि आर्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टूरिज्म एण्ड ट्रेवल मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टूरिज्म एण्ड ट्रेवल मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (46) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटेरिंग टेक्नोलॉजी, नोएडा के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एण्ड कैंटेरिंग टेक्नोलॉजी, नोएडा के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (47) निम्नलिखित संस्थानों के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटेरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लायड न्यूट्रीशन, बंगलोर
- (दो) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटेरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लायड न्यूट्रीशन, भोपाल
- (तीन) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटेरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लायड न्यूट्रीशन, भुवनेश्वर
- (चार) डॉ॰ अम्बेडकर इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैंटेरिंग एण्ड न्यूट्रीशन, चंडीगढ़
- (पांच) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटेरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लायड न्यूट्रीशन, चेन्नई
- (छह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटेरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लायड न्यूट्रीशन, अहमदाबाद
- (सात) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटेरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लायड न्यूट्रीशन, गोवा
- (आठ) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटेरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लायड न्यूट्रीशन (सोसायटी), गुरदासपुर
- (नौ) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटेरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लायड न्यूट्रीशन, गुवाहाटी
- (दस) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटेरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लायड न्यूट्रीशन, ग्वालियर

- (ग्यारह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटेरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लायड न्यूट्रीशन, हाजीपुर
- (बारह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटेरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लायड न्यूट्रीशन, हैदराबाद
- (तेरह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटेरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लायड न्यूट्रीशन, जयपुर
- (चौदह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटेरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लायड न्यूट्रीशन, (कलकत्ता) सोसायटी, कोलकाता
- (पंद्रह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटेरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लायड न्यूट्रीशन, श्रीनगर
- (सोलह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटेरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लायड न्यूट्रीशन, मुंबई
- (सत्रह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, एण्ड कैंटेरिंग टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम
- (अठारह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटेरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लायड न्यूट्रीशन, शिलांग
- (उन्नीस) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटेरिंग एण्ड न्यूट्रीशन, शिमला
- (बीस) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटेरिंग एण्ड न्यूट्रीशन, नई दिल्ली
- (इक्कीस) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटेरिंग एण्ड न्यूट्रीशन, लखनऊ
- (48) (एक) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (49) (एक) मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टिट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टिट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (50) (एक) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (51) बेतवा रिवर बोर्ड, झांसी के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (52) बेतवा रिवर बोर्ड, झांसी के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (53) (एक) जवाहर लाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइन सेंटर, नागपुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) जवाहर लाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइन सेंटर, नागपुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (54) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (55) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रॉक मेकेनिक्स, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रॉक मेकेनिक्स, कोलार गोल्ड फील्ड्स के

वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) खनिज (सरकारी कंपनी द्वारा खनन) नियम, 2015 जो 3 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सांकांनि० 927(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय खनिज गवेषण न्यास नियम, 2015 जो 14 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सांकांनि० 632(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(57) एडसिल (इंडिया) लिमिटेड और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) (एक) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोरमेशन टेक्नॉलॉजी, डिजाइन एंड मेन्यूफैक्चरिंग, जबलपुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोरमेशन टेक्नॉलॉजी, डिजाइन एंड मेन्यूफैक्चरिंग, जबलपुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोरमेशन टेक्नॉलॉजी, डिजाइन एंड मेन्यूफैक्चरिंग, जबलपुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59) (एक) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा के वर्ष 2014-2015 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (60) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (61) (एक) मणिपुर विश्वविद्यालय, कंचिपुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) मणिपुर विश्वविद्यालय, कंचिपुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (62) (एक) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, के वर्ष 2014-15 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (63) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पुडुचेरी, करायकाल के 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षक लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पुडुचेरी, के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (64) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षक लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (65) (एक) डॉ॰ हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) डॉ० हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) डॉ० हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (66) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नागालैंड, नागालैंड के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नागालैंड, नागालैंड के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (67) उपर्युक्त (66) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (68) (एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी ज्ञापन।
- (69) (एक) जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (70) (एक) हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (71) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बनारस हिंदू विश्वविद्यालय), वाराणसी के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बनारस हिंदू विश्वविद्यालय), वाराणसी के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बनारस हिंदू विश्वविद्यालय), वाराणसी के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (72) (एक) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (73) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (74) उपर्युक्त (73) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (75) (एक) सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (76) (एक) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (77) (एक) कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (78) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) नेशनल काउंसिल फॉर प्रोमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (79) (एक) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2014-15 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (80) (एक) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2014-15 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (81) (एक) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 2014-15 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (82) (एक) झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, रांची के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, रांची के वर्ष 2014-15 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (83) (एक) नागालैंड विश्वविद्यालय, लुमामी के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नागालैंड विश्वविद्यालय, लुमामी के 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नागालैंड विश्वविद्यालय, लुमामी के वर्ष 2014-15 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

- (84) (एक) अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद के 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2014-15 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (85) (एक) उड़ीसा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) उड़ीसा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) उड़ीसा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर के वर्ष 2014-15 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (86) (एक) दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पटना के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पटना के 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पटना के वर्ष 2014-15 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (87) (एक) राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जयपुर के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जयपुर के 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जयपुर के वर्ष 2014-15 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (88) (एक) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2014-15 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (89) (एक) श्री लालबहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) श्री लालबहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (90) गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (91) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी, मंडी के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (92) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (93) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, रोपड़ के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, रोपड़ के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, रोपड़ के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (94) (एक) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2014-2015

के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (95) (एक) राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोहोहिल्स के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोहोहिल्स के वर्ष 2014-15 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (96) (एक) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (97) असम विश्वविद्यालय, सिलचर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (98) (एक) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (99) (एक) असम विश्वविद्यालय, सिलचर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) असम विश्वविद्यालय, सिलचर के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (100) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बोम्बे, मुम्बई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बोम्बे, मुम्बई के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (101) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (102) (एक) योजना और वास्तुकला विद्यालय, भोपाल के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) योजना और वास्तुकला विद्यालय, भोपाल के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (103) (एक) केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (104) (एक) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (105) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बैंगलोर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बैंगलोर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बैंगलोर के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (106) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, मोहाली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, मोहाली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, मोहाली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (107) (एक) ओरोविल फाउंडेशन, ओरोविल के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ओरोविल फाउंडेशन, ओरोविल के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (108) (एक) दिल्ली विश्वविद्यालय (भाग-एक तथा दो) दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (109) (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (110) (एक) उत्तराखंड राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पौड़ी गढ़वाल के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) उत्तराखंड राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पौड़ी गढ़वाल के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन

डॉ० मुरली मनोहर जोशी ने प्राक्कलन समिति (2015-16) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित “भारत में उच्चतर शिक्षा” विषय के बारे में 15वीं लोक सभा की प्राक्कलन समिति (2013-14) के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 10वां प्रतिवेदन।
- (2) महिला बाल विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित “शिशुओं और माताओं में कुपोषण” विषय के बारे में 15वीं लोक सभा की प्राक्कलन समिति (2013-14) के 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 11वां प्रतिवेदन।

5. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

श्री भर्तृहरि महताब ने लोक लेखा समिति (2015-16) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) विदेश मंत्रालय से संबंधित 2014 के सी एण्ड एजी प्रतिवेदन संख्यांक 16 पर आधारित विदेश मंत्रालय द्वारा ‘वैश्विक संपदा प्रबंधन’ विषय पर 30वां प्रतिवेदन।

- (2) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित 'संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, (एमपीलैड्स)' विषय पर 55वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 31वां प्रतिवेदन।

6. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

डॉ० रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) रेल मंत्रालय से संबंधित लम्बित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 22वां प्रतिवेदन।
- (2) आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों के बारे में 23वां प्रतिवेदन (माने गए)।
- (3) आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों के बारे में 24वां प्रतिवेदन (न माने गए)।
- (4) आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों के बारे में 25वां प्रतिवेदन (माने गए)।
- (5) आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों के बारे में 26वां प्रतिवेदन (न माने गए)।

7. कृषि संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री हुक्मदेव नारायण यादव ने निम्नलिखित प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और कृषक कल्याण विभाग) के 'कृषि उपज का मूल्य निर्धारण' संबंधी 60वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 12वां प्रतिवेदन।
- (2) कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यिकी विभाग) की अनुदानों की मांगों (2014-2015) संबंधी 5वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 14वां प्रतिवेदन।
- (3) कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की अनुदानों की मांगों (2014-2015) संबंधी दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 15वां प्रतिवेदन।

8. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री केशव प्रसाद मौर्य ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2015-2016) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) से संबंधित 'साइबर अपराध, साइबर सुरक्षा और निजता का अधिकार' संबंधी उनके 52वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 17वां प्रतिवेदन।
- (2) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-2015) संबंधी उनके दूसरे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 18वां प्रतिवेदन।
- (3) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-2016) संबंधी उनके आठवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 19वां प्रतिवेदन।
- (4) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-2016) संबंधी उनके पाँचवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 20वां प्रतिवेदन।
- (5) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-2016) संबंधी उनके सातवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 21वां प्रतिवेदन।
- (6) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-2016) संबंधी उनके छठे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 22वां प्रतिवेदन।

9. ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति का की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन

श्री राजेन्द्र अग्रवाल ने शहरी विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-2016) संबंधी पाँचवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 9वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री विनोद कुमार सोनकर ने वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में उनके 117वें प्रतिवेदन अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 120वां प्रतिवेदन।
- (2) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में उनके 118वें प्रतिवेदन अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 121वां प्रतिवेदन।
- (3) 'कारबार करने की सरलता' पर 122वां प्रतिवेदन।

11. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री राम चरित्र निषाद ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 'भारत में विमानपत्तनों पर सुरक्षा से संबंधित मुद्दे' के बारे में 230वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

12. मंत्री द्वारा वक्तव्य

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने संस्कृति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 219वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.07 बजे

13. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2015

श्री अरुण जेटली द्वारा विधेयक को पुर:स्थापित किए जाने की अनुमति के लिए पेश किए गए प्रस्ताव का विरोध किया गया।

श्री एन० के० प्रेमचन्द्रन ने विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा। वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री; तथा सूचना और प्रसारण मंत्री ने सदस्य द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों का उत्तर दिया।

अध्यक्ष ने श्री एन० के० प्रेमचन्द्रन द्वारा उठाए गए मुद्दों पर टिप्पणी@ की।

तत्पश्चात्, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

*अपराह्न 12.28 बजे

14. सदस्यों द्वारा निवेदन

श्री के० सी० वेणुगोपाल और श्री कीर्ति आजाद ने दिल्ली जिला क्रिकेट एसोसिएशन में कथित अनियमितताओं के बारे में निवेदन किया।

श्री अरुण जेटली ने उत्तर दिया।

#श्री एम० वेंकैया नायडू ने भी उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 12.58 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.04 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 2.05 बजे

15. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री अजय निषाद द्वारा बिहार में हाजीपुर से छपरा और हाजीपुर से मुजफ्फरपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के चार लेन के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री सुमेधानन्द सरस्वती द्वारा राजस्थान के सीकर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के गांवों में शुद्ध पेयजल की कमी की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा देश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मान्यताप्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोत्तरी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

@ ब्यौरे के लिए, कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

* अपराह्न 12.24 बजे से अपराह्न 12.58 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराह्न 12.52 बजे।

- (4) डॉ० किरीट सोमैया द्वारा उत्तर-पूर्व मुंबई में सभी घरों को पीएनजी कनेक्शन प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री रोड़मल नागर द्वारा मध्य प्रदेश के राजगढ़ में आकाशवाणी केन्द्र का उन्नयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा देश में विदेशी एजेंसियों द्वारा निर्मित व संचालित कार्डों और एटीएम मशीनों के संबंध में एक श्वेत-पत्र जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा विशेष रूप से औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, बिहार में निर्दिष्ट मानकों और मानदंडों के अनुरूप राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (दिल्ली-कोलकाता) को छह लेन में परिवर्तित करने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री चिन्तामन नावाशा वांगा द्वारा महाराष्ट्र के पालघर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विरार और दहानु रोड़ के बीच चौथी लाइन के निर्माण तथा वसई, नालासुपारा, रिरार, साफला, पालघाट, बोयसर और दहानु रोड के मौजूदा रेलवे स्टेशनों का दर्जा बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री सतीश चंद्र दुबे द्वारा बिहार के बाल्मिकी नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नदी से पत्थर उठाने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री लखन लाल साहू द्वारा छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में केन्द्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री भरत सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर स्थित गंगा नदी पर बने ऊपरि पुल की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री ओम बिरला द्वारा राजस्थान में पेयजल परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश द्वारा देश में युवाओं को उठाने वाले संदिग्ध अंतर-राज्यीय मित्रता क्लबों पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री परेश रावल द्वारा देश में कन्या भ्रूण हत्या को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन द्वारा बालिकाओं को बचाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (16) श्री के० आर० पी० प्रबाकरन द्वारा मनोनमनियम सुन्दरानर विश्वविद्यालय की बाड़/चारदीवारी का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) श्री आर० गोपालकृष्णन द्वारा तमिलनाडु सरकार को बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास हेतु केन्द्रीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (18) डॉ० ममताज़ संघमिता द्वारा चिकित्सा विज्ञान में शिक्षकों की अधिवाषिता आयु को 75 साल से ऊपर बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (19) प्रो० सौगत राय द्वारा बंगलादेश से भारत आए सभी प्रवासी बंगाली हिन्दू शरणार्थियों को नागरिकता अधिकार दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (20) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा ओडिशा से अतिरिक्त चावल उठाने के लिए भारतीय खाद्य निगम को निदेश जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (21) श्री अरविंद सावंत द्वारा आईआरपीएफ ऑफिसर्स की संवर्ग समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (22) श्री जैदेव गल्ला द्वारा आंध्र प्रदेश में गुंटुर के लिए रेल प्रस्तावों को मंजूर किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (23) डॉ० बूरा नरसैय्या गौड द्वारा तेलंगाना में यातायात और विद्युत क्षेत्र के लिए सीएनजी के आवंटन में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (24) श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान द्वारा भागीरथी नदी के किनारों के कटाव को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (25) श्री जय प्रकाश नारायण यादव द्वारा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित स्पेशल क्लास रेलवे एग्जिटसिड एग्जामिनेशन को बंद करने के निर्णय को वापस लिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.06 बजे

16. सरकारी विधेयक—पारित

राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक, 2015

लिया गया समय: 3 घंटे 54 मिनट

श्री नितिन गडकरी द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

- (1) श्रीमती आर० वनरोजा

- (2) श्री जगदम्बिका पाल
- (3) डॉ० (श्रीमती) रत्ना डे (नाग)
- (4) डॉ० कुलमणि सामल
- (5) श्री विनायक भाऊराव राऊत
- (6) श्री जैदेव गल्ला
- (7) श्री भीमराव बी० पाटील
- (8) श्री पी० करूणाकरन
- (9) श्री मेकापति राजमोहन रेड्डी
- (10) डॉ० किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
- (11) श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा
- (12) श्री जयप्रकाश नारायण यादव
- (13) डॉ० अरूण कुमार
- (14) श्री वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली
- (15) श्री सुशील कुमार सिंह
- (16) श्री ई०टी० मोहम्मद बशीर
- (17) श्री अजय मिश्रा टेनी
- (18) श्री कौशलेन्द्र कुमार
- (19) श्रीमती रमा देवी
- (20) श्री एन्०के० प्रेमचन्द्रन
- (21) श्री के० परसुरमन
- (22) श्री राहुल कस्वां
- (23) श्री सौमित्र खान
- (24) श्री शरद त्रिपाठी
- (25) श्री अरविंद गणपत सावंत
- (26) श्री गोपाल चिनय्या शेटी

- (27) श्री श्रीनिवास केसीनेनी
- (28) श्री चिन्तामन नावाशा वांगा
- (29) श्री जॉर्ज बेकर
- (30) श्री रमेन डेका
- (31) श्री मो० बदरुद्दोजा खान
- (32) श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत
- (33) श्री राजेश रंजन
- (34) श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा
- (35) श्री एस०एस० अहलुवालिया
- (36) श्री वीरेन्द्र सिंह
- (37) प्रो० रिचर्ड हे
- (38) श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय
- (39) डॉ० महेन्द्र नाथ पाण्डेय
- (40) श्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी
- (41) श्री पी०पी० चौधरी
- (42) श्री अश्विनी चौबे
- (43) श्री केशव प्रसाद मौर्य

श्री नितिन गडकरी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

खंड 4 और 5 स्वीकृत हुए।

अनुसूची, यथासंशोधित, स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री नितिन गडकरी द्वारा यथासंशोधित विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित, पारित हुआ।

#सायं 7.40 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 22 दिसम्बर, 2015 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

#सायं 6.00 बजे से सायं 7.40 बजे तक, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—3891LS(S3)—21-12-2015.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 22 दिसम्बर, 2015/1 पौष, 1937 (शक)

संख्या 126

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 321—323 और 325—326 के मौखिक उत्तर दिए गए। प्रश्न संख्या 324 जिस सदस्य के नाम सूचीबद्ध था वे अनुपस्थित थे। यद्यपि संबंधित मंत्री ने उत्तर सभा पटल पर रखा। प्रश्न संख्या 324 के अनुपूरक प्रश्न पूछे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 327 से 340 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3681—3910 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गए:—

- (1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गए—

- (1) हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (2) हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, दिसम्बर 2014 की स्थापना के लिए दिशानिर्देश की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा 44 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या बीसी/आरएलबीसीएयू/अध्यादेश/7/2014 जो 9 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के अकादमिक कार्यक्रमों के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) रिसर्च एण्ड इंफार्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रिसर्च एण्ड इंफार्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (1) गार्डेन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (2) गार्डेन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (8) (एक) नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी, नई दिल्ली, के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडीसिनल प्लांट्स एण्ड ट्रेडिशनल नॉलेज, बेंगलुरु के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडीसिनल प्लांट्स एण्ड ट्रेडिशनल नॉलेज, बेंगलुरु के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी और अनिवार्य मध्यस्थता के अंतर्गत माध्यस्थता बोर्ड द्वारा दिए गए निर्णय को अस्वीकृत किया जाना संदर्भ (1992 का सीए संदर्भ संख्या 1) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) का०आ० 2030(अ) जो 23 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(3) के अंतर्गत विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए पुडुचेरी के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।
- (दो) का०आ० 2098(अ) जो 31 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 जनवरी, 2015 की अधिसूचना संख्या का०आ० 281(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तीन) का०आ० 2099(अ) जो 31 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 जनवरी, 2015 की अधिसूचना संख्या का०आ० 289(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (चार) का०आ० 2349(अ) जो 27 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(3) के अंतर्गत विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, पटना सिटी की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।
- (पांच) का०आ० 2837(अ) जो 15 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(3) के अंतर्गत विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए अतिरिक्त सिटी सिविल और सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।
- (छह) का०आ० 2838(अ) जो 15 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(3) के अंतर्गत विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए अतिरिक्त 3 जिला न्यायाधीश-II अर्णाकुलम की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।
- (सात) का०आ० 2839(अ) जो 15 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(3) के अंतर्गत विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए जिला और सत्र न्यायाधीश-II आइजॉल की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।

- (आठ) कांआ 3160(अ) जो 24 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(3) के अंतर्गत जिला एवं सत्र न्यायालय, विलासपुर को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किए जाने तथा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(3) के अंतर्गत चार जिलों के अलावा पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए और उक्त न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।
- (नौ) कांआ 3161(अ) जो 24 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रथम अपर न्यायाधीश का न्यायालय, जगदलपुर को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किए जाने तथा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(3) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के चार जिलों के लिए और उक्त न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।
- (24) (एक) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) एम०पी० स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) एम०पी० स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) (एक) नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आणंद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आणंद के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) (एक) स्मॉल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कंसोर्टियम, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्मॉल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कंसोर्टियम, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) (एक) चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जयपुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जयपुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) (एक) नेशनल को-ऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल को-ऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल को-ऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015

के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (31) (एक) नेशनल एग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल एग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) जम्मू और कश्मीर हार्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 1997-98 से 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) का०आ० 2898 (अ) जो 24 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 28 जुलाई, 2014 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1908 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (दो) का०आ० 2899 (अ) जो 24 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खण्ड 20 के अंतर्गत फास्फोजिप्सम (दानेदार) को अनंतिम उर्वरक के रूप में अधिसूचित किए जाने के बारे में है।
- (तीन) का०आ० 2900 (अ) जो 24 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खण्ड 13 और 21 के अंतर्गत उर्वरक के शत-प्रतिशत जल में घुलनशील मिश्रण का सामान्य मानक के बारे में है।
- (चार) का०आ० 2901 (अ) जो 24 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 8 अक्टूबर, 2013 की अधिसूचना संख्या का०आ० 3058(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

- (पांच) कांआ 2902 (अ) जो 24 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खण्ड 20 के अंतर्गत कैल्शियम साइनामाइड को अधिसूचित किए जाने के बारे में है।
- (34) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (क) (एक) भारत पम्पस एण्ड कंप्रेसर्स लिमिटेड, इलाहाबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारत पम्पस एण्ड कंप्रेसर्स लिमिटेड, इलाहाबाद का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) भारत पम्पस एण्ड कंप्रेसर्स लिमिटेड, इलाहाबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारत पम्पस एण्ड कंप्रेसर्स लिमिटेड, इलाहाबाद का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, तुंगभद्रा के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, तुंगभद्रा का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) एण्ड्रू यूल् एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

- (दो) एण्ड्रू यूल् एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (35) उपर्युक्त (34) की मद संख्या (क) और (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) एचएमटी लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 35 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (निविदा) विनियम, 2015 जो 12 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 850(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (शुल्क और अन्य प्रभार) विनियम, 2015 जो 27 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 906(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (खोई संपत्ति) विनियम, 2015 जो 12 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 851(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (38) (एक) महात्मा गांधी सेवा संघ, परभनी के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) महात्मा गांधी सेवा संघ, परभनी के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) (एक) हैंडीकैप्ड ओरिएंटेशन प्रोग्राम एजुकेशन, दुर्गापुर के वर्ष 2012-13 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) हैडीकैप्ड ओरिएंटेशन प्रोग्राम एजुकेशन, दुर्गापुर के वर्ष 2012-13 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशर्स को-ऑपरेटिव्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (42) नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशर्स को-ऑपरेटिव्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2015 का संख्यांक 50) (वित्तीय लेखापरीक्षा)—संघ सरकार के लेखा।
- (दो) मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रक्षा सेवा-सेना) (2015 का संख्यांक 51) (निष्पादन लेखापरीक्षा)—भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना का कार्यान्वयन।
- (44) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) वर्ष 2014-15 के लिए संघ सरकार के वित्तीय लेखा।
- (दो) वर्ष 2014-15 के लिए संघ सरकार (सिविल) के विनियोग लेखे।
- (तीन) वर्ष 2014-15 के लिए रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे।
- (चार) वर्ष 2014-15 के लिए डाक सेवाओं के विनियोग लेखे।
- (45) नेशनल मीट एण्ड पॉल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (46) नेशनल मीट एण्ड पॉल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (47) (एक) सुराबी महिला मंडली, शिमोगा के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सुराबी महिला मंडली, शिमोगा के वर्ष 2014-15 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) सुराबी महिला मंडली, शिमोगा के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (48) (एक) अन्नपूर्णा एसोसिएशन, देवनागरे के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अन्नपूर्णा एसोसिएशन, देवनागरे के वर्ष 2014-15 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (49) (एक) जय किशन यूथ क्लब, पुरी के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) जय किशन यूथ क्लब, पुरी के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) जय किशन यूथ क्लब, पुरी के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (51) (एक) मैत्री एसोसिएशन, देवनागरे के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) मैत्री एसोसिएशन, देवनागरे के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) मैत्री एसोसिएशन, देवनागरे के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (52) (एक) नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (53) (एक) अन्नाई करुणालय सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, विल्लुपुरम के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अन्नाई करुणालय सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, विल्लुपुरम के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (54) (एक) गांधी पीस सेंटर, सेलम के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) गांधी पीस सेंटर, सेलम के वर्ष 2014-15 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (55) (एक) करुणालय सरस्वती इलम, किल्वेल्लुर के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) करुणालय सरस्वती इलम, किल्वेल्लुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (56) (एक) कलाइसेल्वी करुणालय सोशल वेलफेयर सोसाइटी, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कलाइसेल्वी करुणालय सोशल वेलफेयर सोसायटी, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से निम्नलिखित संदेश प्राप्त होने की सूचना दी:—

- (i) कि 21 दिसम्बर, 2015 को हुई अपनी बैठक में, राज्य सभा लोकसभा द्वारा 4 अगस्त, 2015 को हुई अपनी बैठक में पारित अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2015 में बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।
- (ii) कि लोक सभा द्वारा 15 दिसम्बर, 2015 को पारित विनियोग (सं० 4) विधेयक, 2015 में राज्य सभा को लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।
- (iii) कि लोक सभा द्वारा 15 दिसम्बर, 2015 को पारित विनियोग (सं० 5) विधेयक, 2015 में राज्य सभा को लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

5. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

श्री भर्तृहरि महताब ने लोक लेखा समिति (2015-16) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) रक्षा मंत्रालय से संबंधित 2010-11 केसी एण्ड एजी प्रतिवेदन संख्यांक 32 पर आधारित “भारतीय नौसैनिक युद्धपोतों का स्वदेशी निर्माण” विषय पर 32वां प्रतिवेदन।
- (2) कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग) से संबंधित 2013 केसी एण्ड एजी प्रतिवेदन संख्यांक 23 के पैरा संख्या 2.1 पर आधारित “विशिष्ट रोगवाहक मुक्त श्रिम्प बीज गुणन केन्द्र की स्थापना पर निष्फल व्यय—(एनएफडीबी)” विषय पर 33वां प्रतिवेदन।
- (3) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित 2013 केसी एण्ड एजी प्रतिवेदन संख्यांक 32 पर आधारित “कर्मचारी भविष्य निधि संगठन” विषय पर 34वां प्रतिवेदन।
- (4) महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित “समन्वित बाल विकास सेवा योजना” विषय पर 14वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 35वां प्रतिवेदन।

6. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का की-गई-कार्यवाही संबंधी दसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री चन्द्रकांत खैरे ने सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2015-2016) का पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. रेल अभिसमय समिति के प्रतिवेदन

श्री भर्तृहरि महताब ने रेल अभिसमय समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) 'वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए रेल द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर और अन्य अनुषंगी मामले' के बारे में पहला प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (2) 'भारतीय रेल की अवसंरचना निर्माण में इरकॉन की भूमिका' के बारे में दूसरा प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

9. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती रीति पाठक ने 'रेलवे में महिलाओं की कार्यदशाएं तथा महिला यात्रियों के लिए सुविधाएं' विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी स्थायी समिति का तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का 5वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ० किरीट सोमैया ने 'वर्ष 2014-15 के लिए विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों संबंधी पहले प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के आठवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-I में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

11. श्रम संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ० वीरेन्द्र कुमार ने श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में समिति के आठवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 11वां प्रतिवेदन।

- (2) 'रेडियो कश्मीर, सीबीएस रेडियो कश्मीर और दूरदर्शन केन्द्र, श्रीनगर के नैमित्तिक कर्मकार/कलाकार का नियमितीकरण' के बारे में समिति के चौथे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 12वां प्रतिवेदन।
- (3) 'एनडीएमसी में संविदा/नैमित्तिक/सफाई कर्मियों की तैनाती' के बारे में 13वां प्रतिवेदन।

12. श्रम संबंधी स्थायी समिति के की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण

डॉ० वीरेन्द्र कुमार ने श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 5वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।
- (2) वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में समिति के दूसरे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी छठे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

13. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री हुकुम सिंह ने जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2015-2016) के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) 'भू-जल परिदृश्य की समीक्षा (एक) कृष्ण खण्ड; और (दो) कतिपय उद्योगों द्वारा भू-जल का संदूषण के विशेष संदर्भ में देश में समस्याओं के निराकरण हेतु व्यापक नीति और उपाय की आवश्यकता' के बारे में पांचवां प्रतिवेदन।
- (2) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में समिति के पहले प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी छठा प्रतिवेदन।
- (3) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-16) के तीसरे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सातवां प्रतिवेदन।

14. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री आनंदराव अडसुल ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की उर्वरकों का मूल्य निर्धारण विषय पर 39वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2013-14) के 44वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण।
- (2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में तीसरे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2014-15) के 8वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण।
- (3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) की अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में दूसरे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2014-15) के 9वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण।

15. ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ० पी० वेणुगोपाल ने ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) 'बीपीएल सर्वेक्षण (वर्तमान सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना, (एसईसीसी-2011))' के बारे में 16वां प्रतिवेदन।
- (2) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 17वां प्रतिवेदन।
- (3) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 18वां प्रतिवेदन।
- (4) भू-संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2015-16)

के बारे में सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 19वां प्रतिवेदन।

- (5) पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में 8वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 20वां प्रतिवेदन।

16. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री राकेश सिंह ने इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में समिति के 9वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का 17वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

17. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री रमेश बैस ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2015-16) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (निःशक्त व्यक्ति अधिकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में समिति के 12वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 21वां प्रतिवेदन।
- (2) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में समिति के 13वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 22वां प्रतिवेदन।
- (3) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में समिति के 14वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 23वां प्रतिवेदन।
- (4) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में समिति के 11वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 24वां प्रतिवेदन।

- (5) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) के 'शराब और मादक पदार्थ (नशीले पदार्थ) के दुरुपयोग से प्रभावित व्यक्ति, उनका उपचार/पुनर्वास और स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका' विषय पर 25वां प्रतिवेदन।

18. गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री कौशल किशोर ने गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) 'जम्मू और कश्मीर में शरणार्थियों और विस्थापित व्यक्तियों के समक्ष आ रही समस्याओं' के बारे में 183वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 193वां प्रतिवेदन।
- (2) 'पूर्वोत्तर क्षेत्र के निमित्त नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं और परियोजनाओं' के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के कार्यकरण को सुदृढ़ किए जाने संबंधी 173वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 194वां प्रतिवेदन।
- (3) 'आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में प्राकृतिक आपदा हुदहुद चक्रवात से हुए विनाश' के बारे में 195वां प्रतिवेदन।

19. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती कोथापल्ली गीता ने मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) राष्ट्रीय खेल विकास निधि के कार्य निष्पादन तथा खिलाड़ियों की भर्ती संबंधी 271वां प्रतिवेदन (भाग-दो)।
- (2) युवा मामले और खेल मंत्रालय, युवा मामले विभाग की अनुदानों की मांगों (2015-16) (मांग संख्या 109) के बारे में 266वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 272वां प्रतिवेदन।
- (3) युवा मामले और खेल मंत्रालय, खेल विभाग की अनुदानों की मांगों (2015-16) (मांग संख्या 109) के बारे में 269वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 273वां प्रतिवेदन।

20. उद्योग संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री ई०टी० मोहम्मद बशीर ने उद्योग संबंधी स्थायी समिति के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में 264वें प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी में) के संबंध में की गई कार्रवाई संबंधी 271वां प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा।

21. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ० मनोज राजोरिया ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे:—

- (1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में समिति 82वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 89वां प्रतिवेदन।
- (2) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग की अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में समिति के 83वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 90वां प्रतिवेदन।
- (3) आयुष मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में समिति के 84वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 91वां प्रतिवेदन।

22. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की ओर से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(3) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में वित्त स्थायी समिति के 14वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(4) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने 'डब्ल्यूटीओ में भारत का रुख' के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(5) गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(क) गृह मंत्रालय से संबंधित 'संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन (दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली तथा चंडीगढ़)' के बारे में समिति के 180वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 181वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।

(ख) 'नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की प्रतिमा' के बारे में श्री विष्णु पद राय, संसद सदस्य द्वारा 28.07.2015 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1207 के दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण बताने के बारे में।

(6) गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 185वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराहन 12.35 बजे

23. सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) श्री एस०एस० अहलूवालिया ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र के चाय बागानों में कार्यरत मजदूरों की कथित मृत्यु के संबंध में निवेदन किया।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री निशिकांत दुबे, श्री रमेश पोखरियाल निशंक, श्री राजेश रंजन, श्री जितेन्द्र चौधरी, श्रीमती पी०के० श्रीमथि टीचर, श्री जोश के० मणि, श्री एम०बी० राजेश, श्री शंकर प्रसाद दत्ता, श्री कामाख्य प्रसाद तासा, श्री रामेश्वर तेली, श्री लखन लाल साहू और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल सहयोजित हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने उत्तर दिया।

*अपराहन 12.16 बजे से 1.27 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

#(दो) सुदीप बन्दोपाध्याय ने माननीय सदस्यों के मोबाइल पर अज्ञात टेलीफोन कॉल और भद्दे एसएमएस किए जाने के बारे में निवेदन किया।

श्री राजीव प्रताप रूढ़ी ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराहन 1.27 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.32 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराहन 2.37 बजे

24. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

- (1) श्री भोला सिंह द्वारा दिल्ली में ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्रों के कार्यालयों के समय को पुनर्निधारित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह द्वारा उत्तराखंड के टिहरी जिले में डोबरा-चांटी पुल के निर्माण कार्य में तेजी लाये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) डॉ॰ उदित राज द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत योग्य व्यक्तियों को भूमि आवंटित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री विक्रम उसेंडी द्वारा छत्तीसगढ़ में बसे बंगाली नमः शूद्र लोगों को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा झारखंड राज्य के गिरिडीह और धनबाद जिलों में घरेलू हवाई उड़ान की सुविधा प्रदान करने के लिये हवाई अड्डों का निर्माण करने तथा राज्य के अन्य चुनिंदा स्थलों पर हेलीपैड का निर्माण किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री हुकुम सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के कैराना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं वाला एक अस्पताल स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 2.32 बजे।

- (7) श्रीमती संतोष अहलावत द्वारा राजस्थान के झुंझुनू जिले में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अस्पताल स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) डॉ॰ भोला सिंह द्वारा बिहार के बेगुसराय जिले में जिला प्रधान डाक घर के भवन निर्माण हेतु भूमि की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री फगन सिंह कुलस्ते द्वारा अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों का अधिमान्यकरण) अधिनियम, 2006 को शब्दशः लागू किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री राजेश कुमार दिवाकर द्वारा उत्तर प्रदेश के हाथरस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में औद्योगिक अपशिष्ट तथा अन्य प्रदूषकों के कारण भूजल के प्रदूषण को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री राम चरित्र निषाद द्वारा उत्तर प्रदेश के मछलीशहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भन्नौर रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्लेटफार्म व अन्य सुविधाएं विकसित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्रीमती कृष्णा राज द्वारा मुद्रा बैंक योजना के अंतर्गत छोटे उद्यमियों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री पी॰पी॰ चौधरी द्वारा राजस्थान के गोडवाड सर्किट में पर्यटन के विकास हेतु संस्वीकृत निधि की शेष राशि को जारी किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री मोहम्मद असरारूल हक द्वारा बिहार के किशनगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एमएसडीपी के अंतर्गत शिक्षा, साफ-सफाई, मकानों, पेयजल तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी समस्याओं को दूर करने तथा उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में मदरसा भवनों का निर्माण किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री एंटो एन्टोनी द्वारा केरल में आवारा कुत्तों की समस्या पर नियंत्रण किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) श्री एम॰ उदयकुमार द्वारा गांधी ग्रामीण विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित किये जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्त सभा पटल पर रखा।

- (18) श्री सी० महेन्द्रन द्वारा मिल में प्रयोग होने वाले कोपरा के क्रय मूल्य में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (19) श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा आलू की खेती को बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (20) डॉ० रत्ना (नाग) डे द्वारा फाइलेरिया की समस्या पर नियंत्रण किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (21) डॉ० कुलमणि सामल द्वारा आई ओ सी एल, पारादीप में कार्यरत तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारियों को नियमित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (22) प्रो० रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़ द्वारा महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में किसानों को फसलों के नुकसान हेतु बीमा राशि का भुगतान सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (23) श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डी द्वारा तेलंगाना की मलकाजगिरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दक्षता, प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (24) श्री कुँवर हरिवंश सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मोबाइल तथा इंटरनेट सुविधाओं का विस्तार किये जाने के लिए बेस ट्रेन्सीबर स्टेशनों को स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (25) श्री जोस० के० मणि द्वारा विदेशों में रोजगार हेतु नर्सों तथा पेरामेडिक कर्मियों की वर्तमान भर्ती नीति पर पुनर्विचार किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.37 बजे

25. नियम 193 के अधीन चर्चा

अनुमेय समय : 2 घंटे

लिया गया समय : 1 घंटा 47 मिनट

शेष समय : 13 मिनट

श्री पी० करुणाकरण द्वारा 17 दिसम्बर, 2015 को मूल्य वृद्धि के बारे में उठाए गए मामले पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

- (1) श्री पी०आर० सेनथिलनाथन

(2) श्री जगदम्बिका पाल

(3) प्रो० सौगत राय

(4) श्री भर्तृहरि महताब

चर्चा अधूरी रही।

अपराह्न 4.03 बजे

26. सरकारी विधेयक—पारित

बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 2015

लिया गया गया: 1 घंटा 42 मिनट

श्री बंडारू दत्तात्रेय द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

(1) डॉ० (श्रीमती) ममताज संघमिता

(2) श्री प्रहलाद सिंह पटेल

(3) श्री बदभद्र माझी

(4) श्री गजानन कीर्तीकर

(5) श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव

(6) श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी

(7) श्री शंकर प्रसाद दत्ता

(8) श्री वारा प्रसाद राव वेलगापल्ली

(9) श्री जय प्रकाश नारायण यादव

(10) श्री ई०टी० मोहम्मद बशीर

(11) श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन

(12) श्री सी०एन० जयदेवन

(13) श्री एम० उदयकुमार

(14) श्रीमती अपरूपा पोद्दार

(15) डॉ० वीरेन्द्र कुमार

(16) श्री राजेश रंजन

श्री बंडारू दत्तात्रेय ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ किया।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 और 4 स्वीकृत हुए।

खंड 1 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री बंडारू दत्तात्रेय द्वारा यथासंशोधित विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथासंशोधित पारित हुआ।

अपराह्न 5.45 बजे

27. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2015

सभा द्वारा आवंटित समय : 2 घंटे

लिया गया समय : 1 घंटा 14 मिनट

शेष समय : 46 मिनट

विधेयक पर विचार के लिए प्रस्ताव श्री अरुण जेटली द्वारा पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

(1) डॉ० किरीट सोमैया

(2) प्रो० सौगत राय

(3) श्री आनंदराव अडसुल

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.59 बजे

(लोक सभा बुधवार, 23 दिसम्बर, 2015 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र

महासचिव

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 23 दिसम्बर, 2015/2 पौष, 1937 (शक)

संख्या 127

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने पांचवीं और छठी लोक सभा के सदस्य श्री के० गोपाल के निधन के बारे में उल्लेख किया।

उन्होंने 22 दिसम्बर, 2015 को दिल्ली विमानपत्तन के समीप द्वारका में सीमा सुरक्षा बल के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के फलस्वरूप दस कार्मिकों के मृत्यु होने का उल्लेख भी किया। तत्पश्चात्, दिवंगत आत्माओं के सम्मान में सदस्य थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.09 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 341—346 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 347—360 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3911—4140 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलोर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलोर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
 - (एक) नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
 - (क) (एक) हेमीस्फीयर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) हेमीस्फीयर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ख) (एक) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (5) (एक) सोसायटी फॉर एप्लायड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सोसायटी फॉर एप्लायड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, पुणे के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, पुणे के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) नेशनल इंफार्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकॉर्पोरेटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंफार्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकॉर्पोरेटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) सेंटर फॉर मैटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) सेंटर फॉर मैटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत बेसिक दूरभाष सेवा (वायरलाइन) और सेल्यूलर मोबाइल दूरभाष सेवा के गुणवत्ता मानक (चौथा संशोधन) विनियम, 2015 जो 15 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फाइल सं० 305-25/2014-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 10 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) का०आ० 2578(अ) जो 21 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अनुसूची में शामिल चयनित उत्पादों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी गुड्स (अनिवार्य रजिस्ट्रेशन की आवश्यकताएं) आदेश, 2012 को लागू किए जाने के आदेश विस्तार के बारे में है।
- (दो) का०आ० 2579(अ) जो 21 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अनुसूची में शामिल चयनित उत्पादों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी गुड्स (अनिवार्य रजिस्ट्रेशन की आवश्यकताएं) आदेश, 2012 को लागू किए जाने के आदेश विस्तार के बारे में है।
- (12) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (13) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड फेमिली वेलफेयर, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड फेमिली वेलफेयर, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड फेमिली वेलफेयर, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) एचएलएल बायोटेक लिमिटेड, केरल के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एचएलएल बायोटेक लिमिटेड, केरल का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (15) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, नोएडा के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, नोएडा के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर पोपुलेशन साइंसेज, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर पोपुलेशन साइंसेज, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (17) (एक) इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) पाश्चर इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, कुन्नूर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) पाश्चर इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, कुन्नूर के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) जनसंख्या स्थिरता कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जनसंख्या स्थिरता कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) निम्नलिखित संस्थानों के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) नेशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन।
- (दो) पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़।
- (तीन) डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली।
- (चार) मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली।
- (पांच) नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज, दिल्ली।
- (छह) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली।
- (सात) इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी, नई दिल्ली।

- (आठ) जिपमेर, पुडुचेरी।
- (नौ) फूड सेफ्टी एण्ड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली।
- (दस) इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, गाजियाबाद।
- (ग्यारह) सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसायटी, नई दिल्ली।
- (बारह) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, भुवनेश्वर।
- (तेरह) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ऋषिकेश।
- (चौदह) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रायपुर।
- (पंद्रह) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पटना।
- (सोलह) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जोधपुर।
- (सत्रह) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, भोपाल।
- (अठारह) इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली।
- (21) इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आणंद, आणंद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (22) इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आणंद, आणंद के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 40 की उपधारा (3) के अंतर्गत औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) (संशोधन) नियम, 2015 जो 25 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 417(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, पुणे के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, पुणे के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) निम्नलिखित संस्थानों के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि

के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले लिम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

(एक) मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ योग, नई दिल्ली।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता।

(तीन) सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नई दिल्ली।

(चार) सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, नई दिल्ली।

(पांच) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ा।

(छह) सेंट्रल काउंसिल रिसर्च इन सिद्धा, चेन्नई।

(26) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अंतर्गत गोवा और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (बहु-वर्षीय वितरण टैरिफ) (पहला संशोधन) विनियम, 2015 जो 27 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० जेईआरसी-18/2014 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 की धारा 31 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का०आ० 2704(अ) जो 6 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 की अनुसूची III में उपांतरण किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 16 अक्टूबर, 2015 की अधिसूचना संख्या का०आ० 2848(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(28) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ मैथेमैटिकल साइंसेज, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ मैथेमैटिकल साइंसेज, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, भुवनेश्वर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, भुवनेश्वर के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
- (32) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादुगुडा के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादुगुडा का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) न्यूक्लियर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2014-15 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) न्यूक्लियर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2014-15 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2014-15 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2014-15 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2014-15 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2014-15 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (33) (एक) हरिश्चन्द्र रिसर्च इंस्टिट्यूट, इलाहाबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) हरिश्चन्द्र रिसर्च इंस्टिट्यूट, इलाहाबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) (एक) होमी भाभा नेशनल इंस्टिट्यूट, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) होमी भाभा नेशनल इंस्टिट्यूट, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) (एक) एटॉमिक इनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एटॉमिक इनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (36) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टिट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) (एक) साहा इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) साहा इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे—
- (एक) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2015, जो 25 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 656(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन विनियम, 2015, जो 25 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 657(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2015, जो 25 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 658(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2015, जो 25 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 659(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2015, जो 16 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 706(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2015, जो 16 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 707(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) भारतीय वन सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 2015, जो 16 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 708(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2015, जो 16 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 709(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (40) तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 30 की धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (1) कांआ 2396(अ) जो 3 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य में यथानिर्धारित शास्तियां प्रभारित करके नीलामी मंचों पर अप्राधिकृत अधिक तम्बाकू का क्रय करने के लिए व्यापारियों/व्यवहारियों को स्वीकृति देने हेतु तम्बाकू बोर्ड को प्राधिकृत किया गया है।
 - (2) कांआ 2397(अ) जो 3 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य में उक्त अधिनियम की धारा 10(1) के उपबंधों के प्रवर्तन को शिथिल किया गया है।
- (41) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

- (एक) (क) इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ख) इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (दो) (क) डोनी पोलो अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, ईटानगर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ख) डोनी पोलो अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, ईटानगर का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (तीन) (क) उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुरी के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ख) उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुरी का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (चार) (क) मध्य प्रदेश अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ख) मध्य प्रदेश अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (पांच) (क) कुमारकूरुप्पा फ्रंटियर होटल प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ख) कुमारकूरुप्पा फ्रंटियर होटल प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (छह) (क) पांडिचेरी अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुडुचेरी के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (ख) पांडिचेरी अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुडुचेरी के वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (सात) (क) रांची अशोक बिहार होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ख) रांची अशोक बिहार होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पटना का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (आठ) (क) पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ख) पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (नौ) (क) असम अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ख) असम अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (42) (एक) सेंट्रल वक्फ काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल वक्फ काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 102 के अंतर्गत जारी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के लिए राज्य वक्फ बोर्डों के विघटन और पुनर्गठन की स्कीम का अनुमोदन आदेश, 2015 को 8 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2452(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 12 की उपधारा (3) के अंतर्गत वक्फ संपत्ति पट्टा (संशोधन) नियम, 2015 जो 26 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना

संख्या सांका० 663(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी—

(एक) (क) इंडियन रेलवे कंटेरिंग एण्ड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) इंडियन रेलवे कंटेरिंग एण्ड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) (क) रिटैस लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) रिटैस लिमिटेड, दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(तीन) (क) कोंकण रेल कारपोरेशन लिमिटेड, नवी मुम्बई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) कोंकण रेल कारपोरेशन लिमिटेड, नवी मुम्बई का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(चार) (क) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(पांच) (क) डेडिकेटेड फ़ाइट कोरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (ख) डेडिकेटेड फ़ाइट कोरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (46) केंद्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (47) केंद्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (48) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे—
- (एक) नेशनल हाइवे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल हाइवे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (49) (एक) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पेंशन फंड ट्रस्ट मुम्बई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पेंशन फंड ट्रस्ट मुम्बई के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (50) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) सांकांनि 919(अ) जो 1 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जवाहर लाल नेहरू पत्तन कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2015 को अनुमोदित किया गया था।
- (दो) सांकांनि 819(अ) जो 30 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पाराद्वीप पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2015 को अनुमोदित किया गया था।

- (तीन) सांकायिक 820(अ) जो 30 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुमुगांव पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2015 को अनुमोदित किया गया है।
- (चार) सांकायिक 821(अ) जो 30 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कांडला पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2015 को अनुमोदित किया गया है।
- (पांच) सांकायिक 887(अ) जो 19 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा टुटीकोरिन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2015 को अनुमोदित किया गया है।
- (छह) सांकायिक 888(अ) जो 19 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2015 को अनुमोदित किया गया है।
- (सात) सांकायिक 889(अ) जो 19 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2015 को अनुमोदित किया गया है।
- (51) राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या कांआ 2122 (अ) जो 5 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उक्त अधिनियम में उल्लिखित विभिन्न धाराओं के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उसमें उल्लिखित अधिकारी की नियुक्ति किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (52) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जेनोमिक्स, कल्याणी के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जेनोमिक्स, कल्याणी के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (53) (एक) बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबोटनी, लखनऊ के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबोटनी, लखनऊ के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (54) (एक) महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस-अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस-अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (55) (एक) नेशनल इन्वोवेशन फाउंडेशन-इंडिया, अहमदाबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इन्वोवेशन फाउंडेशन-इंडिया, अहमदाबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (56) (एक) इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (57) (एक) इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटीरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटीरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (58) (एक) विज्ञान प्रसार, नोएडा के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) विज्ञान प्रसार, नोएडा के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (59) (एक) वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जिओलोजी, देहरादून के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जिओलोजी, देहरादून के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (60) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-15 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (61) (एक) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (62) (एक) वस्तु और सेवा कर नेटवर्क, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) वस्तु और सेवा कर नेटवर्क, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (63) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) (संशोधन) विनियम, 2015 जो 9 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० आईआरडीएआई/रेग./19/109/2015 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (अभ्यर्पण का अर्जन और अभिदत्त मूल्य) विनियम, 2015 जो 22 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० आईआरडीएआई/रेग./15/105/2015 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (पूंजी के अन्य स्वरूप) विनियम, 2015 जो 17 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० आईआरडीएआई/रेग./20/110/2015 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 101ख के अंतर्गत गठित सलाहकार समिति के परामर्श से तथा उक्त अधिसूचना बनाने वाले केन्द्रीय सरकार के पुर्वानुमोदन से भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण की अधिसूचना संख्या एफ० सं० आईआरडीएआई/आरआई/11/101/2015 जो 26 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।
- (64) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) आयकर (18वां संशोधन) नियम, 2015, जो भारत के राजपत्र में 2 दिसम्बर, 2015 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 923(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) आयकर (15वां संशोधन) नियम, 2015 जो 12 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 2791(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन और उसका शुद्धिपत्र जो 21.10.2015 की अधिसूचना संख्या का०आ० 2888 में प्रकाशित हुआ था।

- (65) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (एक) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-14 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणी।
- (66) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (एक) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-15 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (67) (एक) बिल्डिंग मैटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बिल्डिंग मैटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (68) (एक) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (69) (एक) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(70) मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 की धारा 48 के अधीन जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 2327 (अ) जो 25 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो दिल्ली मेट्रो के कार्यक्रम से उत्पन्न किसी व्यक्ति की मृत्यु अथवा शारीरिक संघात अथवा संपत्ति की क्षति होने वाली दुर्घटनाओं के मामले में प्रतिकर के दावों का न्यायनिर्णय करने के प्रयोजनार्थ दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड के दावा आयुक्त का अतिरिक्त पद श्री सतीश चन्द्रा, महाप्रबंधक (विधिक), डीएमआरसी को और आगे 3 जनवरी, 2016 तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, समनुदिष्ट किए जाने के बारे में है की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस आशय के संदेश की सूचना दी कि 22 दिसम्बर, 2015 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा लोक सभा द्वारा अपनी 7 मई, 2015 को हुई बैठक में पारित किशोर (बालकों की देखरेख और संरक्षण) विधेयक, 2015 में बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

6. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की बैठकों का कार्यवाही सारांश

डॉ० एम० तंबिदुरै ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की वर्तमान सत्र के दौरान आयोजित पंद्रहवीं से सत्रहवीं बैठकों का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. विदेशी मामले संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

प्रो० (डा०) सुगत बोस ने वर्ष 2015-2016 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति (2015-16) का 10वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री रमेश विधुड़ी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित 'अ०पि०व० का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किए जाने तथा विश्वविद्यालयों और अन्य उच्चतर शैक्षणिक/तकनीकी संस्थाओं में उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' विषय पर अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी समिति (2015-2016) का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री नागेन्द्र सिंह ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा:—

- (1) 'सामान्यतया हिमाचल प्रदेश और विशेष रूप से शिमला के पर्यावरणीय मुद्दे' के बारे में 269वां प्रतिवेदन।
- (2) 'सामान्यतया केरल और विशेष रूप से कोच्चि/अर्नाकुलम के पर्यावरणीय मुद्दे' के बारे में 270वां प्रतिवेदन।

10. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) विदेश मंत्री ने विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।
- (2) शहरी विकास मंत्री; आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री ने निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखे—
 - (एक) शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 5वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
 - (दो) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (3) अल्पसंख्यक मामले मंत्री ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 14वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।
- (4) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

- (5) ग्रामीण विकास मंत्री; पंचायती राज मंत्री और पेयजल और स्वच्छता मंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों क्रमशः (2014-15) और (2015-16) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के पहले और छठे प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।
- (6) रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री ने रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।
11. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2015 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव*—
समय बढ़ाया जाना

श्री एस० एस० अहलुवालिया ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2015 संबंधी संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का समय बजट सत्र, 2016 के पहले भाग के अंतिम दिन तक बढ़ाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

#अपराहन 12.11 बजे

12. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

- (1) श्री विनोद कुमार सोनकर द्वारा उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले को जोकि ऐतिहासिक बौद्ध स्थल है, बौद्ध पर्यटक परिपथ से जोड़ने तथा इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी द्वारा उत्तर प्रदेश के बस्ती संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बंद पड़े चीनी मिलों को पुनः खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

* समय बढ़ाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला ज्ञापन अलग से परिचालित।

#अपराहन 12.16 बजे से अपराहन 12.19 बजे तक, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

- (3) श्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद और आस-पास के क्षेत्र में पर्यटक और सांस्कृतिक धरोहर स्थलों का संरक्षण और विकास किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री रमेश चन्द्र कौशिक द्वारा देश में बच्चों की तस्करी पर नियंत्रण हेतु प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री नाना पटोले द्वारा विशेषतः महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री रामस्वरूप शर्मा द्वारा हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण कराने के लिए विशेष निधियां उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा बिहार के महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कौशल विकास केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री थुपस्तान छेवांग द्वारा लद्दाख में भारत संचार निगम लिमिटेड की सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री रामचरण बोहरा द्वारा जयपुर-सवाई माधोपुर तथा दिल्ली-जयपुर-आगरा खंडों पर रेल लाइनों का विद्युतीकरण किए जाने तथा जयपुर से शिर्डी के लिए सीधी गाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्रीमती रीती पाठक द्वारा मध्य प्रदेश के सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में औद्योगिक कारखानों और विद्युत संयंत्रों की स्थापना होने के कारण विस्थापित हुए लोगों के परिवारों की जांच करने हेतु एक समिति गठित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री जनक राम द्वारा बिहार के गोपालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में थावे में रेल मंडल बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री रवीन्द्र कुमार राय द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा खनन के बाद परित्यक्त कोयला खानों के बड़े-बड़े गड्ढों को जोकि पर्यावरणीय प्रदूषण फैला रहे हैं तथा क्षेत्र में अपराधियों के छिपने का स्थान बन चुके हैं, ढके जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया द्वारा देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स वसूली बंद किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (14) श्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा सीतापुर को लखीमपुर से चार लेन की सड़क से जोड़े जाने तथा उसी सड़क से दुधवा नेशनल पार्क तथा लखीमपुर जिला मुख्यालय के बीच सम्पर्क उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा मुद्रा बैंक योजना के अधीन पशुपालकों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा इम्प्रिन्ट इंडिया योजना के अधीन बुन्देलखंड क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए देश में जल संसाधनों के वितरण, उपलब्धता और ईष्टतम उपयोग हेतु रोडमैप बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) श्रीमती रंजीत रंजन द्वारा बिहार के सुपौल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सड़क सम्पर्क में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (18) श्री आर० ध्रुवनारायण द्वारा मैसूर जिला में नंजनगुड तालुक मुख्यालय में ईएसआई औषधालय-सह-निदान प्रयोगशाला भवन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (19) श्री आर० पार्थिवन द्वारा तमिलानाडु के थेनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केले के निर्यात के लिए साझा सुविधा केन्द्र (कॉमन फैसिलिटी सेंटर) की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (20) श्री आर०पी० मरुदराजा द्वारा कपास उत्पादकों को समूह बीमा योजना दिए जाने तथा पेरम्बलूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक आईटीआई स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (21) श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों में संकाय की कमी के बारे में।
- (22) श्री दिनेश त्रिवेदी द्वारा देश में पर्याप्त सुरक्षा मानकों वाली दक्ष लोक परिवहन प्रणाली बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (23) डॉ० प्रभास कुमार सिंह द्वारा बरगढ़-नुआपाड़ा वाया पदमपुर से रायपुर रेललाइन स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (24) श्री राम मोहन नायडू किंजरापु द्वारा श्रीकाकुलम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सम्पर्क में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (25) श्री वार्डवी० सुब्बा रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश में “कॉल मनी रैकेट” पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (26) श्री राधेश्याम बिश्वास द्वारा असम में अतिरिक्त कैसर उपचार केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (27) श्री एन० के० प्रेमचन्द्रन द्वारा भारतीय जल क्षेत्र में मछली मारने वाले विदेशी जहाजों की प्रभावी निगरानी के लिए तंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 12.19 बजे

13. दोनों सभाओं की संयुक्त समिति की नियुक्ति के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत

लिया गया समय: 3 मिनट

श्री अरुण जेटली ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2015 को इस सभा के निम्नलिखित 20 सदस्यों और राज्य सभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनी संयुक्त समिति को भेजा जाए—

- (1) श्री पी०पी० चौधरी
- (2) श्री गोपाल शेटी
- (3) श्री सुभाष बहेड़िया
- (4) श्री निशिकांत दुबे
- (5) श्री शिवकुमार उदासि
- (6) श्री अनिल शिरोले
- (7) श्री अभिषेक सिंह
- (8) श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत
- (9) श्री संजय जायसवाल
- (10) श्री जगदम्बिका पाल
- (11) श्री जैदेव गल्ला

- (12) श्री चन्द्रकांत खैरे
- (13) श्री चिराग पासवान
- (14) श्री के० सी० वेणुगोपाल
- (15) श्रीमती सुष्मिता देव
- (16) डा० पी० वेणुगोपाल
- (17) श्री कल्याण बनर्जी
- (18) श्री भर्तृहरि महताब
- (19) श्री बी० विनोद कुमार
- (20) श्री जितेन्द्र चौधरी

2. कि संयुक्त समिति एक बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति समिति के कुल सदस्यों की संख्या एक तिहाई होगी;

3. कि समिति बजट सत्र, 2016 के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन देगी;

4. कि अन्य मामलों में इस सभा के संसदीय समितियों के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और आशोधनों के साथ लागू होंगे, जैसा कि अध्यक्ष बनाए; और

5. कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।

सर्वश्री सुदीप बन्दोपाध्याय और पी० करुणाकरन ने वाद-विवाद में भाग लिया।

श्री एम० वैकैया नायडू ने उत्तर दिया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.22 बजे

14. विदाई संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने 16वीं लोक सभा के छठे सत्र के समापन पर विदाई संबंधी उल्लेख किया।

अपराहन 12.31 बजे

15. राष्ट्रीय गीत

राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।

अपराहन 12.32 बजे

(लोक सभा अपराहन 12.32 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव